दैनिक
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्
नवप्रदेश
प्रदेश के साथ पूरा देश...

अंदर के पृष्ठों पर
3 राजधानी — कृषि भूमि पर रेत भंडारण के लिए दे दी...
4 अभिव्यक्ति — आपसी झगड़े से कांग्रेस को नुकसान...
9 मनोरंजन/खेल — 'थलाइवी' में जयललिता की मां किरदार...
11 व्यापार — रिलायंस रिटेल में अच्छी दिलचस्पी दिखा...

www.navpradesh.com
रायपुर, गुरुवार 16 जुलाई 2020, श्रावण कृष्ण पक्ष-एकादशी, विक्रम संवत-2077 वर्ष-09 अंक-156 पृष्ठ-12 मूल्य-3 रुपए
छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड, से एक साथ प्रकाशित

आज बेबाक

राजस्थान रायल्स के उपकप्तान सचिन पायलट आखिरकार क्लीन बोल्ड हो गए। खाटी खिलाड़ी अशोक गहलोत की गुगली उनकी गिल्ली ले उड़ी। अब देखना दिलचस्प होगा कि ऑलराउण्डर सचिन कैसी बॉलिंग करते हैं और उनके बाउंसर का अशोक गहलोत कैसे सामना करते हैं? अंपायर रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन को तो अशोक गहलोत ने पहले ही सैट कर रखा है, इसलिए उनका एलबीडब्ल्यू, क्लीन बोल्ड और कैच आउट होना संभव नहीं है क्योंकि ऐसी बॉल को अंपायर नो बॉल करार दे देंगे। अलबत्ता वे हिट विकेट या रन आउट हो सकते हैं। वाकई रोमांचक मैच है, पूरा पैसा वसूल हो जाएगा।

...अब और निखरेगी छत्तीसगढ़ की कला-संस्कृति की छटा

नव प्रदेश संवाददाता

- ■ कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन को दी मंजूरी
- ■ सीएम बघेल बोले-परिषद के बैनर तले फलेगी-फूलेगी प्रदेश की कला-संस्कृति

रायपुर। राज्य निर्माण के करीब 20 साल बाद अब छत्तीसगढ़ की कला, संगीत, भाषाई विकास के लिए अब एक ही छत के नीचे एकीकृत प्रयास हो पाएगा। छत्तीसगढ़ की लोककलाओं और संस्कृति को सहेजने, संवारने और उसे आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस परिषद के अंतर्गत संस्कृति विभाग की समस्त इकाइयों को एकरूप किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन होने के पहले छत्तीसगढ़ में सभी सांस्कृतिक गतिविधियां भोपाल से संचालित होती थीं। राज्य गठन ■ शेष पृष्ठ 8 पर

सरकार ने शुरू से ही किया काम : बघेल

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर गर्व की अनुभूति जगाने की दिशा में शुरु से ही काम किया। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के पर्व तीजा, किसानों के पर्व हरेली और गोवर्धन पूजा जैसे त्योहारों पर अवकाश की न सिर्फ घोषणा की, बल्कि इन त्योहारों को अपने निवास कार्यालय से मनाने की परंपरा की शुरुआत की। गोंड़ी, हल्बी भाषा में पाठ्य पुस्तकें तैयार कर स्कूलों में पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया। खान-पान की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए सभी जिलों में गढ़कलेवा की स्थापना का निर्णय लिया गया। लेकिन इन सबके बावजूद ■ शेष पृष्ठ 8 पर

ये होगा परिषद का काम

मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का मुख्य काम राज्य में साहित्य, संगीत, नृत्य, रंगमंच, चित्र एवं मूर्तिकला, सिनेमा और आदिवासी एवं लोककलाओं को प्रोत्साहन एवं उन्हें संरक्षण देना होगा। इसके लिए परिषद सांस्कृतिक विरासतों की पहचान, उनका संरक्षण एवं संवर्धन करेगा। सृजनशील संस्कृति के लिए मंचों, कला-संग्रहालयों, वीथिकाओं का विकास, प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के मंचों की स्थापना के साथ ही विभिन्न तरह के आयोजन करेगा। सांस्कृतिक संस्थाओं को सहयोग एवं प्रोत्साहन, सृजनकर्मियों को सम्मान तथा प्रोत्साहन, उत्कृष्ट सिनेमा निर्माण एवं प्रचार संबंधी कार्य करेगा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज की 43वीं एजीएम में मुकेश अंबानी का ऐलान

स्पेक्ट्रम ऐलान होते ही शुरू होगा जियो का 5जी ट्रायल

नई दिल्ली/रायपुर। रिलायंस इंडस्ट्रीज के 43वें एजीएम में अंबानी ने 5 जी को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जियो भारत में 5 जी सर्विस शुरू करेगा। अंबानी ने कहा कि जैसे ही सरकार 5जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का ऐलान कर देगी, जिओ 5जी सेवाओं को ट्रायल के लिए शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जियो 5जी का फील्ड डिप्लायमेंट अगले साल से शुरू हो जाएगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो का 5जी सॉल्यूशन अन्य टेलिकॉम ऑपरेटरों के लिए भी उपलब्ध होगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो आने वाले तीन सालों में 50 करोड़ मोबाइल कस्टमर जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि जियो ने संपूर्ण 5जी तकनीक विकसित कर ली है, जो भारत में वर्ल्ड क्लास 5 जी सर्विस प्रदान करेगा। जैसे ही 5जी स्पेक्ट्रम उपलब्ध होंगे, इसके ट्रायल शुरू हो जाएंगे। फील्ड में इस्तेमाल के लिए अगले साल तक यह तकनीक तैयार की जा सकती है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास वर्तमान में 2जी फोन इस्तेमाल कर रहे 35 करोड़ भारतीयों को सस्ते स्मार्टफोन मुहैया कराना है। उन्होंने बताया कि गूगल के साथ मिलकर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित 4जी-5जी स्मार्टफोन बनाएंगे।

कहा- भारत को बनाएंगे 2जी मुक्त

'जियो -गूगल मिलकर भारत को 2जी-मुक्त बनाएंगे'

मुकेश अंबानी ने बताया कि गूगल और जियो साथ मिलकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, जो एंट्री लेवल के 4जी/5जी स्मार्टफोन के लिए होगा। जियो और गूगल मिलकर भारत को 2जी-मुक्त बनाएंगे। मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत 5जी युग के दरवाजे पर खड़ा है। हमारा प्रयास वर्तमान में 2जी फोन इस्तेमाल कर रहे 35 करोड़ भारतीयों को सस्ते स्मार्टफोन मुहैया कराना होगा। वहीं एजीएम में फेसबुक के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के वीडियो संदेश भी चलाए गए।

33,737 करोड़ निवेश करेगा गूगल

आधुनिक मानव इतिहास में कोरोना संकट सबसे विघटनकारी घटना है। हालांकि, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत और दुनिया तेजी से प्रगति करेंगे, अधिक समृद्धि और विकास की एक नई गुणवत्ता कोविड संकट के बाद हासिल करेंगे। मुकेश अंबानी ने निवेशकों का स्वागत किया। मुकेश अंबानी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि रिलायंस अब सच्चे मायनों में कर्जमुक्त कंपनी बन गई है। इस लक्ष्य को मार्च 2021 की डेडलाइन से पहले ही हासिल कर लिया गया। उन्होंने बताया कि कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट जियो, रिटेल और ओटूसी के लिए ग्रोथ प्लान में मदद करेंगे। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि जियो प्लैटफॉर्म में गूगल 7.7% हिस्सेदारी के लिए 33,737 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। उन्होंने कहा कि गूगल के निवेश के साथ ही जियो प्लैटफॉर्म्स के लिए पूंजी जुटाने का काम पूरा हो गया है।

रास्ते अपनी जगह... मंजिलें अपनी जगह...

रायपुर/केशकाल/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सांसद और राज्य महिला कांग्रेस की अध्यक्ष फूलोदवी नेताम अपने गृहक्षेत्र केशकाल में अपने खेत में धान की रोपाई कर रही हैं। फूलोदेवी ने जनपद पंचायत अध्यक्ष से सांसद तक का सफर तय कर लिया, लेकिन खेती के रास्ते से उनका जुड़ाव अब भी बना है। हालांकि राज्य के अधिकांश जनप्रतिनिधि खेती किसानी के बैकग्राउंड से आते हैं। इसलिए आम तौर पर खेती में काम करते हुए इनकी फोटो वायरल होती है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है। इसी तरह हाल ही में महासमुंद के सांसद चुन्नीलाल साहू की भी एक फोटो सोशल मीडिया में घूम रही थी, जिसमें वे हल जोत रहे थे। इससे पूर्व राज्य के पूर्व गृहमंत्री तथा वरिष्ठ भाजपा नेता ननकीराम कंवर जब पिछली बार चुनाव हार गए थे, तो खेतों में मजदूर की भांती काम करते हुए उनकी भी फोटो खूब वायरल हुई थी। फूलोदेवी नेताम केशकाल से विधायक रही हैं। उनका बैकग्राउंड भी खेती किसानी का है। इसी साल हुए राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा है। हालांकि इस साल चुने गए राज्यसभा सांसदों को अब तक शपथ नहीं दिलाई जा सकी है, क्योंकि संसद का सत्र ही शुरू नहीं हो सका है।

अच्छी खबर

2020 के अंत तक कोरोना का टीका आने की उम्मीद : फाउची

वाशिंगटन/ (वार्ता)। अमेरिका के एलर्जी एवं संक्रामक रोग राष्ट्रीय संस्थान के प्रमुख डॉ एंथनी फाउची ने कहा है कि उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि 2020 के अंत तक यह स्पष्ट हो जायेगा कि विभिन्न टीमों की ओर से कोरोना वायरस (कोविड-19) के जो टीके विकसित किए जा रहे हैं वह प्रभावी और सुरक्षित होंगे अथवा नहीं। अमेरिका के महामारी विशेषज्ञ डॉ. फाउची ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक एक टीका विकसित किया जा सकता है हालांकि बड़े पैमाने पर उसके उत्पादन और वितरण में काफी समय लगेगा। डॉ. फाउची ने कहा कि टीके को लेकर हम बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। यदि चीजें ऐसी ही रहीं तो मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक अथवा 2021 क ी शुरुआत तक हमारे पास इस बात की पुख्ता जानकारी होगी कि ■ शेष पृष्ठ 8 पर

कोरोना अपडेट

देश	टोटल केस	मौत
भारत	965,858	24,901
अमेरिका	3,569,568	139,504
ब्राजील	1,939,167	74,445
ब्रिटेन	291,911	45,053
मैक्सिको	311,486	36,327
इटली	243,506	34,997
फ्रांस	172,377	30,029
स्पेन	303,699	28,409
ईरान	264,561	13,410
रूस	746,369	11,770

शेयर बाजार

सेंसेक्स- 36051.81
निफ्टी- 10618.20
गोल्ड- 48991 (10 ग्रा.)
सिल्वर- 52671 (1 कि ग्रा.)

प्रधानमंत्री मोदी ने कौशल दिवस पर किया आह्वान

दुनिया को भारत के नवान्वेषण की शक्ति दिखाएं नौजवान

नई दिल्ली/ (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नौजवानों का बुधवार को आह्वान किया कि वे ज्ञान के साथ हुनर अथवा कौशल को भी सीखें और कोविड पश्चात के विश्व को भारत की नवान्वेषण की शक्ति का दर्शन करायें।

मोदी ने विश्व कौशल दिवस के अवसर पर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा एक डिजिटल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए यह आह्वान किया। इसी दिन पांच साल पहले स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ हुआ था। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री आर.के. सिंह, और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के ग्रुप चेयरमैन ए.एम.नाइक ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया। लाखों की संख्या में प्रशिक्षुओं के व्यापक नेटवर्क सहित प्रणाली के सभी पक्षकारों ■ शेष पृष्ठ 8 पर

पुराने कौशल को बनाएं उन्नत

प्रधानमंत्री ने युवाओं से नये-नये कौशल सीखने और पुराने कौशल को उन्नत बनाने का आह्वान किया जिससे वे तेजी से बदलते कारोबारी माहौल और बाजार स्थितियों में निरंतर प्रासंगिक बने रह सके। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश के युवाओं को बधाई दी और कहा कि यह दुनिया सही मायनों में युवाओं की है क्योंकि उनमें सदैव नए कौशल हासिल करने की व्यापक क्षमता होती है।

कोरोना : 154 नए मरीज, रायपुर जिले में अब एक्टिव केस 504

रायपुर/नवप्रदेश। प्रदेश में बुधवार को कोरोना के कुल 154 नए मामले सामने आए। जबकि विभिन्न अस्पतालों से स्वस्थ होने पर सिर्फ 49 को ही डिस्चार्ज किया जा सका। एक दिन के गैप के बाद बुधवार को रायपुर जिले से ही सर्वाधिक 77 नए मरीज मिले हैं। जबकि नारायणपुर से 19, बिलासपुर से 11, सरगुजा से 10, जांजगीर चांपा, कोंडागांव व दंतेवाड़ा से 6-6 मरीजों की पहचान हुई है। दुर्ग, कांकेर से कोरोना के 3-3 नए मरीज मिले हैं। वहीं राजनांदगांव, बेमेतरा, धमतरी से 2-2 तथा बालोद, बलौदाबाजार, कोरबा, कोरिया व सुकमा ■ शेष पृष्ठ 8 पर

कामधेनु का नाम अब दाउश्री वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय

- ■ शासन के प्रस्ताव को राज्यपाल ने दी मंजूरी
- ■ छग. उद्यानिकी विवि की प्रक्रिया भी प्रारंभ

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। राज्यपाल अनसुईया उइके ने बुधवार की शाम छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम बदलकर दाउश्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव राजभवन भेजा था। चंद्राकर सूबे के बड़े सहकारी और किसान ■ शेष पृष्ठ 8 पर

सीएम ने किया था उद्यानिकी विवि खोलने का ऐलान

पिछले बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में उद्यानिकी विश्वविद्यालय खोलने का ऐलान किया था। उद्यानिकी विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति बनने के लिए तीन आवेदन आए थे। राज्यपाल अनसुईया उइके ने बुधवार को परामर्श के लिए मुख्यमंत्री को तीनों नाम भेज दिए हैं। मुख्यमंत्री के सुझाव के अनुरूप राजभवन उद्यानिकी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की नियुक्ति का आदेश जारी कर ■ शेष पृष्ठ 8 पर

दलेश्वर साहू को ओबीसी का जिम्मा, बघेल संभालेंगे एससी प्राधिकरण

रायपुर/नवप्रदेश। प्रदेश के निगम-मंडलों की नियुक्ति की चर्चा के बीच प्राधिकरणों में नियुक्ति शुरू हो गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से राज्य के दो प्राधिकरणों के अध्यक्ष व उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई। डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू को ओबीसी प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि उपाध्यक्ष का जिम्मा रामकुमार यादव व प्रकाश नायक को दिया गया है। दोनों क्रमशः चंद्रपुर व रायगढ़ से विधायक हैं। वहीं अनुसूचित जाति (एससी प्राधिकरण) का अध्यक्ष डोंगरगढ़ के विधायक भुवनेश्वर बघेल को बनाया गया है। सरायपाली के विधायक किस्मत लाल नंद तथा सारंगढ़ की विधायक उत्तरी जांगड़े को एससी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है।

गरमा-गरम

हकीकत — बागवनी अनुसंधान से जुड़े केंद्रों के वैज्ञानिकों ने विभिन्न शोध रिपोर्ट के हवाले से बताया

मौसम परिवर्तन से सेब का रंग फीका, आम भी बीमार

नई दिल्ली/(वार्ता)। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में उतार-चढ़ाव , अनियमित वर्षा, बाढ़ और सूखे की समस्या का घातक असर बागवानी फसलों पर दिखने लगा है। आम , जामुन , सेब , लीची , अनार , खुबानी जैसी बागवानी फसलों पर शोध के दौरान जलवायु परिवर्तन का असर देखा गया है । कुछ क्षेत्रों में सेब का उत्पादन घट रहा है जबकि कुछ स्थानों पर यह बढ़ रहा है। सेब में आकर्षक लाल रंग नहीं आ पा रहा है । कुछ फलों में फटने की शिकायत आ रही है जबकि कुछ स्थानों पर बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है जो फलों को बदसूरत बनाते हैं ।

तापमान के उतार-चढ़ाव ने बिगाड़ी आम की शक्ल

केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ के निदेशक शैलेन्द्र राजन के अनुसार तापमान में उतार-चढ़ाव और वातावरण में नमी की मात्रा के कारण कीड़ों और बीमारियों ने बहुत से आम को बदसूरत कर दिया। बेमौसम बारिश के कारण, तापमान तुलनात्मक रूप से कम रहा और आम की फसल के पूरे मौसम में हवा में नमी अधिक रही जिसके कारण इस साल आम के फल की त्वचा को प्रभावित करने वाले कीटों और बीमारियों का प्रकोप बढ़ा।

जामून के पेड़ों में इसलिए नहीं आए फूल

डॉ. राजन ने बताया कि इस साल जामुन की फसल बहुत से स्थानों पर अच्छी नहीं हुई और कहीं-कहीं पर तो कोई भी फल नहीं आए। जलवायु परिवर्तन का असर जामुन की फसल पर इस बार देखने को मिला। जनवरी से लगातार हो रही बारिश और ठंड ने अधिकतर पेड़ों में फूल की जगह पत्तियों वाली टहनियों को प्रेरित किया। आमतौर पर जाड़े का मौसम कुछ ही दिन में खत्म हो जाता है। मौसम के आंकड़ों के आधार पर ही कहा जा सकता है कि इस वर्ष लगातार कुछ दिनों तक ठंड, तत्पश्चात तुरंत तापक्रम के बढ़ जाने से जामुन में बहुत से स्थान पर फूल ■ शेष पृष्ठ 8 पर

सीबीएसई : 10वीं में भी लड़कियों ने मारी बाजी

नई दिल्ली/ (वार्ता)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की दसवीं बोर्ड की परीक्षा में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मार ली है और किन्नरों का परिणाम 78.95 प्रतिशत रहा। बारहवीं की परीक्षा में भी लड़कियों ने बाजी मारी थी। बारहवीं के बोर्ड की तरह दसवीं बोर्ड में भी तिरुवनंतपुरम क्षेत्र देश में सबसे टॉप पर रहा। सीबीएसई द्वारा बुधवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस वर्ष 5,377 परीक्षा केंद्रों पर 20,387 स्कूलों में एक करोड़ ■ शेष पृष्ठ 8 पर

विकास दुबे के सबसे बड़े राजदार गुड्डन त्रिवेदी से पुलिस ने की पूछताछ, कई सफेदपोश हो सकते हैं बेनकाब

कानपुर ए.। हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे के सबसे बड़े राजदार गुड्डन त्रिवेदी उर्फ अरविंद को कानपुर पुलिस महाराष्ट्र से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई है। मंगलवार देर शाम पुलिस गुड्डन त्रिवेदी को लेकर चौबेपुर थाने पहुंची। पुलिस के आलाधिकारियों ने गुड्डन त्रिवेदी से देर रात तक पूछताछ करती रही। गुड्डन त्रिवेदी हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे के सभी राज जानता था। गुड्डन हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे के कई राज उगल सकता है, जिसमें सफेदपोश से लेकर कई खाकी वर्दी वाले भी बेनकाब हो सकते है।

गुड्डन त्रिवेदी उर्फ अरविंद कानपुर देहात से जिला पंचायत सदस्य है। गुड्डन रूरा कस्बे में परिवार के साथ रहता है। हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे गैंग का सबसे सक्रिय सदस्य था। सूत्रों के मुताबिक गुड्डन त्रिवेदी ने बिकरू गांव हत्याकांड में असलहे मुहैया कराए थे। फरारी काट रहे बदमाश को ठहरने और उनकी मदद करने के की बात सामने आई है। गुड्डन त्रिवेदी के मोबाइल की सीडीआर

के मुताबिक मुठभेड़ की रात उसकी लोकेशन रूरा की मिली है।

चार दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है गुड्डन

जिला पंचायत सदस्य गुड्डन त्रिवेदी को उसके ड्राइवर सोनू के साथ महाराष्ट्र एटीएस ने पकड़ा था। कानपुर पुलिस ने गुड्डन त्रिवेदी का बिकरू हत्याकांड में शामिल होने से इंकार किया था। इसके बाद कानपुर पुलिस गुड्डन त्रिवेदी को ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर लाने का फैसला किया। कोर्ट ने चार दिनों का ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर पुलिस को सौंपा है, इसके साथ ही प्लेन से जाने का आदेश दिया था।

गुड्डन की निशानदेही पर पुलिस ने कई जगह दी दबिश

गुड्डन से पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग भी लगे है। गुड्डन की निशानदेही पर पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश भी दी है। इसके साथ बिकरू गांव हत्याकांड में फरार चल रहे अपराधियों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। जिला पंचायत सदस्य गुड्डन त्रिवेदी के सभी राजनीतिक पार्टियों से संबंध है। विकास दुबे और गुड्डन त्रिवेदी ने एक साथ राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। गुड्डन किसी भी वारदात में सीधे शामिल नहीं होता था। वो पर्दे के पीछे से पूरा वारदात पर नजर रखता था। अपने राजनीतिक रसूख के बल पर अपने साथियों की मदद करता था। गुड्डन ने विकास की हर एक घटना में पर्दे के पीछे से साथ दिया है।

उत्तर प्रदेश के मेरठ में साधु की पीट-पीटकर हत्या

मेरठ ए.। महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं की पीट-पीटकर हत्या के मामले ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। अब ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ में आया है। यहां शिव मंदिर के साधु की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप एक विशेष समुदाय के लोगों पर लगा है। इधर साधु की हत्या का मामला अब तूल पकड़ा और शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस ने कहा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना मेरठ के भावनपुर की है। अब्दुलापुर बाजार में एक शिव मंदिर हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर में ही गांव के कांति प्रसाद की दुकान थी और वह मंदिर कमिटी के उपाध्यक्ष भी थी। वह मंदिर की साफ-सफाई के साथ पुजारी का काम भी देखते थे।

बारामूला में बीजेपी के नेता को आतंकियों ने किया अगवा

श्रीनगर ए.। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या के बाद आतंकियों ने बारामूला में एक और राजनेता का अपहरण किया है। आतंकियों के एक दल ने बारामूला जिले के रफियाबाद इलाके में बीजेपी के एक नेता को अगवा किया है। ये नेता एमसी वाटरगाम में वाइस चेयरमैन भी है। जानकारी के अनुसार बीजेपी नेता मेहराजुद्दीन इस समय एमसी वाटरगाम का वाइस चेयरमैन है। इसके अलावा वह रफियाबाद में बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। बुधवार सुबह वह किसी काम के सिलसिले में घर से सोपोर के लिए जा रहा था। तभी आतंकियों ने बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया। उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। इस सूचना के बाद पुलिस ने सेना के साथ मिलकर पूरे इलाके को घेर लिया। नेता की तलाश की जा रही है। लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। बता दे कि हाल ही में कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों ने बीजेपी के नेता वसीम बारी, पिता तथा भाई की हत्या कर दी थी। उसके बाद आतंकियों की तरफ से बीजेपी के नेताओं को फरमान दिया गया था। जिसमें नेताओं को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था नही तो गंभीर परिणाम की धमकी दी गई थी। इसी बात को लेकर दो बीजेपी नेताओं ने मंगलवार को इस्तीफा दिया था।

ट्रंप ने खत्म किया हांगकांग का तरजीही व्यापार दर्जा

चीन ने दी अमेरिका को धमकी

बीजिंग ए.। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हांगकांग को व्यापार में तरजीही दर्जा खत्म करने के आदेश और हांगकांग में दमन के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए चीनी लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध के कार्यकारी आदेश के बाद बीजिंग ने वाशिंगटन पर जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है।

बुधवार को अलजजीरा ने चीन के विदेश मंत्री के बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा- अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से इस महीने की शुरुआत में सर्वसम्मति से पास हांगकांग ऑटोनोमस एक्ट और बीजिंग के हांगकांग पर दमन को लेकर चीनी अधिकारियों और बैंक पर प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना और उसका विरोध करते हैं। इस बारे में बिना ज्यादा बताए मंत्रालय की तरफ से कहा गया- चीन अपने वैध हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और अमेरिकी कर्मियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाएगा। इसस पहले, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हांगकांग स्वायत्तता कानून पर भी हस्ताक्षर किए थे, जो कि इस महीने की शुरुआत में संसद में पारित हो गया। यह अमेरिकी कानून हांगकांग की स्वायत्तता का उल्लंघन करने वाले चीन के अधिकारियों और हांगकांग पुलिस पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता था। यही नहीं इनके साथ लेनदेन करने वाले बैंकों पर भी प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा- यह कानून अमेरिकी सरकार को हांगकांग की आजादी को खत्म करने में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराने के लिए एक शक्तिशाली नया हथियार देता है।

चीन की अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी

चीनी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की अमेरिका सरकार की चेतावनी पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन की सरकार ने कहा है कि वह देश की कंपनियों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। दरअसल, अमेरिका ने चेतावनी दी है कि चीन की कंपनियां अगर शिनजियांग के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की प्रताड़ना करने में मदद करती है, तो उन्हें कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

गौरतलब है कि अमेरिका और चीन के संबंधों में कई मुद्दों को लेकर अत्यधिक तनाव बना हुआ है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिका सरकार पर चीन के मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और कहा कि वाशिंगटन चीन की कंपनियों के दमन के लिए मानवाधिकार की शिकायतों का इस्तेमाल कर रहा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यह चीन के लिए हानिकारक है, अमेरिका के लिए हानिकारक है और पूरी दुनिया के लिए हानिकारक है। उसने कहा, ''चीन बहुत मजबूती के साथ अमेरिका से कहना चाहता है कि वह अपनी खराब हरकतें बंद करे। मंत्रालय ने बयान में कहा, चीनी कंपनियों के कानूनी अधिकारों और हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए चीन आवश्यक कदम उठाएगा।

अमेरिका ने एक जुलाई को चेतावनी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि जो कंपनियां जबरन मजदूरी में

भारत के खिलाफ चीन का आक्रामक व्यवहार सीपीसी के सोचने के तरीके को दर्शाता है

वॉशिंगटन ए.। अमेरिका के राष्ट्रीय

सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन ने लद्दाख झड़प को लेकर चीन पर नशिाना साधा है। ब्रायन ने कहा कि भारत के खिलाफ चीन का 'बेहद आक्रामक' व्यवहार, दक्षिण चीन सागर और हांगकांग में उसके कदम इस बात की जानकारी देते हैं कि सत्तारूढ़ 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफचाइना' (सीपीसी) इन दिनों किस प्रकार से सोच रही है। ओ'ब्रायन ने मंगलवार को कहा, 'चीनी भारत के प्रति बहुत आक्रामक रहे हैं।' उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्वी लद्दाख में हुई हालिया झड़प में उन्होंने कुछ भारतीयों को इतनी बुरी तरह से मारा कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। ओ'ब्रायन ने 'फॉक्स न्यूज रेडियो' को दिए एक साक्षात्कार में कहा, 'यह भारत और चीन के बीच का विवाद है, लेकिन चीन ने दिखा दिया कि वह असल में क्या हैं। चीनी बलों ने भारतीय बलों पर घात लगाकर हमला किया। उन्होंने 20 भारतीय जवानों की पीट-पीट कर हत्या कर दी। उन्होंने उन्हें कील लगी और नुकीली तार से लिपटी लाठियों से बहुत बुरी तरह से मारा।'

ओली के बाद नेपाल के विदेश मंत्री की बेतुकी बातें, कहा-

रिसर्च से बदल जाएगा इतिहास

काठमांडू ए.। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा के अयोध्या को लेकर दिए विवादित बयान की नेपाल से लेकर भारत तक हर तरफ आलोचना हो रही है। ओली के बयान पर नेपाली विदेश मंत्रालय ने जहां सफाई दी, वहीं अब नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवली दावा कर रहे हैं कि रिसर्च से अयोध्या का इतिहास बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग अभी तक केवल विश्वास के आधार पर ही सभी बातों को मानते हैं।

नेपाली विदेश मंत्री ने कहा, 'हमें अब तक यही बताया गया है कि सीता का जन्म जनकपुर में हुआ और राम का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन जिस दिन अध्ययन से नए तथ्य मिल जाएंगे, रामायण का इतिहास बदल जाएगा।' ज्ञवाली ने एक साक्षात्कार में कहा कि जिस तरह महात्मा बुद्ध को लेकर लिखित इतिहास है, वैसा रामायण के साथ नहीं है।

'अध्ययन की पुष्टि के लिए अभी पर्याप्त प्रमाण नहीं'

विदेश मंत्री ज्ञवली ने कहा, 'रामायण सभ्यता की पुरातात्विक अध्ययन की पुष्टि के लिए अभी पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं।' उन्होंने ने कहा कि रामायण में जिन स्थानों को लेकर वर्णन किया गया है, उसको लेकर भारत और नेपाल के चर्चा चल रही है। अभी इसके सांस्कृतिक भूगोल को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।' विदेश मंत्री रिसर्च की बात कर रहे हैं, वहीं सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के उपाध्यक्ष बाम देव गौतम ने ओली से अयोध्या पर दिए बयान को वापस लेने की मांग की है। इससे पहले नेपाली विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि पीएम ओली का इरादा किसी की आस्था को चोट पहुंचाना नहीं था। नेपाली विदेश मंत्रालय ने ओली के बयान पर लीपापोती करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री की टिप्पणी किसी राजनीतिक विषय से जुड़ी नहीं है। उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और न ही अयोध्या के सांकेतिक महत्व और सांस्कृतिक मूल्य का अपमान करना था।' मंत्रालय ने अपनी सफाई में कहा कि श्री राम और उनके स्थान से जुड़े कई मिथक और संदर्भ हैं। पीएम ओली सांस्कृतिक भौगोलिकता, रामायण के फैक्ट को लेकर अध्ययन और रिसर्च के महत्व पर प्रकाश डाल रहे थे।

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक मंहगू पिता थुकेल साकिन पाउवारा के द्वारा ग्राम पाउवारा प.ह.न. 44 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 34, 83, 704, 883 रकबा 0.204, 0.398, 0.018, 0.426, हे. भूमि हकत्यागकर्ता उषा बाई अन्य से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 22.06.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 21.07.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 07.07.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका विधि अग्रवाल पिता बिपिन कुमार अग्रवाल निवासी ग्राम शंकर नगर रोड तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1314/8 रकबा 0.022 हें. भूमि को दानदाता श्रीमती मनोरमा गुप्ता पति स्व. मुरलीधर गुप्ता निवासी ग्राम सुभाषनगर तह. दुर्ग व जिला दुर्ग से रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 02.07.2020 को दान में प्राप्त किया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर स्वयं के नाम पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 31.07.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 10.07.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट	पक्षकार का नाम श्री चिंटू कुमार	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202007100400259

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री चिंटू कुमार आ. श्री कृष्णा साव निवासी यादव चौक रुआबांधा भिलाई तह. व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुनर्निर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	672/110	0.014 हें 1500 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 10.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400257

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक राजेन्द्र कुमार साहू आ. श्री झुमुकलाल साहू निवासी करहीडीह द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम करहीडीह प.ह.न. 49 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 365/26 रकबा 0.011 हें/ 1200 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 10.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./442/अ-74/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शकील खान पिता हकीम खान निवासी ग्राम सांकेत कालोनी तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कातुलबोर्ड तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 11/1 रकबा 0.014 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा मूल ऋण पुस्तिका गुम हो जाने पर डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र चालान की मूल प्रति, बैंको द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र, थाना की रिपोर्ट व राजस्व अभिलेख सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 25.07.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 10.07.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./440/अ-74/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रमेश कुमार चोपकर पिता स्व. गणपत राव चोपकर निवासी ग्राम प्रेमनगर तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1332/3 रकबा 0.012 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा मूल ऋण पुस्तिका गुम हो जाने पर डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र चालान की मूल प्रति, बैंको द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र, थाना की रिपोर्ट व राजस्व अभिलेख सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29.07.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 07.07.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

(धारा 178 प्रारुप अ)

मा.क्र./28/अ-27/वर्ष 2019-20

क्योंकि मौजा कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग के सहभूमिस्वामी मोंगरा बाई ध.प. स्व. दुलार सिंह यादव निवासी गंजपारा तहसील व जिला दुर्ग ने निम्नकित अनुसूची में निर्दिष्ट खाते के अपने भाग के विभाजन के लिए आवेदन किया है एवं क्योंकि उक्त खाते का बंटवारा किया जाना प्रस्तावित हुआ है। एवं सुनवाई का दिनांक 10.08.2020 स्थान तहासील दुर्ग पर दिन 11:00 बजे नियत किया गया है। उक्त खाते में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एद्त द्वारा सूचित किया जाता है कि वे निश्चित दिनांक को या तो स्वतः अथवा किसी अभिभाषक अथवा प्रतिनिधि द्वारा हाजिर हो एवं अपनी आश्रेपों यदि कोई हो तो पेश करें

उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर हाजिर नहीं होने पर एवं आक्षेपों को पेश नही कर पाने की स्थिति में किसी आक्षेप पर विचार नही किया जावेगा।

खाते का विवरण :- सर्वेक्षण संख्यांक/ भू-खंडाक 62/2, क्षेत्रफल 0.022, भू-राजस्व 0.05

आज दिनांक 10.07.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र./अ-74/ वर्ष 2019-20

पंजी. 202007101200018

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक पंचकौड यादव पिता बोधन यादव निवासी भानपुरी के द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि उनके भूमिस्वामी हक की भूमि मौजा ग्राम कुथरेल प.ह.नं. 37 रा.नि.मं. अण्डा तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 739 रकबा 0.690 हे. भूमि दर्ज है। उक्त भूमि का मूल ऋण पुस्तिका गुम हो गया है जिसका द्वितीय प्रति में ऋण पुस्तिका प्राप्त करने हेतु आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 29.07.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 14.07.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक तपेश खोड़ीयार पिता दिनेश खोड़ीयार निवासी ग्राम आकाश नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1314/346 रकबा 0.020 हे. भूमि को विक्रेता श्रीमती पुष्पा बेन वाघेला पति रविलाल भाई वाघेला निवासी ग्राम कसारीडीह दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 10.07.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 28.07.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 13.07.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्रं./अ-74/वर्ष 2019-20

पंजी. 202007101200018

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक पचकौड़ यादव पिता बोधन यादव निवासी भानपुरी तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की भूमि ग्राम भानपुरी प.ह.नं. 38 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 176 रकबा 0.250 हें भूमि का प्राप्त ऋम पुस्तिका गुम/ जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारण नया ऋणपुस्तिका मिलने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29.07.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 14.07.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./402/अ-74/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती लक्ष्मी कन्नौजे पति उत्तम प्रकाश कन्नौजे द्वारा ग्राम बोरसी प.ह.न. 23 स्थित खसरा नबर 275/128 एवं 278/22 कुल रकबा 0.020 ऋण पुस्तिका में दर्ज है। किन्तु ऑनलाईन अभिलेख में केवल खसरा नं. 275/128 जिसका कुल क्षेत्रफल 0.0110 दर्ज है तथा 278/22 का ऑनलाईन अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया है। जिससे उक्त रकबा को ऋण पुस्तिका के आधार पर ऑनलाईन दर्ज किए जाने का आवेदन मय दस्तावेज के साथ प्रस्तुत कि है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 17.07.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 30.06.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

(धारा 178 प्रारुप अ)

रा.प्र.क्र./अ-27/वर्ष 2019-20

क्योंकि मौजा जेवरा तहसील व जिला दुर्ग के सहभूमिस्वामी जनक दुलारी गौतम आ./ पति नंदकुमार गौतम साकिन जेवरा तहसील व जिला दुर्ग ने निम्नकित अनुसूची में निर्दिष्ट खाते के अपने भाग के विभाजन के लिए आवेदन किया है एवं क्योंकि उक्त खाते का बंटवारा किया जाना प्रस्तावित हुआ है। एवं सुनवाई का दिनांक 14.08.2020 स्थान तहासील दुर्ग पर दिन 11:00 बजे नियत किया गया है। उक्त खाते में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एद्त द्वारा सूचित किया जाता है कि वे निश्वित दिनांक को या तो स्वतः अथवा किसी अभिभाषक अथवा प्रतिनिधि द्वारा हाजिर हो एवं अपनी आश्रेपों यदि कोई हो तो पेश करें

उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर हाजिर नहीं होने पर एवं आक्षेपों को पेश नही कर पाने की स्थिति में किसी आक्षेप पर विचार नही किया जावेगा।

खाते का विवरण

खसरा नंबर 908, 936, 939/2, रकबा 0.77, 0.97, 0.43 हे.

आज दिनांक 13.07.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

(धारा 178 प्रारुप अ)

मा.क्र./25/अ-27/वर्ष 2019-20

क्योंकि मौजा कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग के सहभूमिस्वामी नोहर लाल टंडन अन्य 2 आ. स्व. दौवाराम निवासी गुरुघासीदास नगर वार्ड 44 दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग ने निम्नकित अनुसूची में निर्दिष्ट खाते के अपने भाग के विभाजन के लिए आवेदन किया है एवं क्योंकि उक्त खाते का बंटवारा किया जाना प्रस्तावित हुआ है। एवं सुनवाई का दिनांक 10.08.2020 स्थान तहासील दुर्ग पर दिन 11:00 बजे नियत किया गया है। उक्त खाते में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एद्त द्वारा सूचित किया जाता है कि वे निश्चित दिनांक को या तो स्वतः अथवा किसी अभिभाषक अथवा प्रतिनिधि द्वारा हाजिर हो एवं अपनी आश्रेपों यदि कोई हो तो पेश करें

उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर हाजिर नहीं होने पर एवं आक्षेपों को पेश नही कर पाने की स्थिति में किसी आक्षेप पर विचार नही किया जावेगा।

खाते का विवरण :- सर्वेक्षण संख्यांक/ भू-खंडाक 835/5, क्षेत्रफल 0.004, भू-राजस्व 3.00

आज दिनांक 09.07.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./441/अ-74/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अर्जुन सिंह पिता दाऊलाल चंद्राकर निवासी ग्राम आर्य नगर तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1179/156 रकबा 0.008 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा मूल ऋण पुस्तिका गुम हो जाने पर डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र चालान की मूल प्रति, बैंको द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र, थाना की रिपोर्ट व राजस्व अभिलेख सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29.07.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 09.07.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./1158/अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मोहम्मद वसीम पिता मोहम्मद कय्युम निवासी ग्राम तकियापारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग केद्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1038/8 रकबा 0.008 हें. मे से 120.25 वर्गफीट भूमि को विक्रेता अख्तर जहां बेगम पति स्व. कदीर अहमद खां निवासी ग्राम तकियापारा दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 27.06.2019 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 27.07.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 07.07.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका किरण देवांगन पति कमल देवांगन निवासी गयानगर तहसील व जिला दुर्ग द्वारा अपने हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम मोहलई प.ह.न. 06 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 581/2 रकबा 0.008 हे. भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता अर्पित ताम्रकार पिता दशरथ लाल के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था उक्त भूमि के संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 27.07.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 10.07.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यूज गैलरी

महिला आयोग की जन सुनवाई में 7 प्रकरणों का हुआ निराकरण

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग रायपुर की सदस्य श्रीमती खिलेश्वरी किरण के द्वारा 14 जुलाई को रायपुर जिले के पंजीकृत प्रकरणों की सुनवाई की गई। आयोग की सुनवाई में 16 प्रकरण रखे गये थे, जिसमें 12 प्रकरणों में ही पक्षकार उपस्थित हुए। 7 प्रकरणों की सुनवाई के बाद निराकरण किया गया। सुनवाई प्रकरणों में मुख्यतः दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, सम्पत्ति विवाद, कार्यस्थल पर प्रताड़ना, पति-पत्नि विवाद, दैहिक शोषण, मारपीट और प्रताड़ना से संबंधित शामिल थे। सुनवाई में विधिक परामर्शक एल.के. मढ़रिया भी उपस्थित थे।

सड़क पार करते व्यक्ति को ट्रेलर ने कुचला, मौत

रायपुर। सड़क पार कर रहा युवक तेज रफ्तार ट्रेलर वाहन की चपेट में आने से मौत हो गया। घटना की रिपोर्ट तेलीबांधा थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार भटगांव थाना पथरिया जिला मुंगेली निवासी दूजराज यादव 36 वर्ष पिता निरंजन यादव को 13 जुलाई को उद्योग भवन पास तेलीबांधा के पास तेज रफ्तार ट्रेलर क्रमांक सीजी 07-सीए/5427 के चालक ने सड़क पार करते समय एक्सीडेन्ट कर दिया जिसके चलते उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ धारा 304 ए के तहत अपराध दर्ज कर मर्ग कायम कर लिया है।

जुआ खेलते तीन गिरफ्तार, नगदी जब्त

रायपुर। जुआ खेलते पाये जाने पर पुलिस ने तीन जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से नगदी रुपये एवं ताश की 52 पत्ती जब्त किया है। मुजगहन थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर बोरियाकला चाकलेट फैक्ट्री के सामने खाली मैदान में तीन लोग बैठकर जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने छापामारकर गणेश निर्मलकर आयु 44 वर्ष व राजेश साहू आयु 20 वर्ष एवं उत्तम साहू आयु 28 वर्ष को गिरफ्तार कर उनके पास से नगदह 12 हजार 3 सौ रुपये एवं ताश की 52 पत्ती जब्त किया है। सभी जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा 4 क के तहत कानूनी कार्रवाई किया गया है। धारा जमानतीय होने पर जमानतीय मुचलका पेश करने पर 5-5 हजार रुपये पर तीनों आरोपियों को रिहा कर दिया गया है।

उधार के पैसों को लेकर मारपीट

रायपुर। नेवरा व आमानाका थाने में उधार दिये रुपये की लेन-देन के विवाद में गाली-गलोच कर जाने से मारने की धमकी देकर एक व्यक्ति को ब्लेड से मारकर चोट पहुंचाने व मारपीट किये जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई है। आमानाका थाने में आरडीए कालोनी सरोना निवासी लीलाधर शुक्ला 19 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि मंगलवार को मोहबा बाजार शराब भट्ठी के पास एक्टीवा से जाते समय साईड नही देने की बात कहकर सोन कुमार नामक युवक ने ब्लेड से गाल पर मारकर चोट पहुंचाया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294, 506, 323 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है। इसी तरह तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवारपारा में पैसे की लेन-देन की विवाद में रंजीत सिंह 28 वर्ष के साथ पाथुल देवार ने गाली-गलोच करते हुये जान से मारने का धमकी देकर मारपीट किया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में अपराध कामय कर मामला दर्ज कर लिया है।

सड़क हादसे में 2 की मौत

रायपुर। मंदिरहसौद एवं राखी थाना क्षेत्र में अलग-अलग सड़क हादसे में गंभीर रुप से घायल 2 व्यक्तियों के उपचार के दौरान मौत हो जाने पर पुलिस ने जांच के दौरान अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ 304 ए के

पैरी नदी का सीना चीरकर दिन-रात रेट के रेट का खेल जारी

कृषि भूमि पर रेत भंडारण के लिए दे दी एनओसी

नव प्रदेश संवादाता

- गौण खनिज भंडारण अधिनियम की अनदेखी
- 15 जून से 15 अक्टूबर तक बैन फिर भी खनन
- जिले में औसतन सप्ताहभर में 17 करोड़ का धंधा

भंडारण कहीं और मगर चैनमोंटिंग मशीन डाल कर खनन

रायपुर/ गरियाबंद। पर्यावरण, जमीन कटाव, खतरनाक घाट के लिए अवैध रेत खनन माफिया अब भी बेधड़क शासन को राजस्व का चूना लगा रहे हैं। इसमें जिम्मेदारों की शह पर चल रहा रेत खनन और उसका बाजार में रेट का खेल अब रोजाना लाखों के आंकड़ों को छूने लगा है। सप्ताहभर में अकेले जिले से करीब 17 करोड़ रुपए का रेत का धंधा संचालित हो रहा है। हिसाब लगाएं तो प्रदेश की प्रमुख नदियों और उसके तट पर बसे गांव में रेत माफियाओं का राज है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस खेल में गरियाबंद जिला खनिज विभाग के जिम्मेदारों का भी हाथ हैं। इधर जिला प्रशासन रोका-छेका, गोधन न्याय योजना में व्यस्त है और दूसरी तरफ रेत माफिया शासन के खजाने को ऐसे चपत लगा रहे हैं।

बता दें कि गरियाबंद जिला खनिज विभाग के अफसर ने तो बकायदा कृषि ज़मीन पर ही भंडारण करने की एनओसी जारी कर दी है। जबकि गौण खनीज भंडारण अधिनियम के तहत प्रवर्तित (डायवर्सन)भूमि पर ही रेत भंडारण के लिए पात्रता होगी। किन्तु यहाँ पदस्थ अफ़सर अपनी मनमर्जी से नियम तय कर रहे हैं। पूरा माज़रा यह है कि बारिश काल में 15 जून से 15 अक्टूबर तक प्रदेश के समस्त रेत खदानों में शासन के निर्देशानुसार रेत खनन व परिवहन पर बैन लगा हुआ है। शासन के नियमों को चैलेंज करते हुए रेत माफियाओं के इशारों पर खनिज अफसर व जिला प्रशासन के मुखिया खुद का कानून फॉलो कर रहे है। अब हो ये रहा है कि शासन को रेत लोडिंग व ट्रांसपोर्ट करने के एवज़ में किसी भी तरह के रायल्टी नहीं देनी पड़ रही है। बरसात में रेत की कीमत भी दोगुना है, दोगुनी कीमत पर ही गरियाबंद रेत घाटों से रेत बिक्री हो रही है। रेत से होने वाले रेट के खेल में सीधा-सीधा संलिप्त पार्टनर के बीच बराबर की बंदरबांट है।

रेत के खेल में रेट की ऐसी लंबी चेन

जिले के रेत खदानों से औसत 400 हाईवा से रेत परिवहन हो रही है। गरियाबंद जिला में 1 हाईवा की अनुमानित लोडिंग खर्च 6000 रुपये है। इस तरह से महज एक दिन में 24 लाख रुपये और एक सप्ताह में लगभग 17 करोड़ रुपये का हिसाब-किताब बैठता है। गरियाबंद की रेत रायपुर दुर्ग भिलाई व राजनांदगांव जैसे महानगरों में पहुंच कर 25000 से 30000 हजार प्रति हाईवा की दर पर अनलोडिंग हो रही है। इस बीच शासन के नियमानुसार एक चवन्नी का रायल्टी-शुल्क शासन को नहीं जाता,पूरा पैसा हिस्सेदारी में बंटवारा हो रहा है। इधर जनता और नेता रेत चोरी होने पर शिकायत पर शिकायत करते जा रहे और हमारे साहब लोग शासन के महत्वपूर्ण योजना रोका-छेका में व्यस्त है। टीएल की बैठक भी रोका-छेका पर शुरू होता है और खत्म भी उसी पर। राजिम क्षेत्र के कुरुसकेरा रेत घाट में स्थानीय ग्रामीण थक गए है शिकायत करते करते,इधर रेत माफ़िया के गुर्गे शिकायत करने वालो के घर घूंस जा रहे धमकाने। प्रशासन इस क़दर गूंगे बहरे बन गए है कि इन्हें सिर्फ उनके आकाओं की ही आवाज सुनाई पड़ती है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि जिले के बड़े अफसर की कुर्सी महज अक्टूबर माह तक के लिए लगा है, अब जनता अंधेर गर्दी के पीछे की राज़ भी समझ गए है।

भाजपा नेता ने खोला मोर्चा, बताया राजस्व चोरी का गणित

जिले के रेत खदानों से प्रतिदिन 400 हाईवा से रेत परिवहन हो रही है। गरियाबंद जिला में 1 हाईवा की अनुमानित लोडिंग खर्च 6000 रुपये है। इस तरह से महज़ एक दिन में 24 लाख रुपये और एक सप्ताह में लगभग 17 करोड़ रुपये का हिसाब-किताब बैठता है। गरियाबंद की रेत रायपुर दुर्ग भिलाई व राजनांदगांव जैसे महानगरों में पहुँच कर 25000 से 30000 हज़ार प्रति हाईवा की दर पर अनलोडिंग हो रहा है। इस बीच शासन के नियमानुसार एक चवन्नी का रायल्टी-शुल्क शासन को नहीं जाता,पूरा पैसा हिस्सेदारी में बंटवारा हो रहा है।

'डोनेट योर मोबाइल' कैंपेन से जुड़ा शहर का कोरियोग्राफर और डांसर एसोसिएशन

समाज सेवी सुरेंद्र बैरागी सहित महेश चंद्राकर और विनेश पांडे ने प्रदान किया स्मार्टफोन

रायपुर। स्मार्ट सिटी लि. रायपुर द्वारा संचालित 'डोनेट योर मोबाइल' कैंपेन से जुड़कर छत्तीसगढ़ कोरियोग्राफर एंड डांसर एसोसिएशन ने 2 स्मार्ट फोन प्रदान किए। मुहिम से जुड़कर छत्तीसगढ़ कोरियोग्राफर एंड डांसर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री महेश चंद्राकर और श्री विनेश पांडे ने अपनी-अपनी तरफ से एक-एक स्मार्ट फोन प्रदान किया। वहीं सामाजसेवी श्री सुरेंद्र बैरागी ने भी एक स्मार्टफोन रायपुर स्मार्ट सिटी लि. को डोनेट किया।

रायपुर स्मार्ट सिटी लि. के 'डोनेट योर मोबाइल' कैंपेन से जुड़ते समाजसेवी व स्वयंसेवी संगठन शहरवासियों समेत राज्य के अन्य शहरवासियों को भी मोबाइल डोनेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ कोरियोग्राफर एंड डांसर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री महेश चंद्राकर ने कहा कि वे अपने एसोसिएशन के सदस्यों को भी स्मार्टफोन डोनेशन के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं उनका कहना है कि अपने एसोसिएशन के सहयोग से शहरवासियों की मदद से अधिक-अधिक जरूरतमंद स्कूली बच्चों के लिए रायपुर स्मार्ट सिटी लि. को स्मार्टफोन प्रदान करेंगे।

एम्स रायपुर को यूएस-एड के दस पोर्टेबल वेंटीलेटर मिले

- कोविड-19 रोगियों के लिए उपयोगी होंगे अमेरिका से आए वेंटीलेटर
- रोगियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और एंबुलेंस में भी हो सकेगा प्रयोग
- एम्स के पास पूर्व में हैं 73 वेंटीलेटर, नए पोर्टेबल वेंटीलेटर से बढ़ जाएगी क्षमता

रायपुर (नव प्रदेश)। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर को यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएस-एड) द्वारा भारत को दिए गए वेंटीलेटर में से 10 पोर्टेबल वेंटीलेटर प्रदान किए गए हैं। नए वेंटीलेटर कोविड-19 पॉजीटिव रोगियों के लिए उपयोगी हैं। इसके साथ ही इन वेंटीलेटर का प्रयोग रोगी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और एंबुलेंस में भी किया जा सकता है।

निदेशक प्रो. (डॉ.) नितिन एम. नागरकर ने बताया कि एम्स को जेडओएलएल कंपनी के अमेरिका में निर्मित 10 पोर्टेबल वेंटीलेटर हाल ही में प्राप्त हुए हैं। इनका प्रयोग कोविड-19 वार्ड के रोगियों के लिए आसानी से किया जा सकता है। पोर्टेबल होने की वजह से इन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है और आसानी से इनका प्रयोग संभव है। इसका प्रयोग रोगियों को अस्पताल के अंदर एक से दूसरे स्थान तक ले जाने के दौरान या रोगी को एंबुलेंस से लाने के दौरान किया जा सकता है। उन्होंने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इन वेंटीलेटर्स को बहु-उपयोगी बताया। प्रो. नागरकर ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूएस-एड को इसके लिए धन्यवाद दिया है।

उप-चिकित्सा अधीक्षक डॉ. नितिन कुमार बोरकर ने बताया कि एम्स में 73 वेंटीलेटर उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग कोविड-19 वार्ड में, विभिन्न विभागों के वार्डों में और इमरजेंसी में किया जा रहा है। नए पोर्टेबल वेंटीलेटर आ जाने से एम्स की गंभीर रोगियों का इलाज करने की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। जेडओएलएल कंपनी के वेंटीलेटर, पोर्टेबल वेंटीलेटर में बेहतरीन माने जाते हैं। इसकी मदद से चिकित्सक आक्सीजीनेशन और ट्रीटमेंट को आसानी के साथ प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है जिससे पल्स रेट रीडिंग में आसानी होती है। इसे 720 घंटे तक आसानी के साथ प्रयोग किया जा सकता है। यूएस-एड द्वारा प्रदान किए गए यह 10 वेंटीलेटर उन वेंटीलेटर्स का भाग हैं जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई संयुक्त वार्ता के दौरान भारत को देने का वायदा किया था। इसका एक भाग हाल ही में अमेरिकी अंबेसडर ने भारतीय रेड क्रास सोसाइटी को दिल्ली में प्रदान किया था।

जोन 2 सील : पूरे परिसर को किया गया सेनेटाइज

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। रायपुर में कोरोना संक्रमण तेजी से अपना पैर पसार रहा है। इसी क्रम में रायपुर नगर निगम के जोन क्रमांक-2 में भी कोरोना संक्रमित मिलने के बाद जोन कार्यालय को सील कर दिया गया है।

शहीद स्मारक स्कूल परिसर में संचालित नगर निगम के जोन 2 कमिश्नर आफिसर को सील कर दिया गया है। डोर-टू-डोर यूजर चार्ज वसूली के दौरान ही यहां किसी संक्रमित के पहुंचने और इसके बाद अन्य लोगों में संक्रमण फैलने की आशंका जताई गई है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे आफिसर को सेनेटाइज किया गया है। ज्ञात हो कि इन दिनों राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से चढ़ता जा रहा है। इसके पहले भी शहर के कई थानों में कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद थानों को भी सील करने की कार्यवाही हो चुकी है। अब नगर निगम के जोन कार्यालयों में भी कोरोना संक्रमितों के पहुंचने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने इसके रोकथाम के लिए शहर में दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में परिवर्तन किया है, लेकिन यह व्यवस्था नाकाफी है।

रायपुर प्रेस क्लब चुनाव 30 दिन में

कलेक्टर भारतीदासन ने दी ज्वाइंट कलेक्टर आरके पांडेय को जिम्मेदारी

नवप्रदेश संवादाता

रायपुर। दो साल से लंबित पड़ा रायपुर प्रेस क्लब का चुनाव अब जिला प्रशासन की देखरेख में होगा। कलेक्टर एस भारतीदासन के निर्देश पर रायपुर के ज्वाइंट कलेक्टर राजीव कुमार पांडेय को चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गयी है। इस बाबत कलेक्टर कार्यालय की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। दरअसल 2 जून 2019 को ही रायपुर प्रेस क्लब की कार्यकारिणी का कार्यकाल खत्म हो गया था। एक साल के कार्यकाल के बाद नियमतः चुनाव कराया जाना था, लेकिन अध्यक्ष दामू अंबेडारे और कोषाध्यक्ष शगुफ्ता शिरीन ने न तो आमसभा आहुत की और न ही पद छोड़ा। जबकि महासचिव प्रशांत दुबे, उपाध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर और ज्वाइंट सिकरेट्री अंकिता शर्मा और गौरव शर्मा ने कार्यकाल के आखिरी दिन ही अपना इस्तीफा दे दिया। पद नहीं छोड़ते देख और चुनाव कराने से इनकार करने के बाद एडहॉक कमेटी समन्वयक सुकांत राजपूत ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। माननीय न्यायलय ने सुकांत राजपूत के समर्थन में फैसला देते हुए जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए शासन को निर्देशित किया था। हाइकोर्ट ने इस मामले में पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को चुनाव कराने का निर्देश दिया था। अब करीब एक महीने के बाद कलेक्टर रायपुर की तरफ से रायपुर प्रेस क्लब का चुनाव कराने का निर्देश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर के आदेशानुसार चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्वाचन अधिकारी संयुक्त कलेक्टर राजीव कुमार पांडेय को कलेक्टर ने संयुक्त कलेक्टर राजीव कुमार पांडेय को निर्वाचक अधिकारी नियुक्त करते हुए सदस्यता पंजी और वैध मतदाता सूची के आधार पर 30 दिन के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया है। आदेश की पुष्टी करते हुए एडीएम विनित नंदनवार का कहना है कि चुनाव नहीं कराने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कलेक्टर रायपुर ने संयुक्त कलेक्टर को निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुए 30 दिन के भीतर चुनाव संपन्न कराने का निर्देश जारी किया है।

कार्यकाल समाप्ति के बाद से चल रही थी प्रक्रिया

चुनाव नहीं कराने पर अड़े प्रेस क्लब अध्यक्ष के रूख को देखते हुए प्रेस क्लब की एजीएम बुलायी गयी थी, जिसमें एक 11 सदस्यीय एक वैकल्पिक कमेटी बनायी गयी थी। इस कमेटी का संयोजक सुकांत राजपूत को बनाया गया था। इस कमेटी ने ही पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मार्च में हाईकोर्ट ने कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को चुनाव कराने का निर्देश दिया था। हालांकि इस आदेश को 2 महीने के करीब हो गया था, जिसके बाद अब जाकर कलेक्टर ने संयुक्त कलेक्टर को चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौपते हुए 30 दिन में निर्वाचन पूरा कराने को कहा है। प्रेस क्लब में 2 साल से वित्तीय लेनदेन का आडिट भी नहीं कराया गया था। हिसाब में कई खामियों की भी शिकायत की गयी थी।

रोजगार उपलब्ध कराने मनरेगा के तहत ज्यादा कार्य स्वीकृत करने के निर्देश

- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने वर्षा ऋतु में किए जा सकने वाले कार्यों की सूची कलेक्टरों को भेजी
- अपूर्ण पक्के कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने कहा

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जरुरतमंद ग्रामीण परिवारों को माँग के अनुरुप रोजगार उपलब्ध कराने पर्याप्त संख्या में ऐसे कार्यों को स्वीकृत कर प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं, जिन्हें वर्षा ऋतु में भी कराया जा सकता है। विभागीय मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव के निर्देश पर प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। विभाग ने वर्षा ऋतु में कराए जा सकने वाले कार्यों की सूची भी कलेक्टरों को भेजी है। विभाग ने अपूर्ण पक्के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बारिश के मौसम में मनरेगा के अंतर्गत मिट्टी कार्यों को छोड़कर ग्रामीण अधोसंरचना, व्यक्तिमूलक और आजीविका संवर्धन के पक्के निर्माण कार्यों तथा नर्सरी व पौधरोपण कार्यों को स्वीकृत कर शुरू करने कहा है। इसके तहत धान संग्रहण केंद्रों में चबूतरों, नए पंचायत भवनों, आँगनबाड़ी भवनों, खाद्यान्न भंडारगृहों और श्मशान घाटों के निर्माण के साथ ही आजीविका संवर्धन के लिए बकरी शेड, मुर्गी शेड, पशु शेड, सुअर शेड तथा वर्मी व नाडेप कम्पोस्ट संरचना के निर्माण को शामिल किया गया है। इन कार्यों के अलावा पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से नर्सरी तैयार करने और ब्लॉक, सड़क किनारे, किनारों एवं तटीय किनारों व बंजर भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण के कार्य किए जा सकते हैं।

परिपत्र में विभाग ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण लागू किए गए लॉक-डाउन के दौरान चालू वित्तीय वर्ष में जून माह के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह तक रोज लगभग औसतन 23 से 24 लाख श्रमिक कार्यरत थे। परन्तु वर्षाकाल शुरू होने और कृषि कार्यों के फ्लस्वरुप योजनांतर्गत कार्यरत श्रमिकों की संख्या में कमी आई है। रोजगार के लिए मनरेगा पर ग्रामीणों की निर्भरता बनी हुई है।

संपादकीय

कांग्रेस में अंतरकलह

देश में लगभग 7 दशकों तक एक छत्र शासन करने वाली सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी इन दिनों सिर्फ नेतृत्व की कमजोरी के चलते अंतरकलह की शिकार हो चुकी है। कांग्रेस के युवा नेताओं और पुरानी पीढ़ी के नेताओं के बीच टकरार होने लगी है। कांग्रेस में आपसी गुटबाजी के चलते पार्टी को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। मध्यप्रदेश में कांग्रेस को इसी अंतरकलह के चलते सरकार गंवानी पड़ी है अब वैसी ही स्थिति राजस्थान में भी नजर आ रही है। राजस्थान के उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से युवा नेता सचिन पायलट की छुट्टी की जा चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सचिन पायलट पर हमला कर रहे है उन्होने आरोप लगाया है कि बीजेपी से सांठ-गांठ कर के सचिन पायलट ने उनकी सरकार को गिराने का षडयंत्र रचा है लेकिन बीजेपी का प्लान फेल हो जाएगा क्योंकि उनके साथ विधायकों का बहुमत है। सचिन पायलट ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले है जिस तरह से कांग्रेस में उन्हे अपमानित किया जा रहा है उससे यह बात स्पष्ट है कि वे कांग्रेस में तो नहीं रहेंगे। अब वे अपनी अलग पार्टी बनाते है या भाजपा में शामिल होते है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सचिन पायलट के साथ जो हुआ है उससे कांग्रेस के ही कई युवा और बुजूर्ग नेता नाखुश है। पार्टी अनुशासन में बंधे होने के कारण वे खुल कर तो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे है लेकिन इन नेताओं ने जो प्रतिक्रिया दी है उससे साफ है कि वे सचिन पायलट के साथ हो रहे व्यवहार से असंतुष्ट है। कांग्रेस के वरिष्ट नेता कपिल सिब्बल ने तो यहां तक कह दिया है कि यदि इसी तरह घोड़े भागते रहे तो अस्तबल में बचेगा कौन। पी चिदंबरम ने भी इशारों ही इशारों में कहा है कि यदि टैलेंट की उपेक्षा की गई तो गूगल भी बेकार हो जाएगा। कंाग्रेस के युवा नेता जतिन प्रकाश और प्रीया दत्त ने भी सचिन पायलट को पार्टी में उपेक्षित किए जाने पर अफसोस जताया है। राजस्थान में तो बड़ी संख्या में कांग्रेस और युवक कांग्रेस के नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसके पहले एक और युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपनी उपेक्षा से त्रस्त होकर पार्टी छोड़ चुके है और भाजपा में शामिल हो गए है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने से मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार गिर गई है अब राजस्थान में भी गहलोत सरकार के गिरने का खतरा पैदा हो गया है। कांग्रेस हाईकमान को चाहिए कि वह कांग्रेस के भीतर मचे घमासान को रोकने के लिए गंभीरता से प्रयास करें अन्यथा कांग्रेस पार्टी को जो पहले ही संक्रमण काल से गुजर रही है उसे और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा जाएगा।

विचार-

असली-नकली राम

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अब एक विचित्र बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम भारत के नहीं नेपाल के रहने वाले थे और असली अयोध्या नेपाल में है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तरह-तरह के दावों का रेकॉर्ड बनाने के मूड में जान पड़ते हैं। उनका ताजा दावा सोमवार को आया, जिसके मुताबिक रामायण के राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाली थे। यह भी कि राम की नगरी अयोध्या वास्तव में नेपाल के बीरगंज शहर के पश्चिम में स्थित एक गांव है।

दुनिया भर में फैले करोड़ों हिंदुओं के सदियों से चले आ रहे विश्वास के विपरीत जाने वाले इस दावे को बहुत से लोग हास्यास्पद मानेंगे, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो यह उतना अजीब भी नहीं है। जिन विभूतियों पर पूरी मनुष्यता को गर्व हो, उन्हें कौन नहीं अपनाना चाहेगा? उनकी जन्मस्थली आदि को लेकर परस्पर विरोधी मान्यताएं बन जाना स्वाभाविक है। यहां तो बात मर्यादा पुरुषोत्तम राम की है, जिन्हें ईश्वरीय अवतार माना गया है। दुनिया में 300 से अधिक रामायण मौजूद हैं, जिनमें राम के जन्म और जीवन को लेकर कही गई कथाओं में काफी भिन्नता है। अगर नेपाल में भी राम के जन्म और जीवन की कोई अलग कथा प्रचलित हो, किसी खास गांव को स्थानीय स्तर पर अयोध्या मानने का चलन हो तो इसमें न कोई बहुत आश्चर्य की बात है, न ही इस पर आपत्ति करने की किसी को कोई जरूरत है। कोई ऐकडेमिक विद्वान या साहित्यविद पर्याप्त प्रमाण जुटाकर इसे बहस का मुद्दा भी बना सकता है। समस्या तब पैदा होती है जब हम ऐसे किसी स्थानीय विश्वास का कूटनीतिक इस्तेमाल होते देखते हैं।

कोई तटस्थ बुद्धिजीवी नहीं, नेपाल के निर्वाचित प्रधानमंत्री बाकायदा बयान जारी करते हैं कि असली अयोध्या उनके देश में है और भारत ने नकली अयोध्या खड़ी करके नेपाल का सांस्कृतिक अतिक्रमण किया है! और इस बयान का समय भी ऐसा, जब भारत और नेपाल के राजनयिक संबंध लगभग अपने समूचे इतिहास के न्यूनतम बिंदु पर पहुंचे हुए हैं। इससे अंदेशा यही बनता है कि दोनों देशों के रिश्तों को अधिक से अधिक बिगाड़ने में ही नेपाल का मौजूदा सत्ताशीर्ष अपना फायदा मान रहा है। हाल में उत्तराखंड की तीन सीमावर्ती जगहों लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी को अपना हिस्सा बताते हुए देश का एक संशोधित नक्शा नेपाली संसद में पारित करा लिया गया। ये तीनों इलाके नेपाल के अलावा भारत-चीन सीमा के भी करीब हैं और सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। 1962 के युद्ध के बाद से ही भारतीय सेना की चौकियां इन इलाकों में बनी हुई हैं।

आपसी झगड़े से कांग्रेस को नुकसान

रमेश सर्राफ

> सचिन पायलट के कांग्रेस छोड़ने से राजस्थान में प्रभावशाली गुर्जर जाति के मतदाता भी भविष्य में कांग्रेस से दूर होंगे। सचिन पायलट युवा है तथा उनके सामने राजनीतिक करने को बहुत समय है। इन सबके चलते भविष्य में पायलट तो फिर भी मजबूत होकर उभर सकते हैं। मगर अपने राजनीतिक जीवन की अंतिम पारी खेल रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पिछला इतिहास देखे तो पार्टी के लिये ज्यादा अच्छा नही रहा है। गहलोत के मुख्यमंत्री रहते कांग्रेस कभी दुबारा चुनाव नहीं जीत पायी है। 2018 में गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेसी सभी 25 सीटों पर बुरी तरह हार गई थी। यहां तक कि अशोक गहलोत का खुद का बेटा भी जोधपुर से करीबन तीन लाख से अधिक वोटों से हार गया था। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व को सोचना चाहिए कि आज पार्टी को जहां अधिकाधिक संख्या में नए युवाओं को जोड़ने की आवश्यकता है। राजस्थान में सचिन पायलेट, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरियाणा में अशोक तंवर, बिहार में अशोक चौधरी जैसे युवा नेताओं को पार्टी छोड़ने से नही रोका गया तो दिन प्रतिदिन जनाधार खोती जा रही कांग्रेस को बचा पाना मुश्किल ही नहीं

कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, केबीनेट मंत्री महाराजा विश्वेन्द्र सिंह व रमेश मीणा को उनके पद से हटा दिया है। साथ ही युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मुकेश भाकर व सेवादल अध्यक्ष राकेश पारीक को भी पद मुक्त कर दिया गया है। राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। विधायक गणेश घोघरा को युवक कांग्रेस व हेमसिंह शेखावत को सेवादल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने भी पायलेट के समर्थन में अपने पद से स्तीफा दे दिया है।

दिल्ली से आये कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रदेश प्रभारी महासचिव अविनाश पाण्डे, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस विधायक दल की लगातार दो बार बैठक लेकर इस बात का ऐलान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर पूरे घटनाक्रम से अवगत करवा दिया है। इसके साथ ही राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की लड़ाई खुलकर सड़कों पर आ गई है। दोनों नेता अपना-अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। सचिन पायलट गुट के विधायक राजस्थान से बाहर हरियाणा के गुडगांव में ठहरे हुए हैं।

कोरोना जैसी महामारी के संक्रमण के दौर में जहां सरकार को अपनी पूरी ताकत कोरोना पर काबू पाने के प्रयास करने में लगानी चाहिये। वही सरकार के मंत्री आपस में ही लड़ रहे हैं। इधर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण हर दिन तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 25 हजार की संख्या को पाकर चुकी है। राजस्थान में गहलोत और पायलट की लड़ाई कोई नई नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद जहां सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। वही अशोक गहलोत दिल्ली में जोड़ तोड़ कर मुख्यमंत्री बन गए थे। तब से ही दोनों नेता एक दूसरे को कमजोर करने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान द्वारा भी राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की लड़ाई को रोकने की दिशा में कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी थी। जिस कारण इनकी लड़ाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। आज स्थिति सचिन पायलट द्वारा पार्टी से बगावत करने तक पहुंच गई है। राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे को चाहिए था कि समय रहते गहलोत और पायलट में सुलह करवाते। मगर अविनाश पांडे सुलह कराने की बजाय खुद गहलोत के पक्ष में खड़े नजर आते रहे। इससे गहलोत विरोधी विधायकों को लगने लगा कि केंद्रीय आलाकमान स्तर पर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जब जून माह में राज्यसभा के चुनाव थे उस वक्त भी गहलोत

और पायलट खेमे में खुलकर टकराव हुआ था। लेकिन पांडे ने उस वक्त भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो सके।

दिसंबर 2018 के विधानसभा चुनाव में जब राजस्थान में कांग्रेस को बहुमत मिला तो प्रदेश के हर कांग्रेसी को यही लग रहा था कि युवा नेता सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना तय है। क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस को उबारने में जितनी मेहनत सचिन पायलट ने की थी। उतनी शायद ही अन्य किसी नेता ने नहीं की थी। फरवरी 2014 में जब सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया उस वक्त राजस्थान में कांग्रेस के मात्र 21 विधायक थे। दिसंबर 2013 में संपन्न हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस बुरी तरह हार चुकी थी तथा हर कांग्रेसी कार्यकर्ता का मनोबल टूट चुका था। ऐसे में सचिन पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष बनते ही राजस्थान के हर जिले का धुआंधार दौरा किया व कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें काम करने के लिए प्रेरित किया था। विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते सचिन पायलट ने पूरे चुनाव को फ्रंट से लीड किया था। पायलेट ने भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे सरकार की नाकामियों को आम जन जन तक पहुंचाया था। जिस कारण लोगों को लगा था कि एक युवा नेता के नेतृत्व में सरकार बनने से कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों पर काम करेगी। मगर जैसे ही चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आये। अशोक गहलोत ने अपने दिल्ली संपर्कों के बल पर मुख्यमंत्री बन गये। गहलोत के मुख्यमंत्री बनते ही पायलट समर्थको में जबरदस्त विरोध देखा गया था। मगर उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी व कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं ने पायलट को मना कर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी।

लेकिन धीरे-धीरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। सरकार में पायलट व उनके समर्थकों की उपेक्षा की जाने लगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई ऐसे लोगों को अपना विशेषाधिकार बनाया जिनकी कांग्रेस कार्यकर्ता के नाम पर कोई उपलब्ध नहीं थी। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने बिना पायलट की सहमति के प्रदेश के बड़े शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में अपनी मनमर्जी के कुलपति, वाइस चांसलर लगा दिए। ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट ने पार्टी से यकायक बगावत कर दी हो। उन्होंने अपनी उपेक्षा की शिकायत बार-बार कांग्रेसी आलाकमान से की थी। मगर आलाकमान ने प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का गठन कर दिया। जो महज कागजी साबित हुई। राजस्थान में सरकार बने डेढ़ साल से अधिक का वक्त हो जाने के बावजूद अभी तक कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियां नहीं देने से कार्यकर्ताओं में सरकार के प्रति गहरा असंतोष है। लोकडाउन के दौरान लोगों के बिजली के बिल माफ करने के लिए सचिन पायलट व उनके समर्थक मंत्रियों ने कई बार खुलकर मुख्यमंत्री से मांग की मगर मुख्यमंत्री ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिस तरह से कर्नाटक व मध्यप्रदेश में कांग्रेस के ही नाराज विधायको ने सरकार गिरा दी थी। वही कहानी राजस्थान में भी दोहराई जा सकती है। मौजूदा घटनाक्रम में भले ही अशोक गहलोत विजेता बन के उभरे हो। मगर कांग्रेस को इसका खामियाजा आने वाले दिनों में उठाना पड़ सकता है। आज एक एक कर युवा नेता कांग्रेस छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। इस बात को कांग्रेस आलाकमान को समझना होगा कि ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही है। जिससे युवा नेतृत्व कांग्रेस से विमुख होता जा रहा।

नेताओं और अपराधियों का गठबंधन भारत को तबाह कर रहा है

कल्याणी शंकर

> तीन दशकों में एक आपराधिक कैरियर के साथ, दुबे एक क्लासिक मामला है कि कैसे एक छोटे सा गुंडा भ्रष्ट प्रणाली की मदद से एक प्रमुख आपराधिक नेटवर्क का विकास हो जाता है। दुबे की मृत्यु मार्च 2017 के बाद से 118 वें मुठभेड़ के रूप में हुई जब योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली थी। दुर्भाग्य से एनकाउंटर में मौत के साथ सच्चाई अब खो गई है क्योंकि विकास दुबे अपने साथियों का नाम बताने के लिए जीवित नहीं। कई लोग कहते हैं कि हत्या कानून के बाहर थी और मौत की सजा वास्तविक सजा नहीं है, क्योंकि उसे न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत थी। न्यायिक व्यवस्था को दोष देने के लिए समान रूप से दोषी ठहराया गया है क्योंकि उसके खिलाफलगभग 60 विषम आपराधिक मामले थे। उसका कुछ बिगड़ नहीं रहा था और वह जमानत पर बाहर था। अपराधीकरण के मुद्दे पर सार्वजनिक मंच पर अक्सर बहस होती रही है।

भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने हाल ही में एक आभासी रैली को संबोधित करते हुए कहा, ÷राजनीति के अपराधीकरण ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, अब हम सभी बंगाल में 'कट मनी' के बारे में सुनते रहते हैं। हमें 'कट मनी' मांगने वाले इन नेताओं का कद छोटा करने की आवश्यकता है, जो पैसे की मांग करते हैं। हमें बंगाल के गौरव को पुनर्स्थापित करने और इस सरकार को पूरी तरह हटाने की आवश्यकता है। ÷ वह अपनी टिप्पणियों में इतना सही था कि एक हफ्ते बाद जो हुआ उसने राजनीति में अपराधीकरण को रोकने की आवश्यकता की पुष्टि की। पिछले हफ्ते पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश के डॉन विकास दुबे की मुठभेड़ में एक बार फिर राजनेताओं और अपराधियों के बीच सांठगांठ पर ध्यान गया और व्यापक बहस शुरू हो गई। दुबे की शुक्रवार को पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने दावा किया था कि वह उसे उज्जैन से ले जाने के बाद कार से शहर के बाहरी इलाके में कार पलटने के बाद दुबे भागने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले 3 जुलाई को, दुबे ने कानपुर में एक शूट-आउट में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। आरोप लग रहा है कि दुबे इसलिए मारा गया ताकि उसका संरक्षण देने वाले राजनेता और पुलिस अधिकारी बचे रहें।

उसकी गिरफ्तारी और मुठभेड़ दोनों ने कई असुविधाजनक सवाल खड़े किए हैं। यूपी में विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार उसे संरक्षण दे रही थी। ऐसा कहते समय विपक्षी दलों के नेता यह भूल रहे हैं कि उनके राज में भी विकास दुबे खूब फला और फूला। कई अन्य पार्टियां जिन्होंने यूपी पर वर्षों तक शासन किया, उन्हें एक डॉन के रूप में विकसित होने में मदद मिली। मायावती से लेकर अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी तक के यूपी नेताओं ने यूपी सरकार पर लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। तीन दशकों में एक आपराधिक कैरियर के साथ, दुबे एक क्लासिक मामला है कि कैसे एक छोटे सा गुंडा भ्रष्ट प्रणाली की मदद से एक प्रमुख आपराधिक नेटवर्क का विकास हो जाता है। दुबे की मृत्यु मार्च 2017 के बाद से 118 वें

मुठभेड़ के रूप में हुई जब योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली थी। दुर्भाग्य से एनकाउंटर में मौत के साथ सच्चाई अब खो गई है क्योंकि विकास दुबे अपने साथियों का नाम बताने के लिए जीवित नहीं। कई लोग कहते हैं कि हत्या कानून के बाहर थी और मौत की सजा वास्तविक सजा नहीं है, क्योंकि उसे न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत थी। न्यायिक व्यवस्था को दोष देने के लिए समान रूप से दोषी ठहराया गया है क्योंकि उसके खिलाफ लगभग 60 विषम आपराधिक मामले थे। उसका कुछ बिगड़ नहीं रहा था और वह जमानत पर बाहर था। अपराधीकरण के मुद्दे पर सार्वजनिक मंच पर अक्सर बहस होती रही है। राजनीति और अपराधियों के बीच की इस सांठगांठ ने अस्सी के दशक के बाद रफ्तार पकड़ना शुरू किया। राजनेताओं ने पहले अपराधियों का इस्तेमाल किया था, बाद में वे खुद संसद में पहुंचने लगे। सुप्रीम कोर्ट और भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) - दो संवैधानिक निकायों ने चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए कुछ सराहनीय कदम उठाए हैं। इस संबंध में फरवरी 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि शीर्ष अदालत ने इस तरह के चयन के लिए कारण पूछे हैं, साथ ही यह भी कि बिना आपराधिक पृष्ठभूमि के अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है। यदि इसे लागू किया जाता है, तो पहली बार राजनीतिक नेतृत्व राजनीति के अपराधीकरण के लिए जवाबदेह होगा। पिछले चार चुनावों में राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण की चिंताजनक प्रवृत्ति रही है। दिलचस्प रूप से फैसले में यह भी कहा गया है कि ÷2004 में, संसद के 24 प्रतिशत सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे। 2009 में, यह 30 प्रतिशत हो गया। 2014 में 34 प्रतिशत और 2019 में 43 फीसदी सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे। इस फैसले के क्रियान्वयन की पहली परीक्षा आगामी बिहार चुनाव होंगे, हालांकि अपराधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार फैसले कम ही हुए हैं। वर्तमान कानून के तहत, केवल उन लोगों को, जिन्हें कम से कम दो साल की सजा देते हुए दोषी ठहराया जाता है, उसे ही उम्मीदवार बनने से वंचित किया जाता है। जरूरी न्यायिक सुधारों, पुलिस सुधारों और चुनावी सुधारों की आवश्यकता है, जो लंबे समय से अपेक्षित हैं। उदाहरण के लिए, दिनेश गोस्वामी समिति सहित चुनाव सुधारों पर कई रिपोर्टें आई हैं, लेकिन वे सभी के सभी धूल खा रहे हैं और उन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया है। चुनाव आयोग को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करने की आवश्यकता है। अपराधियों, पुलिस और राजनेताओं के बीच सांठगांठ को जांचने की आवश्यकता है।

पाठकों की बात — पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

सब अपने घरों को

सब अपने घरों को लौट चुके हैं..नहीं लौट रहा है तो कोरोनावायरस ऐसा ही चलता रहा तो बरसों बीत जाएंगे.. एक बार आप फिर से 21 दिन का लॉक डाउन चाहिए.. पूरे देश में एक साथ ..कर्फ्यू के रूप में.. 3 दिन की अग्रिम सूचना के साथ एक बार कोरोनावायरस के पैरों में बेड़ियां डालनी है पूरी तरह कसकर।

- मनोज स्वाईन

बेटी होने का अर्थ

बेटी को धरती बनाई जा रही सारा बोझ सहने समय का सूरज सोख रहा बेटी के सुख के झरने परम्परा के बादल घुमड़ रहे बेटी की आँखों में झरझर आंसू बरसने बेटी भरने लगी उड़ान पुरुष प्रधान आसमान अब लगा सम्भलने।

- परमेश्वर वैष्णव

ख़ास पाती | जब भी याद करते है उनको

जब भी याद करते है उनको रिमझिम बरसात आ जाती है वो तो आते नहीं मेरी गली आओ फूलों तुमसे बात कर लूं! थोड़ा जी भारी भारी सा है कहते है बात करने से मन का बोझ कम होता है आओ पेड़ो तुमसे बात कर लूं! उड़ते पक्षियों को देख दिल को सुकून मिलता है खुदको बंदिशों में पाती हूँ आजादी के पंख चाहती हूँ आओ पक्षियों तुमसे बात कर लूं। मंद मंद बयार बह रही तन को छूकर मन बहला रही बार बार जिया को तड़पाती है नैनों से चैन चुराती है आओ बयार तुमसे बात कर लूं! नीला नीला आस्मां है उस पर पुरा चाँद खिला है छवि वहां तुम्हारी बनती है आओ आस्मां तुमसे बात कर लूं। **- कुमारी अर्चना बिट्टू**

काना-फूसी बंद हो कर लें

काना-फूसी बंद हो, कर लें मन की बात। सत्ता कुर्सी के लिये,चलती मुक्का लात। मैं दानव से हो बड़े, खोजें उनको आप। रावण जैसा मर गए,भरकर सर में पाप। मारे पलटी देखिये, सोचे अपनी बात। दलबदलू बन देखते,जनता मारे लात। भूल-चूक को भूलकर, करिये मिलकर काम। अल्प-लाभ को छोड़िये,होगा जग में नाम। भूल-चूक ही वे करें,भुगतें जनता आज । सत्ता कुर्सी बांचते,किसको आती लाज। **- नवीन कुमार तिवारी**

ठहरे पानी में ये हलचल लहर उठा

ठहरे पानी में ये हलचल लहर उठा देता है कौन ? अहसासों को दाना , पानी , और हवा देता है कौन ? गीत ग़ज़ल ये छंद महकते , इतने भी आसान कहाँ , साँकल दिल की खटका कर ये,रोज़ लिखा देता है कौन।

- राजेश श्रीवास्तव 'प्रखर'

राधा काहे रूठी बोलो, भेद सखी

राधा काहे रूठी बोलो, भेद सखी कुछ खोलो, जाने कहाँ छुपी बैठी, जिया तो अधीर है। सखी बोली सुनो श्याम, मिले नहीं कल शाम, इसीलिये राधिका की, अँखियों में नीर है। सुनी बात हँसे श्याम, हँसे - हँसे चले धाम, पनघट बैठी राधा, लखती शरीर है। बाँसुरी की सुन तान, राधा तन आई जान, छलिया का छल जान, दूर हुई पीर है।।

- अंशु विनोद गुप्ता

दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो एक तो चुप रहनाऔर

दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो एक तो चुप रहना, और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी, कोई सजा नहीं।

मोना सेन गुप्ता

जूतियाँ नहीं समझती हैं हीन खुद

जूतियाँ नहीं समझती हैं हीन खुद को कभी भी किन्तु एक आदमी दूसरे आदमी को कहता है जब अपने पाँव की जूती वे सिसक पड़ती हैं अपने होने पर ।

-कल्पना मनोरमा

तुम संग जज्बातों का रिश्ता बड़ा गहरा

तुम संग जज्बातों का रिश्ता बड़ा गहरा है तेरे न होने पर भी तेरा ख्याल रहता दिल में है रंग गुलाबी हो चुकी है तुम्हारी यादों का महकती है सांसे तेरे एहसासों की नमी से।

- बबली सिन्हा

QUIZ TIME

1) किस बॉलीवुड अभिनेत्री को युनिसेफ के 'डैनी काये मानवतावादी पुरस्कार' से सम्मानित किया गया?
(क) आलिया भट्ट (ख) प्रियंका चोपड़ा (ग) ऐश्वर्या राय (घ) दीपिका पादुकोण

2) जम्मू-कश्मीर में एनएच-44 पर भारत की सबसे लंबी चेनानी-नाशरी सुरंग का नाम क्या रखा गया है?

3) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश भर के स्कूलों के लिए किस प्रणाली का शुभारम्भ किया है?

4) किस एजेन्सी ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण और पोषण रोकथाम तथा जाँच इकाई स्थापित की?

5) किसे यूएस सॉकर फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 चुना गया? (जूली एट्रज / मेगन रेपिनो)

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) प्रियंका चोपड़ा (2) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (3) फिट इंडिया स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम (4) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (5) जूली एट्रज

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1661- यूरोप में पहला बैंक नोट स्वीडिश बैंक स्टॉकहोम बैन्को ने जारी किया था। 1856 - हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। 1909 - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अरुणा आसफ अली का जन्म हुआ था। 1935 - ओकलाहोम सिटी में पहला पार्किंग मीटर इंस्टॉल किया गया था। 1945 - अमेरिका ने परमाणु बम का पहला परीक्षण किया। 1951- नेपाल को ब्रिटेन से आजादी मिली। 1968 - भारतीय हॉकी कप्तान धनराज पिल्लै का जन्म हुआ था। 1969 - चंद्रमा पर सबसे पहले उतरने वाला अन्तरिक्ष यान अपोलो-11 था जिसे केप केनेडी से छोड़ा गया था। 2013 - बिहार के सारण जिले में स्कूल में मध्याह्न भोजन करने के बाद 23 बच्चों की मौत।

न्यूज गैलरी

बंदी मौत मामले में दावा आपत्ति

दुर्ग। केन्द्रीय जेल दुर्ग में दण्डित बंदी शिवाकर उर्फ शिवा योगी पिता करणनाथ द्वारा 20 जून को जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या करने के संबंध में दण्डाधिकारी जांच की जाएगी। जिला दण्डाधिकारी सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व दुर्ग शहर खेमलाल वर्मा को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। उनके द्वारा बंदी की मृत्यु के संबंध में जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। दण्डाधिकारी के द्वारा जांच बिन्दु निर्धारित किए गए है। इनमें क्या दण्डित बंदी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थाए क्या बंदी को समय पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, बंदी की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, बंदी की मृत्यु के लिए क्या इस घटना को टाला जा सकता था।

श्रमिकों को कोरोना की दी जाएगी जानकारी

स्वास्थ्य कर्मियों की लेगे मदद, एचआईव्ही एड्स के प्रति किया जाएगा सतर्क

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। बचाव ही सुरक्षा का एक मात्र उपाय इसलिए जरूरी मनरेगा श्रमिको को कोरोना और एड्स की जानकारी इसलिए देने का फैसला किया गया क्योंकि कोरोना और एड्स दोनो से श्रमिकों को जानकारी देकर ही बचाया जा सकता है। मनरेगा श्रमिकों को किया जाएगा जागरूक ग्रामसभा और रोजगार दिवस कार्यक्रमों में दी जाएगी जानकारी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने कोरोना वैश्विक महामारी के बीच लाखों श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया। साथ ही ग्रामीणों को कोराना से बचने के लिए उपाय बताए तो अब एच आईवी.एड्स से बचाव के उपाय भी मनरेगा क श्रमिकों को बताए जाएगे। मनरेगा योजना के साथ चिकित्सा विभाग से समन्वय बनाकर हूमन इम्यूनों डिफिशिएसी वायरस एचआईवी एड्स के बारे में कार्यस्थल ग्राम सभा पंचायत की बैठकों, रोजगार दिवस जैसे आयोजनों में श्रमिकों को बताएगे जिला पंचायत सीईओ एस आलोक ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महात्मा गांधी नरेगा रायपुर से निर्देश प्राप्त हुए है कि एचआईवी एडस के बारे में अधिक से अधिक मनरेगा के श्रमिकों को विशेषकर महिला श्रमिकों को जानकारी दी जाए। एचआईवी एड्स के बारे में वैसे तो बहुत लोग जानते है लेकिन इस संबंध में लोग खुलकर बात नही करते है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इसलिए जरूरी है कि इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए इसके साथ ही कोरोना से बचाव और संक्रमण को रोकने के बारे में भी लोगों को जितनी अधिक जानकारी इस विषय की होगी इस बीमारी से बचा जा सकता है। जिला स्तर से स्वास्थ्य विभाग से भी समन्वय बनाकर कार्य किया जाएगा और जनपद पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य अमले की सेवाएं इसमें ली जाएगी इस संबंध में सभी जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्रियान्वयन एजेंसी को पत्र जारी किया गया है। वर्तमान में कोराना महामारी का प्रकोप हैं ऐसे में मनरेगा योजना में ग्रामीणों की व्यापक भागीदारी को देखते हुए श्रमिकों को विशेषकर महिलाओं का कोरोना एवं एड्स से बचाव से संबंधित सही जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा।

आबकारी विभाग द्वारा 12 पेटी विदेशी शराब जप्त

दुर्ग। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे के निर्देश एवं सहायक आयुक्त आबकारी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब धारण, विक्रय एवं परिवहन की सूचना पर प्रातः गश्त के दौरान ग्राम घटियाखुर्द थाना नंदिनी में आरोपी मिश्रीलाल साहू आ. बिसाहू के कब्जे से 07 पेटी 63 बल्क लीटर मध्यप्रदेश निर्मित मदिरा गोवा स्पेशल व्हिस्की एवं आरोपियां गौरी बाई पारधी पति प्रमिला लाल पारधी के कब्जे से 5 पेटी, 45 बल्क लीटर मध्यप्रदेश निर्मित मदिरा गोवा स्पेशल वहसिकय कुल मात्रा 108 बल्क लीटर मदिरा जप्त कर छग आबकारी अधिनियम 1915 की धरा 34(2), 59 (क) एवं 36 के तहत 02 प्रकरण पंजीबध्द किया गया है। उक्त प्रकरण में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

बाजार व चौक चौराहों में 24 लोगों से वसूला जुर्माना

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। निगम स्वास्थ्य विभाग अमला द्वारा ग्रीन चौक, इंदिरा मार्केट और चंण्डी मंदिर चौक में राहगीरों को रोक.रोककर बिना मास्क के लिए हिदायत दिये तथा उनसे 50.50 रु जुर्माना लिया। निगम के मुख्य स्वच्छतारी निरीक्षक जसवीर सिंह भुवालए स्वच्छता निरीक्षक मेनसिंग मंडावीए राजेन्द्र सराटे की टीम द्वारा तीनों स्थानों में बिना मास्क के आने.जाने वाले लोगों की जांच कर समझाईश दिये। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण का खतरा निरंतर बढ़ते जाने के कारण शासन एवं प्रशासन द्वारा लगातार एहतियात बरतने के निर्देश दिये जा रहे हैं साथ ही अनलॉकडाउन के तहत् सोशल डिस्टेंस तथा मास्क पहनने के नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है। निगम आयुक्त

इंद्रजीत बर्मन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग का तीन दलों ने स्टेशन एरिया के ग्रीन चौक, इंदिरा मार्केट क्षेत्र और चंडीमंदिर चौक में बिना मास्क वाले लोगों की जांच की गई। आयुक्त ने शहर की आम जनता एवं शहर आने वाले समस्त नागरिकों से अपील कर कहा कि वे कोरोना संक्रमण से बचाव के तहत् सोशल डिस्टेंस का पालन अवश्य करें तथा मास्क का उपयोग जरुर करें। निगम द्वारा बिना मास्क वालों और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन के आदेशानुसार कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

निगम ने टूलकिट के बारे में दी जानकारी

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई नगर। नगर पालिक निगम सभागार में स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। शहरी राज्य अभिकरण रायपुर के पीयूआई के हरीश ठाकुर ने निगम के अधिकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय शहरी आवास मंत्रालय की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 के अंतर्गत जारी टूलकिट गाइडलाइन पुस्तिका और ई.लर्निंग कोर्स के बारे में बताया। निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी, उपायुक्त अशोक द्विवेदी, उपायुक्त तरूण पाल लहरे, अधीक्षण अभियंता आरके साहू,

सभी जोन आयुक्त, ईई, ई, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रा, जोन सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक व पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में पावर पाइंट के माध्यम से टूलकिट स्वच्छ सर्वेक्षण.2021, ई.लर्निंग कोर्स, स्वच्छता से संबंधित गाइडलाइन, लोगों से फीडबैक, सर्वेक्षण और डाक्यूमेंट से संबंधित कार्यो को वीडियो के माध्यम से प्रेजेंटेशन दिया। सभागार में दो पालियों में हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण के 26 बिदुंओं पर निर्धारित अंक, तीन.तीन माह की अंतराल में होने वाले सर्वेक्षण और कचरे का निष्पादन के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को गाइडलाइन में सोशल फीडबैक, कचरों का पृथकीकरण, सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के निष्पादन के साथ हानिकारक कचरों के विनिष्टीकरण जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रोजेक्टर के माध्यम से जानकारी दी गई। आयुक्त ने सभी अधिकारियों को स्वच्छ सर्वेक्षण के गाइडलाइन के मुताबिक कार्य करते हुए सभी सरर्टीफीकेशन निर्धारित समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

21 कर्मचारियों की हुई कोविड जांच

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। कोरोना वारियर्स के रूप में काम कर रहे 21 सफाई कर्मियों का स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जोन 1 नेहरू नगर स्थित एसएलआरएम सेंटर में शिविर लगाकर कोविड.19 की जांच के लिए स्वाब का सेंपल लिया। स्वच्छता मित्र और निगम के कर्मचारी लॉकडाउन के दौरान वार्डो में लगातार सफाई कार्य में जुटे हुए हैं। ऐसे में इन कर्मचारियों को किसी प्रकार का संक्रमण न फैले। इसकी आशंका हमेषा बनी रहती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए महापौर देवेन्द्र यादव व आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने जिला स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पत्र लिखकर निगम के कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण और कोरोना जांच की मांग की थी। पीयूआई टीम के हरिश ठाकुर ने बताया कि निगम प्रशासन की मांग के अनुसार जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम निगम के कर्मचारियों का आरटीपीसीआर रेंडम जांच के लिए स्वाब का सेंपल एकत्र कर परीक्षण के लिए रायपुर भेजा जा रहा है। मंगलवार को एसएलआरएम सेंटर में कार्य करने वाले 21 कर्मचारियों का नोवल कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए सैंपल लिया। वहीं चिकित्सकों ने सभी कर्मचारियों कार्य के दौरान एक दूसरे से दो गज की दूरी बनाए रखने, हाथ को बार.बार साबुन से धोने, चेहरे पर मास्क लगाने या नाक और मुंह को स्कॉर्फ से ढंककर रखने की सलाह दिया।

चालानी कार्यवाही

भिलाई.03। आदेशानुसार नगर पालिक निगम भिलाई.चरौदा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गठित टीम भिलाई.03 पुराना मार्केट, सिरसा चौक, निहारिका व्यावसायिक परिसर में बगैर मास्क लगाये व्यवसाय कर रहे व्यवसायियों, ग्राहकों के साथ.साथ मार्केट में घूमने वालों के खिलाफ आयुक्त कीर्तीमान सिंह राठैर के नेतृत्व में सुबह 11 बजे पूरी टीम के साथ एकाएक चालानी कार्यवाही कर दाण्डिक राशि वसूली की गई। सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 9 से शाम 7 बजे तक ही दुकान खुले रखने सख्ती से निर्देश व निर्देशों का पालन नहीं करने पर चालानी कार्यवाही की जावेगी।

संजय नगर में 40 मीटर नाले की सफाई

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। संजय नगर सुपेला क्षेत्र में बारिश के दौरान नाला में कचरा भर जाने की वहज से निकासी की समस्या बनी हुई थीए जहां आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विशेष सफाई अभियान चलाकर करीब 40 मीटर नाले की सफाई किए। जोन 01 नेहरू नगर क्षेत्रांतर्गत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने हड्डी गोदाम के पीछे

मिलेगी बड़ी राहत

बड़े नाला की गई कई वर्षो से सफाई नहीं हुई थी, जिस वजह से बारिश के सीजन नाले का गंदा पानी सड़कों पर बहता था। क्षेत्र के नागरिकों द्वारा जोन कार्यालय में जानकारी देकर सफाई कराने की मांग की गई। जिस पर जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि ने निर्देश पर आज सुबह से 7 कर्मचारियों को दल बनाकर नाले में लंबे समय से जाम कचरों की मैनुअल सफाई करवाया। कर्मचारियों की टीम ने पुल में फंसे, झिल्ली पन्नी, मलबा, झाड़ियों व कचरे को औजार से हटाते हुए करीब 40 मीटर लंबी कच्ची नालियों की सफाई की गई। सफाई होने के बाद अब तेज बारिश होने के बाद भी पानी का बहाव तेजी से होगा और नाले का गंदा पानी बाहर नहीं आएगा न ही पानी जाम होने की नौबत नहीं आएगी।

सरकार द्वारा नि :शुल्क पट्टा वितरण किया जाए : लोकेश

कुम्हारी। नगर पालिका परिषद नेता प्रतिपक्ष लोकेश साहू सहित भाजपा पार्षदों ने कहा कि छग राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत निकायों में लगभग 10 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से जो पट्टे का वितरण किया जा रहा है वह न्यायोचित नहीं है। इसके तहत प्रत्येक परिवार से 6000 से 8000 हज़ार आगामी 10 वर्षो तक लिया जाएगा। अभी जबकि कोरोना महामारी से सारा प्रदेश ही नही देश भी जूझ रहा है ऐसे में यह लोगों की परेशानी का कारण बनेगा। जबकि पिछली 2018 की भाजपा सरकार ने बिना कोई शुल्क लिए ही पट्टा दिया था। मुख्यमंत्री से गुज़ारिश है कि वर्तमान समय और परिस्थितियों को देखते हुए निःशुल्क पट्टा प्रदान करें ताकि विषम परिस्थियों में राहत मिले।

बिना मास्क घूमने वालों पर लगा जुर्माना

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। नगर पालिक निगम के जोन 1 व 2 और जोन 3 की टीम ने शासन के गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालेए चेहरे पर मास्क लगाए बिना घूमने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। अपने जोन क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार, सब्जी व फल मंडी और मार्केट का निरीक्षण कर बिना मास्क के कारोबार करने वाले व्यापारी, ग्राहक और राहगीर सहित कुल 64 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई। उनसे कुल 8100 रुपये अर्थदंड वसूल किया गया। जोन 3 की टीम ने जुर्माना की राशि जमा नहीं करने वालों से दंड बैठक भी लगवाया। जोन 3 की आयुक्त प्रीति सिंह की टीम ने जवाहर मार्केट सर्कुलर मार्केट और नेताजी सुभाषचंद्र बोस मार्केट निरीक्षण कर कुल 46 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की। उनसे 5200 जुर्माना निगम के कोष में जमा करवाया। टीम में जोन के स्वास्थ्य अधिकारी आरपी तिवारी, स्वच्छता निरीक्षक वीके सैमुअल जितेंद्र वर्मा और छावनी थाना जवान शामिल थे। निगम उपायुक्त अशोक द्विवेदी एवं जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि के निर्देश पर जोन एक का राजस्व अमला ने उत्तर गंगोत्री सुपेला, लक्ष्मी नगर सब्जी मण्डी, कोहका, जेवरा सिरसा रोड सहित अन्य जगहों से वसूला गया।

कंटेंमेंट क्षेत्र घोषित

दुर्ग। जिले अमलेश्वर तहसील पाटन एवं भोथली जिला दुर्ग में नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने पर संबंधित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के परिणामस्वरूप कन्टेनमेंट जोन में चिन्हांकित क्षेत्र में सभी प्रकार के दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेगी। इसके अलावा सभी प्रकार की वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। क्षेत्र की निगरानी पुलिस विभाग के द्वारा पेट्रोलिंग कर की जावेगी। जिला चिकित्सालय व स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी के साथ ही निर्देशानुसार सेम्पल की जांच की जायेगी।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400293

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती सुमन शर्मा पति श्री दिनेश शर्मा निवासी केलाबाड़ी दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम पोटियाकला प.ह.न. 23 अ तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 479/2 रकबा 0.020 हें/ 2255 वर्गफुट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 14.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400231

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती श्यामा साहू पति रामभरोसा साहू निवासी खामतराई डौण्डीलोहारा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 872/3 रकबा 0.0190 हें/ 2100 वर्गफुट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 09.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202005100400426

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री शिव साहू आ. श्री भरतराम साहू निवासी के.सी. 5 सेक्टर भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 56/13 रकबा 0.0240 हें/ 2640 वर्गफुट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 27.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202006100400997

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती शुभलक्ष्मी साहू पति शिव साहू निवासी सेक्टर 8 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 275/73 रकबा 0.028 हें/ 3000 वर्गफुट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400286

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री परमजीत सिंह बिरदी आ. बी.एस. बिरदी निवासी प्रगति नगर रिसाली भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 334/2 रकबा 0.010 हें/ 1500 वर्गफुट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 14.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400214

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक रामवृक्ष यादव आ. मुखराम यादव निवासी मरोदा स्टेशन भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 442/2 रकबा 0.03 हें/ 3268 वर्गफुट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 08.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400243

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती अनिता पन्डागरे पति श्री श्यामराव पन्डागरे निवासी दल्लीराजहरा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम सिकोला प.ह.न. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 180 रकबा 0.022 हें/ 2400 वर्गफुट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 10.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400298

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती नम्रता वर्मा आ. महेन्द्र वर्मा निवासी उतई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1096/10 रकबा 0.01 हें/ 1250 वर्गफुट भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 14.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400297

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक विनोद कुमार खेलवार आ. मंगलूराम खेलवार निवासी उतई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 44/7 रकबा 0.016 हें/ 1800 वर्गफुट भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 14.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400159

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री किशुन राम साहू आ. बाहरु राम साहू निवासी रिसाली तहसील व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1048/20 रकबा 0.01 हें/ 1500 वर्गफुट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 07.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100401092

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती बुधयारिन बाई देशलहरे पति चमनलाल देशलहरे निवासी भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 490/6 रकबा 0.023 हें/ 2601 वर्गफुट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 29.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400938

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक चुन्नुलाल साहू आ. दुजलाल साहू निवासी चुलगहन तहसील पाटन जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 142/5 रकबा 0.021 हें/ 2345 वर्गफुट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400957

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती संगीता प्रधान पति मनोज प्रधान निवासी भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 65/2 रकबा 0.02 हें/ 2232 वर्गफुट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

मुहर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400943

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री कीर्ति कुमार चंद्राकर आ. सेवकलाल चंद्राकर निवासी कुथरेल तहसील व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1266/10 रकबा 0.029 हें/ 2782.25 वर्गफुट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400274

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक मो. इस्लाम आ. शमसुद्दीन निवासी फरीद नगर कोहका भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 664/8 रकबा 0.022 हें/ 2451 वर्गफुट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 13.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

बीएसएनएल ने खोदाई के दौरान नगर पंचायत की पाईप लाईन हुई क्षतिग्रस्त

नवप्रदेश संवाददाता

लवन। केवल बिछाने बीएसएनएल की खोदाई से लवन तहसील चौक से गई नगर पंचायत के द्वारा बिछाई गई पाईप लाईन फुट गई। पाईप लाईन फुटने के कारण वार्ड में चार दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। जिसके चलते मुख्य मार्ग तहसील चौक के आसपास निवासरत लोगों के घरों में जल प्रदाय भी प्रभावित हो गई है। नगर पंचायत लवन द्वारा फुटी पाईप लाईन की मरम्मत का काम शुरू किया गया है।

विदित हो कि नगर पंचायत द्वारा लवन मुख्य मार्ग के किराने पाईप लाईन का विस्तारीकरण पिछले 15 वर्ष पहले किया गया था। जिस पर विगत कुछ दिनों से लवन व आसपास गांवों में केबल बिछाने के लिए बीएसएनएल द्वारा खुदाई की जा रही है। खुदाई मशीन से की जा रही है। खोदाई के दौरान पानी सप्लाई के लिए नगर पंचायत की पाईप लाइन कहीं पर फुट गई। अंदरूनी

लिकेज होने के चलते पाईप लाइन कंहा से फटा है। यंहा नगर पंचायत को पिछले चार दिनों से समझ नहीं आई है। नगर पंचायत व जन संचार विभाग के चलते मेन रोड में निवासरत लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। जिसके चलते वार्ड के लोग दूसरी जगह से पानी लाने को मजबूर है। वार्ड में निवासरत लोगों को पीने के पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है, वही नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधि चैन की निद्रा में सोये हुए है। पाईप लाईन लिकेज होने की जानकारी होने के बावजूद यहां के जिम्मेदार अधिकारी, जनप्रतिनिधि सुध नहीं ले रहे है। नतीजन वार्ड के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार केबल बिछाने के दौरान कोई भी पाईप क्षतिग्रस्त हो या कुछ नुकसान हो तो इसका मुआवजा जिस विभाग के द्वारा केबल का विस्तारीकरण किया जा रहा है, उस विभाग के द्वारा स्थानीय प्रशासन को दिया जाता है। लेकिन यंहा नगर पंचायत लवन में पदस्थ स्थानीय कर्मचारी द्वारा पाईप लाईन को ठीक करने का काम किया जा रहा है। वही नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी सीएमओं को मोबाईल से चर्चा किया गया तो उसने किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होना बताया। इस प्रकार नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी सीएमओं को नगर पंचायत के अधीनस्थ कर्मचारी धोखे में रखकर खुब मुनाफा बटोर रहे है।

> **क्या कहते है सीएमओ**
>
> आपके द्वारा जानकारी मिला है। मुझे किसी कर्मचारी या विभाग के द्वारा पाईप लाईन फटने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दिया गया है।
>
> **मनीराम जायसवाल,** सीएमओ, नगर पंचायत लवन

न्यूज गैलरी

गरियाबंद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते कगार पर

गरियाबंद। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते ही जा रही है। यह महामारी कम होने का नाम ही नही ले रही है।

देवभोग क्षेत्र से आज फिर दो कोरोना मरीज सामने आए हैं। दोनों मरीज देवभोग क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनआर नवरत्न से मिली जानकारी के अनुसार देवभोग के गंगराजपुर गांव के बताए जा रहे हैं । दो लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने की बात कही गई है । दोनों मरीज़ पुरुष बताए जा रहे हैं । फिलहाल दोनों को रायपुर रिफर करने की तैयारी की जा रही है। गरियाबंद जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है ।

वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न

गुण्डरदेही। ग्राम भिलाई चीचा शा उच्चतर मा विद्यालय विकास खण्ड गुण्डरदेही में वृक्ष रोपण का कार्य क्रम किया गया। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि थानसिंह मंडावी, पूर्व जनपद सभापति ओंकार प्रसाद सिन्हा, सरपंच उमेश ठाकुर, प्राचार्य श्रीमति के लता वेणु गोपाल,मनोज पटेल उपसरपंच, एस एम सी अध्यक्ष माखन साहू, रोहित चंद्राकर , देवघर साहू, लक्ष्मी नारायण चंद्राकर,जनक यादव, भूपेन्द्र साहू पंचायत सचिव, मुन्ना लाल कोटवार, पंच गण एवम् समस्त ग्रामवासी भिलाई उपस्थित थे।

मोटराईज्ड ट्राईसायकल मिलने पर दिव्यांगों के खिले चेहरे

गरियाबंद। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में आज तीन अस्थिबाधित दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राईसायकल प्रदान किया गया, जिसमें गरियाबंद जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम कोचवाय के श्री देवकुमार कश्यप, ग्राम नागाबुड़ा के श्यामू राम कंवर और ग्राम पाथरमोंहदा के डोमार ध्रुव शामिल है। कलेक्टर छतर सिंह डेहरे ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग उपकरण/सहायक उपकरण वितरण योजना अंतर्गत अस्थिबाधित दिव्यांगों को अपने कर कमलों से मोटराइज्ड ट्राईसायकल प्रदान किया। मोटराइज्ड ट्राईसायकल मिलने पर दिव्यांगों के चेहरे खिले गये। दिव्यांगों ने बताया कि उन्हें चलने एवं अन्य आवश्यक कार्य करने में परेशानियां हो रही थी। वे मोटराइज्ड ट्राईसायकल के लिए विभाग में अपना आवेदन प्रस्तुत किये थे। उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर जिला प्रशासन ने गंभीरता से ध्यान देते हुए आज उन्हें मोटराइज्ड ट्राईसायकल उपलब्ध कराया है। अब हमें चलने में सुविधाएं होगी। दिव्यांगों ने इसके लिए शासन-प्रशासन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किये। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के उप संचालक नरेन्द्र देवागंन एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे।

छुईखदान सचिव संघ का हुआ गठन, नीलेश सिंह और लोकेश जंघेल को मिली अहम जिम्मेदारी

गंडई पंडरिया। प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आवहन पर छुईखदान जनपद पंचायत आज मंगलवार को सचिव संघ का गठन किया गया। जिसमें डोगरगढ़ से संगठन के केदान सिन्हा एवं राजाराम उईके की उपस्थिति में निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न हुआ। जिसमें नीलेश सिंह को सचिव संघ के अध्यक्ष निर्वाचित किया गया तथा सचिव संघ का सचिव के पद पर लोकेश जंघेल, सह सचिव के लिए सुरेश झारिया, कोषाध्यक्ष के लिए अशोक साहू, उपाध्यक्ष आत्मा साहू, लाला जंघेल, शिव नेवरे, झुमुक साहू, मिडिया प्रभारी के लिए रमेश साहू, विशेष सलाहाकार सागर जंघेल, संरक्षक बाला जंघेल, कपिल दास मानिकपुरी, सुखनंदन सोनवानी, प्रवक्ता भागवत मानिकपुरी, कार्यकारणी सदस्य श्री मति प्रीति राजपुत, सुनीता साहू, रामबाई पाल, सूरेश झारिया, गजेन्द्र देवांगन, चन्द्रेश सेन, कंस पटेल, छबिलाल साहू, तुका पटेल, कम्लेश साहू, अजय जंघेल, रेखचंद महिलांगे निर्वाचित हुऐ है।

आसमान छुने लगे सब्जियों के दाम

नवप्रदेश संवाददाता

लवन। कोरोना काल में पहले लॉकडाउन के दौरान लोगों की जेब काम धंधे बंद होने के कारण खाली हो गई। अब मंहगाई लोगों का दिवाला निकाल रही है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे है। इसके चलते मंहगाई की आग रसोई तक पहुंच गई है। टमाटर 50 से 60 रूपये प्रति किलो की दर से बिका। थोक से लेकर, खुदरा दुकानदार तक, खानपान के ठेलो, ढाबों, रेस्टोरेंट के खुलने

के बाद सब्जियों की अधिक खपत, अन्य राज्य व जिला से निर्यात और हाल में बढ़े पेट्रोल-डीजल के दामों को ठहरा रहे है। हालांकि जनता के अनेक तर्क है। लोगों की मांग है कि सरकार ईधन के दामों को स्थिर करें। इसके साथ ही लॉकडाउन में सब्जियों और खाद्य सामाग्रियो के दामों को प्रतिदिन निर्धारित किया जा रहा था। उसी प्रकार की व्यवस्था फिर से प्रशासन लागू करें। अनलॉक में ढाबे और रेस्टोरेंट सहित खानपान की ठेले खुलने के बाद सब्जियों की खपत बढ़ी है। इसके साथ ही पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी और और बाहरी जिलों में निर्यात का असर दामों पर पड़ रहा है। पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने की वजह से सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ रहे है। वही सब्जियों का स्वाद प्याज टमाटर ही बढ़ाता है। इससे घर का बजट काफी बढ़ गया है। मध्यम वर्गीय लोगों ने खाने की थाली में रखी सब्जियों को घटाते-घटाते बिल्कुल कम कर दिया है। कोरोना संक्रमण को लेकर पहले से ही परेशान आम जनता को सब्जी की मंहगाई ने करारा झटका दिया है। सब्जियों के दाम एक बार फिर आसमान छू रहे है। पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे है।

परियोजना क्रियान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न

गरियाबंद । संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के सभाकक्ष में आज एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर छतर सिंह डेहरे की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विशेष केन्द्रीय सहायता/संविधान के अनुच्छेद 275 (1) मद अंतर्गत स्वीकृत कार्यो तथा कमार/भुंजिया विकास अभिकरण अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना / राज्य आयोजना मद अंतर्गत स्वीकृत कार्यो की अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा की गई।

जिपं सदस्य ने दिया विभिन्न मुद्दों को लेकर आवेदन, बताया आम नागरिकों को उनका हक दिलाने हमेशा रहेंगे तत्पर

गंडई पंडरिया । वनांचल क्षेत्र की आम जनता के जरूरतों को ध्यान में रखते हुये ज़िला पंचायत सदस्य ममता राजेश पाल अपने क्षेत्र की जरूरी मांग और परेशानियों को लेकर वे विधुत कम्पनी के मुख्य अभियंता टी.के. मेश्राम से मिले और आवेदन दिए । श्रीमती पाल ने अपने आवेदन में बताया कि राजनांदगांव जिले के छुईखदान जनपद पंचायत के अंतिम छोर साल्हेवारा एवं पैलीमेटा में सब स्टेशन 3.15 एम, व्ही. ए. ट्रांसफार्मर लगा है जो क्षेत्र के लिए प्रयास नही हो पा रहा है लोड ज्यादा होने की वजह से लो वोल्टेज बना रहता है दोनो ही सब स्टेशन में बोर लाईन के लिए अलग एवम गाँव के लिए अलग 3.15 या 5 एम.व्ही. ए.ट्रांसफार्मर लगाया जाना चाहिए ताकि बिजली गुल एवम लो वोल्टेज की समस्या से ग्रामीणों को निजात मिल सके । अभी वर्तमान

> **कलेक्टर को भी इन मुद्दों पर दिए आवेदन**
>
> वनांचल क्षेत्र के ग्राम मगरकुंड व साल्हेवारा में रिलायंस जियो मोबाईल टावर लगाया जा चुका है ग्राम मगरकुंड में पिछले 2 सालों से लगा टावर आज तक चालू नही हुवा है वही साल्हेवारा में लगा रिलायंस जियो बहुत ही कमजोर चल रहा है जिसके कारण उपभोक्ता परेशान है दोनो ही टावरों को दुरुस्त करने की मांग किया गया व ग्राम पंचायत कोपरो.बकरकट्टा. भोथली में नया टॉवर लगाने की मांग कीया गया ताकी वनांचल क्षेत्रवासी दूरसंचार का लाभ ले सके।

में ऑनलाईन शिक्षा प्रणाली प्रारंभ हो चुका है लो वोल्टेज की वजह से विद्यार्थी ऑनलाईन पढ़ाई से वंचित हो रहे है जिससे विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो सकता है।इसलिए इस मामले पर त्वरित कार्यवाही होना चाहिए।

ग्राम ठाकुटोला में उप सहकारी समिति की मांग : सेवा सहकारी समिति मर्या.पैलीमेटा में कुल पंजीकृत कृषक 1960 है समिति ने इनके द्वारा कुल 76020.00 क्विंटल धान खरीदी किये है। धान उपार्जन केन्द्र में आश्रित ग्राम की दूरी 18 से 20 कि. मी. है उक्त दूरी वाले किसानों द्वारा धान विक्रय करने समिति में लाये जाते हैं। इस प्रकार काफी दूरी तय कर किसानों को अपने धान विक्रय करने में परेशानी उठाना पड़ता हैं । साथ ही धान उपार्जन केंद्र पैलीमेटा में खरीदी स्थल छोटा होने के कारण किसानों एवं समिति के कर्मचारियों व संचालक मण्डल सदस्यो को धान खरीदी सुचारू रूप से संचालित करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं इसलिए अगर ग्राम ठाकुटोला में उप सहकारी समिति का स्थापना किया जाता है तो किसानों को इसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए ग्राम ठाकुरटोला में उप सहकारी समिति खोले जाने के लिए उच्च अधिकारियों को श्रीमती ममता राजेश पाल ने लिखित आवेदन किये है।

बेमेतरा एसपी ने 5 प्रधान आरक्षको को स्टार व कैप लगाकर किया पदोन्नत

बेमेतरा/साजा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय बेमेतरा में 14 जुलाई को पुलिस अधीक्षक बेमेतरा दिव्यांग कुमार पटेल एवं अति. पुलिस अधीक्षक बेमेतरा विमल कुमार बैस व उप.पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) रामकुमार बर्मन द्वारा विभिन्न थानों में कार्यरत प्रधान आरक्षक छोटे लाल बंजारे, भानूप्रताप पटेल, गौकरण वर्मा, ईतवारी दास डेहरे, मोहम्मद जहीर खान को प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक ÷अ'' वर्ग की योग्यता सूची वर्ष 2020 में लाये गये थे, जिन्हे प्रधान आरक्षक की पी.पी. कोर्स उत्तीर्ण करने के पश्चात सहायक उप निरीक्षक अ वर्ग के पद पर (विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया के तहत पदोन्नति प्राप्त प्रधान आरक्षकों को) स्टार व कैप लगाकर पदोन्नत किया ।

दो आरोपियो से 79 पौवा देशी प्लेन व मसाला शराब जब्त

बेमेतरा/साजा। पुलिस अधीक्षक बेमेतरा दिव्यांग पटेल के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक विमल कुमार बैस व उप. पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय) रामकुमार बर्मन, एसडीओपी बेमेतरा राजीव शर्मा, एसडीओपी बेरला श्रीमति ममता देवांगन के मार्गदर्शन में थाना/चौकी प्रभारियों के द्वारा अवैध शराब, जुआ, सट्टा, गांजा पर लगातार कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत दिनांक 12.07.2020 को थाना साजा को जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम कातुलबोड के राहूल डहरिया एक सफेद बोरी में अवैध शराब लेकर सोमईकला की ओर पैदल बिना अनुज्ञप्ति पत्र के अपने कब्जे में शराब रखकर अवैध रूप से धन अर्जित करने के नियत से

शराब बिक्री हेतु ले जा रहे है कि सूचना पर थाना साजा स्टाफ गवाहो के साथ मौके पर पहुचकर घेराबंदी कर आरोपी को पकडा। आरोपी राहूल डहरिया पिता प्रेम सिंह डहरिया उम्र 24 साल साकिन कातुलबोड थाना व जिला बेमेतरा के कब्जे से एक सफेद रंग के बोरी में 43 पौवा देशी प्लेन शराब (7,740द्व्य) कीमती लगभग 3,440/- रूपये को 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत जप्त कर कार्यावाही किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 12.07.2020 को थाना बेरला पुलिस को जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम अछोली के रहने वाले सीताराम निषाद दहनी खार खेत के मेड में बिना अनुज्ञप्ति पत्र के अपने कब्जे में शराब रखकर अवैध रूप से धन अर्जित करने के नियत से शराब बिक्री करने हेतु छुपाकर रखा है कि सूचना पर थाना बेरला स्टाफ गवाहो के साथ मौके में पहुच कर आरोपी को पकडा ।

घोंच के ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत

पिथौरा,घोंच। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत घोंच ग्रामवासियों ने कलेक्टर महासमुंद से की है।

मामला पिथौरा विकास खण्ड के ग्राम पंचायत घोंच का है स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने से निराश होकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई गई है इससे पूर्व ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पिथौरा में दिनांक 27/4/20 को शिकायत आवेदन दिया था जिस पर संज्ञान लेते हुए पिथौरा तहसीलदार ने जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया था मौका हल्का पटवारी द्वारा जांच कर जांच प्रतिवेदन मे उक्त अतिक्रमण भूमि

को घास,चट्टान के मद मे दर्ज शासकीय भूमि बताते हुए जांच प्रतिवेदन तहसील कार्यालय में जमा कर दिया किन्तु तहसीलदार द्वारा जांच प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया ना ही कार्य व अतिक्रमण में रोक नहीं लगाई गई थी।

शासकीय भूमि खरीदी बिक्री के लिए बदनाम: महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लाक में शासकीय भूमि की अफरातफरी कूटरचना फर्जीवाड़ा की तमाम खबरें दशकों से अंचल के लोगों के सामने आती रही है कई रसूखदारों पर एफआईआर दर्ज हुए पर कढी कार्यवाई ना होने के कारण आज भी मामले सामने आ रहे हैं अतिक्रमण पहला स्टेप्स है यह कृत्य को अंजाम देने का नवप्रदेश ने लगातार सरकारी भूमि की अफरातफरी की खबर लोगों के सामने लाई है

> **ग्रामीणों को जिला प्रशासन पर भरोसा**
>
> स्थानीय ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन की सुस्त रवैये को देखते हुए अतिक्रमण हटाने जिला प्रशासन से शिकायत आवेदन माननीय कलेक्टर को दिया है ग्रामीणों ने अपने कथन में जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई किये जाने का भरोसा जताया है प्रशासन के द्वारा कार्यवाही किये जाने पर अन्य शासकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण पर लोगों में कानून का भय व्याप्त होगा।

कवितावली के नौ सप्ताह पूरेसौ से अधिक रचनाकारों ने दी प्रस्तुति

बेमेतरा/साजा। प्रदेश की प्रमुख कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत व शिक्षा को समर्पित सामाजिक संस्था श्री साईनाथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित साप्ताहिक काव्य-श्रृंखला कवितावली ने अपने आयोजन के नौवें सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश के आठ प्रतिभावान युवा कलमकारों को इस अनूठे आयोजन के माध्यम से प्रस्तुति का अवसर प्रदान किया। इस ऑनलाइन आयोजन का लाइव प्रसारण प्रदेश के लोकप्रिय युवा शायर आशीष राज सिंघानिया के अधिकृत फेसबुक पेज आशीष तन्हा में सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार व रविवार को सायं 6 से 7 बजे के बीच किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देश-प्रदेश के युवा, स्थापित व लोकप्रिय कवि-कवयित्रीयों द्वारा कोरोना महामारी से बचाव हेतु प्रयासरत कोरोना योद्धाओं के प्रति सम्मान व संवेदना व्यक्त करते हुए मौलिक रचनाओं की प्रस्तुति दी जाती है। कार्यक्रम प्रभारीद्वय युवा कवयित्री दिव्या नेह दुबे व युवा हास्य कवि मनोज शुक्ला ने बताया कि प्रति रविवार को सुबह 11 बजे आयोजित होने वाली नवीन साहित्यिक श्रृंखला कवितावली विशेष में अतिथि कवि के रूप में प्रदेश के सुप्रसिद्ध लोककवि मीर अली मीर ने अपनी रचनाएँ व साहित्यिक अनुभवों को साझा किया व कवितावली श्रृंखला के नौवें सप्ताह में रायपुर के युवा शायर राकेश अग्रवाल व युवा कवि प्रशान्त शर्मा, कोरबा की युवा कवयित्री पूजा अग्रवाल, बस्तर से युवा लेखिका भूमिका साहा, रायगढ़ के कवि भुवेंद्र बघेल, तखतपुर में पदस्थ राजस्व निरीक्षक व कवि मयंक मणि दुबे, लोरमी के युवा शायर संस्कार साहू व युवा कवयित्री भावना वैष्णव आदि ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं की शानदार प्रस्तुतियां दी। युवा कलमकारों को प्रस्तुति हेतु शानदार मंच प्रदान कर रहे ऐसे आयोजन की साहित्यजगत में सर्वत्र चर्चा व प्रशंसा हो रही है।

जिला स्वीप कोर कमेटी का गठन

बेमेतरा/साजा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिव अनंत तायल ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एण्ड इलेक्टोरल पर्टिसिपेशल प्रोग्राम (स्वीप) कार्ययोजना के बेहतर क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु वर्ष 2020-21 के लिए निम्नानुसार जिला स्वीप कोर समिति का गठन किया गया है। अध्यक्ष सीईओ जिला पंचायत, सदस्यों मे उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी बेमेतरा, प्राचार्य शासकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा, उप संचालक समाज कल्याण, जिला खेल अधिकारी, समाजसेवी ताराचंद माहेश्वरी, श्रीमती वर्षा गौतम, योगाचार्य/जिला आईकॉन दिलहरण प्रसाद तिवारी को सदस्य के रुप मे शामिल किया गया है।

डिप्टी कमिशनर दुर्ग द्वारा विकासखण्ड साजा के गौठानो एवं निर्माण कार्यो का निरीक्षण

बेमेतरा/साजा। संभागायुक्त आर.के.खुटे उपायुक्त संभागीय कार्यालय दुर्ग के द्वारा विकासखण्ड साजा प्रवास के दौरान सर्वप्रथम ग्राम पंचायत मौहाभाठा में गौठान व चारागाह का निरीक्षण किया गया। वहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) अन्तर्गत गठित महिला स्व सहायता समुह द्वारा छ.ग. शासन की सुराजी ग्राम योजना नरवा, गरवा, घुरवा एवं बाड़ी योजना अन्तर्गत किये जा रहे विभिन्न गतिविधियां जैसे-मशरूम उत्पादन, वर्मी कम्पोस्ट खाद निर्माण, बाड़ी विकास परियोजना व फेंसिंग तार निर्माण कार्यो की सराहना की गयी व उचित बाज़ार उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया तत्पश्चात् ग्राम पंचायत अकलवारा में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन व ग्राम पंचायत राखी में निर्माणाधीन गौठान व ग्राम पंचायत ठेलका में निर्माणाधीन धान चबुतरा का निरीक्षण किया गया व उचित दिशानिर्देश दिया गया। इसी क्रम में ग्राम पंचायत बेलगांव में हो रहे बाड़ी विकास कार्य व ग्राम पंचायत टिपनी में गौठान में चल रहे आजीविका से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा की गयी । विकासखण्ड साजा में बिहान अन्तर्गत महिला स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे- पेन, फिनाईल, अगरबत्ती, गोबर निर्मित गमला व धूप, वर्मी खाद का किट उपायुक्त आर. के. खुटे को सुश्री क्रांती ध्रुव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत साजा द्वारा भेंट किया गया। इन उत्पादो को देखकर उपायुक्त द्वारा खुशी जाहिर की गई।

जिले में अब तक 361 मिमी. औसत वर्षा दर्ज

बेमेतरा/साजा। चालू बारिश सीजन के दौरान बेमेतरा जिले में 01 जून से 13 जुलाई 2020 सवेरे 8.00 बजे तक की स्थिति में 361 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। जिसमे सर्वाधिक 479 मि.मी. वर्षा थानखम्हरिया तहसील में तथा न्यूनतम 238 मि.मी. वर्षा साजा तहसील में दर्ज की गई है। संयुक्त जिला कार्यालय के भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार बेरला तहसील में 390 मि.मी. वर्षा, बेमेतरा तहसील मे 398 मि.मी. वर्षा तथा नवागढ़ तहसील मे 300 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है।

न्यूज गैलरी

5 वर्षीय बालक नानी के घर जाने निकल पड़ा पैदल

कवर्धा-(नवप्रदेश)। कवर्धा का 5 वर्षी बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए माता पिता को बताकर निकला हुआ था अचानक उसे क्या सूझी कि उसने अपने नानी के घर जाने पैदल ही निकल पड़ा यह बच्चा पैदल चीमागोंदी तक पहुंच गया और तिराहे में जाकर खड़ा हो गया जिसे 112 की टीम ने देखा और 5 वर्षीय बालक देवपाल से पूछताछ कि जिस पर उसने बताया कि वह अपनी नानी के घर खैरागढ़ जाने के लिए निकला है पुलिस ने बच्चे से बातचीत करते हुए घर का पता जाना और उसे उसके माता-पिता तक पहुंचा दिया । ज्ञात हो कि कवर्धा क्षेत्रांतर्गत एक अज्ञात 5 वर्षी बच्चा चीमागोंदी तिराहा के पास खड़ा है । सूचना पर डायल 112 कवर्धा पैंथर 2 को तत्काल घटना स्थल के लिए रवाना किया गया । डायल 112 टीम घटना स्थल पहुंचे, जहां बच्चा चीमागोंदी तिराहा के पास खड़ा था। बच्चे से पूछताछ किए जो अच्छे से बोल नहीं पा रहा था उसने अपना नाम देव पाल पिता कमलेश पाल बताया घर से भाग कर अपनी नानी के यहां खैरागढ़ जा रहा हूं बोला बच्चे को वाहन में बैठाकर उसका स्पष्ट पता पूछते हुए जो अपना पता रामनगर कवर्धा बताया। बच्चे के रामनगर में घूमकर उसके परिजनों का पता लगाकर सुरक्षित बच्चे को उसके पिताजी कमलेश पाल के सुपुर्द किया । उसके पिताजी से पूछताछ करने पर बताए कि वह घर के बाहर खेल रहा सोच रहे थे ज्यादा टाइम हुआ तो उसको बाहर देखा जो नहीं दिखा आसपास परेशान होकर खोज रहे थे । बच्चे को सुरक्षित वापस सौपने पर परिजनों ने 112 का अभिवादन किया। इस कार्यवाही में ईआरव्ही प्रधान आरक्षक 139 जीवन राय, आरक्षक 430 दशरू ध्रर्वे, आरक्षक 20 राजेंद्र सिन्हा एवं चालक अखिलेश तिवारी का सराहनीय योगदान रहा ।

साउंड सिस्टम बंद ना करने पर युवक पर धारदार हथियार से हमला

कवर्धा-(नवप्रदेश)। पिपरिया क्षेत्रांतर्गत ग्राम-बोधाई कुंडा में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया हैं। सूचना पर डायल 112 टीम- पिपरिया पैन्थर 2 को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। घटनास्थल पर कॉलर ने बताया की उसका चचेरा भाई शैलेन्द्र पिता नरेश वर्मा उम्र 32 वर्ष गांव के शिव मंदिर की पूजा में अपना साउंड सिस्टम लगाया था जो पूजा सम्पन्न होने पर बंद कर रहा था तभी गांव के रहने वाले सुरेन्द्र परिहार पिता कुंज बिहारी परिहार उम्र 32 वर्ष से साउंड सिस्टम बंद ना करने की बात पर वाद-विवाद हो गया जिस पर सुरेन्द्र परिहार ने चाकू से शैलेन्द्र वर्मा के पेट पर हमला कर दिया। आहत शैलेन्द्र के पेट से अत्यधिक खून बह जाने से मूर्छित अवस्था में घर पर लेटा था। डायल 112 की टीम द्वारा घायल को त्वरित उपचार हेतु परिजनों सहित लेकर जिला हॉस्पिटल कवर्धा रवाना हुए जो रास्ते में 108 मिलने पर उनके सुपुर्द किया गया। इस कार्यवाही में आरक्षक 518 हीरा पांडे एवं चालक चेतन साहू का सराहनीय योगदान रहा।

आरटीई भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी, डीईओ के ऊपर पालकों का गुस्सा फुटा

- **छग पैरेंट्स एसोसिएशन ने किया दोषी नोडल अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की मांग**

राजनांदगांव। शिक्षा का अधिकार भर्ती को लेकर जिले में विगत दो वर्षो से लगातार हो रही है। गड़बड़ी जिसको लेकर शिकायतें भी हो रही है, लेकिन किसी दोषी व्यक्ति पर कार्यवाही नहीं होने से नाराज पालकों का गुस्सा बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी पर फुट पड़ा। पालकों का आरोप है कि विभाग दोषी नोडल अधिकारियों को विगत दो वर्षो से बचा रहा है और नोडल अधिकारियों के द्वारा जान-बुझकर गरीब बच्चों के जीवन व भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशसन का आरोप है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राजनांदगांव के कई नोडल अधिकारियों ने गरीब बच्चों के जीवन व भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया है, क्योंकि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदनों का

परीक्षण नहीं किया गया यह खेल बीते दो वर्षो से चल रहा है। डीईओ राजनांदगांव के द्वारा उन नोडल अधिकारियों को खानपूर्ति करने के लिए नोटिस जारी कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जा रहा है, जबकि ऐसे दोषी नोडल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर उन्हें उनके जिम्मेदारी से पृथक कर दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए डीईओ भी समग्र रूप से जिम्मेदार है।

छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशसन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल का कहना है कि लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर के द्वारा 4 जून 2020 को डीईओ राजनांदगांव को आरटीई सीटों की जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में पत्र जारी किया गया और संयुक्त संचालक, दुर्ग संभाग के द्वारा भी आरटीई सीटों की जांच करने दिनांक 27 जून को पत्र जारी कर जांच रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया है, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा दो मामले में जांच अब तक नहीं किया गया।

एसोसियेशन ने मांग की है कि आरटीई सीटों के संबंध में डीपीआई और संयुक्त संचालक, दुर्ग संभाग से प्राप्त पत्रों के आधार पर तत्काल जांच कर सभी दोषी नोडल अधिकारियों के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्यवाही किया जाए और यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर एसोसियेशन द्वारा डीईओ पर कार्यवाही की मांग उच्च अधिकारियों से करेगा।

वनांचल क्षेत्रों में आज भी गेंहूं पीसने जांता का उपयोग

कवर्धा (नवप्रदेश)। पहले के समय में अनाज आदि पीसने के लिए जाँता का उपयोग किया जाता था । पहले जिले के अधिकांश घरों में जाँता ,चक्की हुआ करता था और गेहूँ आदि पीसने के लिए इसका प्रयोग भी किया जाता था, किन्तु अब इसका प्रयोग लगभग समाप्त सा हो गया है। चक्की पत्थरों के दो पाटों से मिलकर बनी होती है। ये भारी होते हैं, जिन्हें गोल-गोल घुमाकर अनाज आदि पीसा जाता है। जब बिजली नहीं थी तो छोटे कस्बों में महिलाएँ अपने घरों में ही पत्थर के पाटों से बनी इस हाथ की चक्की से गेहूँ और अन्य अनाज आदि पीस करती थीं। जिले के वनांचल क्षेत्र चिल्फी कुकदूर जंगल रेगा खार - रुकखमी दादर सहित बहुत से क्षेत्रों में जाँता से गेहूं को पिस्ते देखा जा सकता है। लेकिन शहरों

में अब तो इलेक्ट्रॉनिक आटा चक्की से ही लोग काम चला रहे हैं भागती दौड़ती जिंदगी में आज लोगों के पास पुरानी परंपरागत वस्तुओं का उपयोग करने समय का अभाव माना जा रहा है जिसके चलते कपड़े धोने की मशीन से लेकर सभी कार्य अब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर आकर थम सा गया है।वनांचल क्षेत्रों में आज भी गेहूं को पीसने के लिए जाँता का उपयोग करते देखा जा सकता है वनांचल वासियों की माने तो आज भी जाँते से गेहूं को पीसकर बनाए हुए आटे का स्वाद इलेक्ट्रॉनिक आटे की चक्की नहीं दे पाता। जाँता मैं पिसा हुआ आटा स्वादिष्ट होने के साथ ही काफी पौस्टिक होता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। वर्तमान समय में आज ज्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक मिशनरी सामानों का उपयोग कर रहे हैं आज जहां इलेक्ट्रॉनिक चक्की मशीन के आने से शहरों में जाँता का उपयोग कम हो रहा है वही यह इलेक्ट्रॉनिक और आधुनिक मशीनें घर के रसोई तक पहुंच चुकी है। आज किसी भी कार्य को करने के लिए इलेक्ट्रानिक मशीनों पर आश्रित होते नजर आ रहे हैं चाहे दाल पीसने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मिक्सी का उपयोग हो या फिर कपड़े धोने के लिए वाशिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है बदलते दौर में लोग अब पुरानी वस्तुओं को भूल से जा रहे हैं लेकिन वनांचल क्षेत्रों में आज भी बहुत से घरों में जाँता सहित अन्य पुराने वस्तुओं का उपयोग करते देखा जा सकता है ।

भैसामुड़ा के सचिव ने शौचालय निर्माण एवं पंचायत फंड की राशि मे अनियमितता

छुरा। ग्राम पंचायत भैसामुड़ा के सचिव के द्वारा 1अप्रैल 2015 से 30 दिसंबर 2019 तक शौचालय निर्माण की राशि में लाखों रुपए का अनियमितता किया गया है। जनपद पंचायत छुरा के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)से जितनी शौचालय की संख्या स्वीकृत हुआ था, सभी स्वीकृति शौचालय का भुगतान पूरा हो चुका है। सचिव के द्वारा लगभग 30,11,900 रुपये शौचालय निर्माण में खर्च दिखाया जा रहा है:--(1) वर्ष 2015-16 में 2,75,000 रुपये (2) वर्ष 2017-18 में 14,72,750 रुपये (3) वर्ष 2018-19 में 11,98,150 रुपये (4) वर्ष 2019-20 में 66,000 रुपये भुगतान किया गया है।इससे स्पष्ट होता है कि शौचालय निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किया गया हैं। ये सभी आंकड़े ग्राम पंचायत भैसामुड़ा के दिये गए खुद के आंकड़े पर आधारित है।ग्राम पंचायत भैसामुड़ा के वर्ष 2016-17 में मूलभूत योजना से लगभग 18 लाख रूपये भुगतान में, राशि के आहरण का स्पष्ट उल्लेख/विवरण नही है। केवल राशि का भुगतान लिखा हुआ है। आहरण किस कार्य और किसको किया गया है, उल्लेख नही है।उसी प्रकार वर्ष 2019-20 में 14 वे

वित्त योजना मद से, भुगतान राशि 1,04,988 रुपये एवम 55,950 रुपये दिनांक 1/9/2019 को भुगतान, राशि मिलान के लिए किया गया है,छत्तीसगढ़ के पंचायत का ये पहला पंचायत होगा,जो राशि मिलान के नाम पर भुगतान किया हैं। जनपद पंचायत-छुरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी,से अनुरोध है कि जाँच टीम गठित करके जाँच कराए एवम अधिक राशि भुगतान होने पर, अन्तर की राशि को जनपद /जिला पंचायत में समायोजन कराया जावे।ग्राम पंचायत भैंसामुड़ा के राशि मे अनियमितता की जॉच 2015 से 2019 तक सभी मदो की भुगतान(14वे वित्त योजना, मूलभूत योजना, पंचायत फंड) जांच, निरीक्षण एवम शौचालय निर्माण की भौतिक सत्यापन करके किया जाए।

क्वारेंटाईन सेन्टरों की सतत मॉनिटरिंग करें : वर्मा

- **निर्धारित समय शाम 4 बजे के बाद दुकान खुली रखने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई**

राजनांदगांव। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने सभी जनपद सीईओ से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों में क्वारेंटाईन सेन्टरों की सतत मॉनिटरिंग करते रहे। कोरोना संक्रमण से प्रभावित रेड जोन महानगरीय क्षेत्रों से आने वाले लोगों की विशेष निगरानी रखें।

इसकी व्यवस्था के लिए नगरीय क्षेत्रों में पार्षद एवं सदस्य रहें तथा इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी निगरानी के लिए टीम होनी चाहिए। रेड जोन से आने वाले लोग कई बार अपनी जानकारी छिपा रहे हैं। इसके लिए सतत मॉनिटरिंग करते रहे। हाट स्पॉट से आने वाले लोगों का सेम्पल जरूर जांच करें। ठेला, सब्जी एवं अन्य दुकानें शाम 4 बजे तक बंद हो जाना चाहिए। उन्होंने निर्धारित समय शाम 4 बजे के बाद दुकानें खुली रखने वालों पर नगर निगम एवं अन्य नगरीय निकायों को कड़ाई से कार्रवाई करने के निर्देश दिए और जुर्माना लगाने को कहा। कलेक्टर श्री वर्मा ने सभी अधिकारियों को कार्यालय में साफ-सफाई रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनुपयोगी सामग्री का भण्डार क्रय नियम के अनुसार कार्यवाही करें। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने बैराज से सिंचाई के संबंध में जानकारी ली। कार्यपालन अभियंता जल संसाधन एमएल भलावी ने बताया कि जल संसाधन बैराज संभाग डोंगरगांव मोंगरा बैराज, सुखा नाला बैराज, घुमरियानाला बैराज एवं खातूटोला बैराज से कमान क्षेत्र के किसानों द्वारा सिंचाई की मांग को देखते हुए चारों बैराज के नालों के गेट खोल दिए गए हैं।

स्कूल भवन निर्माण कार्यों को 15 अगस्त तक पूरा करने के निर्देश

कवर्धा-(नवप्रदेश)। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने आज यहां जिला कार्यालय के सभा कक्ष में निर्माण एजेंसी विभाग के अधिकारियों संयुक्त बैठक लेकर निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर श्री शर्मा ने आदिमजाति विकास विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत बन रहे प्रगतिरत आश्रम-छात्रावास और स्कूल भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन सभी निर्माण कार्यों को आगामी 15 अगस्त तक पूरा करने क लक्ष्य दिए।

गुरूकुल पब्लिक स्कूल का कवर्धा जिले में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन

कवर्धा-(नवप्रदेश)। नगर की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था गुरूकुल पब्लिक स्कूल, कवर्धा के विद्यार्थियों ने केन्द्रीय माध्यमिक परिषद, नई दिल्ली की कक्षा दसवी की परीक्षा-2020 में शत-प्रतिशत परिणाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। कक्षा दसवी की परीक्षा कुल 94 छात्र-छात्राओं ने दी थी, जिसमें सभी छात्र-छात्राओं ने उत्तीर्ण होकर परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत देकर कवर्धा शहर में ही नही बल्कि पूरे जिले में शाला का नाम गौरवान्वित किया। सभी विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में अंक अर्जित किये। जिसमें गणित में 98/100 , सामाजिक विज्ञान 96/100, विज्ञान 97/100, अॅग्रेजी 93/100 एवं हिन्दी में 96/100 अंको के साथ इन विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सी.बी.एस.ई, नई दिल्ली की परीक्षा पास की, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है।

लोन लेने के लिए ITR बनवाएं मात्र 500/- में
ITR GST
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
G.S.T. रिटर्न | Food Licence
इन्कम TAX फाईल | M.S.M.E. रजिस्ट्रेशन
TDS रिफंड | प्रोजेक्ट रिपोर्ट
IT नोटिस | डिजिटल सिगनेचर
शेखर गुप्ता 9300755544 8878655544
ONLY TDS.COM

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
ई-निविदा सूचना
निविदा सूचना क्रमांक: [illegible]-05-2020-21 दिनांक 08.07.2020. कार्य का नाम : [illegible] 12 (बारह) माह की अवधि के लिए [illegible] (160 [illegible]) [illegible] अनुमानित निविदा मूल्य: रु. 47,35,417.75 [illegible] जीएसटी सहित। [illegible] 12 (बारह) माह की अवधि के लिए। बयाना राशि रु.: 94,700.00 [illegible]। निविदा प्रपत्रों की लागत रु.: 3,000 (तीन हजार रु. मात्र)। निविदा समाप्ति तिथि और समय: 10/08/2020 को 15:00 बजे। बिड प्रारंभ की तारीख: 27/07/2020। [illegible] वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
इस निविदा के विरुद्ध मैनुअल प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा का पूर्ण विवरण वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।
उप मुख्य अभियंता [illegible]
[illegible]/53
South East Central Railway @secrail

कार्यालय नगर पंचायत लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

क्र./273/न.पं./लो.नि.वि./2020-21 लैलूंगा, दिनांक 10/07/2020

// मैन्युअल निविदा आमंत्रण सूचना //

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रुपए लाख में)	कोरा निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
1	2	3	4
1	आफिस रूम व आफिस क्वार्टर मरम्मत कार्य	2.48	30.07.2020
2	कार्यालय नगर पंचायत लैलूंगा में एल्युमिनियम कार्य	0.49	--,,--
3	शासकीय चिकित्सालय में मरम्मत कार्य	5.50	--,,--
4	नगर पंचायत लैलूंगा के वार्ड क्र. 09 बाजार पारा में सामुदायिक भवन निर्माण	3.00	--,,--
5	नगर पंचायत लैलूंगा के मुख्य चौक में वाटर कूलर सह टंकी स्थापना कार्य	0.60	--,,--
6	नगर पंचायत लैलूंगा के तहसील कार्यालय के पास वाटर कूलर सह टंकी स्थापना कार्य	0.60	--,,--
7	नगर पंचायत लैलूंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लैलूंगा में शव विच्छेदन गृह (मर्चुरी) निर्माण कार्य	5.00	--,,--
8	नगर पंचायत लैलूंगा के बालक हाईस्कूल में मंच निर्माण कार्य	0.50	--,,--
9	नगर पंचायत लैलूंगा के बी.एस.एन.एल. कार्यालय के पास बोर खनन कार्य	0.90	--,,--
10	नगर पंचायत लैलूंगा के कन्या हाई स्कूल लैलूंगा में अहाता का उन्नयन कार्य	1.20	--,,--
11	नगर पंचायत लैलूंगा में शांति नगर कन्हईया श्रीवास घर के पास हैण्ड पंप खनन कार्य	0.90	--,,--

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है साथ ही यह जानकारी विभागीय वेबसाईट http://uad.cg.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत लैलूंगा

कार्यालय सेनानी, 16वीं वाहिनी (भा./र.) छ.स. बल, नारायणपुर (छ.ग.)

दूरभाष :- कार्यालय 07781-252931, फैक्स 07781-252931 email ID-co16thbn-npr.cg@gov.in
क्रमांक : 16वीं बटा./छ.स.बल/नारायणपुर/क्वा.मा./ए/502-ए/ 2020, दिनांक 11/07/2020

// निविदा आमंत्रण सूचना //

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित निर्माण कार्य के लिए मुहरबंद निविदाएं प्रपत्र-अ में प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा 01.01.2015 (भवन) एवं निविदा जारी दिनांक तक संशोधित दर अनुसूची के आधार पर लोक निर्माण विभाग /केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/छ.ग. गृह निर्माण मंडल/ ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/ सिंचाई विभाग में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दो लिफाफा पद्धति, जिसमें एक अमानत राशि व दूसरा निविदा प्रपत्र का लिफाफा होगा, निविदा हाथों-हाथ, पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट द्वारा आमंत्रित की जाती है। कार्यालय सेनानी, 16वीं वाहिनी (भा./र.) छ.ग.बल, नारायणपुर में निविदाओं उपस्थित निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोले जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी। उक्त तिथि को अपरिहार्य परिस्थिति में निविदा संबंधी कार्यवाही अगले कार्य दिवस को की जावेगी।

(01) निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि :- 27.07.2020 के 03.00 बजे तक
(02) निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि :- 28.07.2020 के 03.00 बजे तक
(03) निविदा खोले जाने की तिथि :- 29.07.2020 के 04.00 बजे संध्या
(04) निविदा प्रपत्र का मूल्य :- 750/-
(05) कार्य पूर्ण करने की अवधि :- 60 दिवस
(06) ठेके की श्रेणी/ निविदा आमंत्रण क्रमांक :- डी एवं उच्च श्रेमी लो.नि.वि. के श्रेणी के पात्रतानुसार (प्रथम बार)
(07) प्रभावी दर अनुसूची :- लो.नि.वि. द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2015 को जारी भवन एस.ओ.आर. में प्रचलित

स. क्र.	कार्य का विवरण	संख्या (नग में)	अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर राशि
1	2	3	4	5
1	वाहिनी में आर.सी.सी. बैरक निर्माण कार्य हेतु।	01	14.10	42,300/-
2	भूमि समतलीकरण कार्य हेतु।	-	05.00	15,000/-
3	वाहिनी में परेड ग्राउण्ड निर्माण कार्य हेतु।	01	04.83	14,490/-
4	वाहिनी परिसर में मंच एवं झण्डा पोस्ट निर्माण कार्य हेतु।	01	04.56	13,680/-

नोट :- निविदा प्रपत्र हेतु रुपए 750/ का पृथक-पृथक चालान 0055 पुलिस 800 अन्य प्राप्तियां में जमा कर चालान की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें। निविदा संबंधी अन्य जानकारी के लिए 16वीं वाहिनी (भा./र.) छ.ग. बल, नारायणपुर से संपर्क कर सकते हैं।

जी-82326/2

सेनानी
16वीं वाहिनी (भा./रा.) छ.स.बल
नारायणपुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद, बलौदाबाजार जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

Tel.No.07727-223138 Email: cmobalodabazar@rediffmail.com & cmobalodabazar@ymail.com
क्रमांक/530/लो.नि.वि./न.पा./2020 बलौदाबाजार, दिनांक 14/07/2020

// मैन्यूअल निविदा आमंत्रण सूचना //

नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार द्वारा एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा प्रचलित पी.डब्ल्यू.डी. बिल्डिंग एवं रोड एस.ओ.आर. 01.01.2015 से प्रभावशील दर पर (निविदा खोलने के दिनांक तक समस्त संशोधन के साथ) कम या अधिक या सामान दरों पर प्रतिशत दर पर मेन्युअल निविदा त्रि-लिफाफा पद्धति के माध्यम से मोहरबंद लिफाफा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है :-

01. निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन भरने की अंतिम तिथि - 29.07.2020, समय - 03.00 बजे तक।
02. परीक्षण उपरांत खाली निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि - 29.07.2020, समय - 05.00 बजे तक।
03. निविदा प्रारूप में निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि - 05.08.2020, समय - 04.00 बजे तक।
04. प्राप्त निविदाएं खोलने की तिथि - 05.08.2020, समय- 04.30 बजे तक।

क्रं.	कार्य का नाम	लागत राशि (लाख में)	अमानत राशि (एफ.डी.आर. के माध्यम से)	निविदा फार्म शुल्क	निविदा प्रपत्र	समयावधि
1	2	3	4	5	6	7
01.	खेल स्टेडियम (कलेक्ट्रेड के पीछे) का उन्नयन एवं विकास कार्य (द्वितीय निविदा)।	02.23	2500.00	350.00	फार्म "A"	45 दिवस
02.	वार्ड क्रमांक 21 में पार्षद निधि से चबुतरा एवं नाली निर्माण कार्य (04 कार्य)।	02.05	2100.00	350.00	फार्म "A"	30 दिवस
03.	नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार क्षेत्रांतर्गत विभिन्न सी.सी. रोड मरम्मत कार्य। (द्वितीय निविदा)	08.00	6000.00	750.00	फार्म "A"	30 दिवस

नियम एवं शर्तें :- शर्तें कार्यालय के निर्माण शाखा में देखी जा सकती है। साथ ही यह जानकारी विभागीय जानकारी http://www.uad.cg.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद बलौदाबाजार

कार्यालय संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, सड्डू रायपुर

कामर्शियल कॉम्पलेक्स, सेक्टर-08, द्वितीय तल, सड्डू रायपुर
Ph No.9685585693 Email ID-emzoneii@yahoo.com GST No. 22AAECA9783D2ZP

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के आवासीय भूखण्डों/आवासीय भवनों को फ्री-होल्ड के रूप में परिवर्तन करने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1-100/2009/32 रायपुर दिनांक 30.12.2011 एवं सम संख्यक आदेश दिनांक 13.03.2012 के परिपालन में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मण्डल के निम्नलिखित हितग्राहियों के द्वारा जिनके नाम व कालोनी का नाम एवं आवासीय भूखण्ड क्रमांक छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आबंटित है को फ्री-होल्ड करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस आम सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अंदर यदि कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालयीन दिवस में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

क्रमांक	आबंटी का नाम	पिता/पति का नाम	भवन क्रमांक	कालोनी का नाम
1	श्री पवन कुमार सेन	श्री टेकराम सेन	एल.आई.जी. - 222	सड्डू
2	श्रीमती रेखा कुशवाहा	श्री मनमोहन कुशवाहा	एल.आई.जी. - 840	सड्डू
3	श्री दिलीप कुमार साहू	श्री श्याम लाल साहू	एल.आई.जी. - 1282	सड्डू
4	श्री बुधराम अनंत	स्व. श्री मनोहर अनंत	एल.आई.जी. - 1302	सड्डू
5	श्री गोवर्धन लाल कुलस्ते	श्री छुन्नूलाल कुलस्ते	एल.आई.जी. - 1352	सड्डू
6	श्रीमती साजेदा बेगम	श्री हमीद खान	अटल आवास - 131	मुनगी-1
7	श्री जागेन्द्र कुमार वर्मा	श्री भारत राम वर्मा	अटल आवास - 246	मुनगी-1

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02 सड्डू रायपुर

सदर बाजार में लगेगा सीसीटीवी

भाटापारा। सदर बाजार की ट्रैफिक्र व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए और वहा की सुरक्षा के दृष्टिकोण से शहर थाना में शांति समिति की हुई बैठक में सी सी कैमरा लगाने,चार पहिया वाहन प्रतिबंधित करने सहित दुकान में आयी सायकल मोटरसायकल को चिन्हकीत स्थानों पर रखने का निर्णय हुआ है। शहर थाना में सोमवार को एसडीओपी के बी द्विवेदी की अध्यक्षता में सीएमओ आशिष तिवारी,थानेदार महेश कुमार धुव की उपस्थिति में सदर बाजार के प्रमुख व्यापारियो की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ की यातायात व्यवस्था को सुधारने सदर बाजार के आस भीड नियंत्रन हेतु 02 पार्किंग स्थल थारूमल के घर के सामने कॉपोरेटिव बैंक के पास एवं मारवाडी कुआ के पास पार्किंग स्थल चिन्हित किया गया है । जिसमे सभी उपस्थित व्यापारियो द्वारा सहयोग प्रदान करने की बात कही गई है । सभी व्यापारियो को अपने - अपने दुकान मे सीसीटीवी कैमरा लगाने और साथ ही अपने दुकान के बाहर रोड की ओर सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु हामी भरी है । व्यापारियो द्वारा सदर बाजार गोविंद चौक के पास 03 सीसीटीवी कैमरा वर्तमान में लगा दिये है और आगे भी सभी ब्यापारियो द्वारा भीड़ भाड़ वाली चौक चौराहो मे सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु सहमति दिये है ।

कान्हा ने पाया 10वी में 83 प्रतिशत अंक

भाटापारा। स्थानीय संजय वार्ड निवासी और श्याम सुन्दर मेडिकल स्टोर के संचालक गोविन्द बिस्सा के सुपुत्र अनन्त कान्हा बिस्सा ने cbse 10 में 83 प्रतिशत प्राप्त कर सफ्लता हासिल की है। अम्बुजा विद्या पीठ रवान में अध्यनरत कान्हा बिस्सा शुरू से मेघावी रहे है उनके बड़े पापा वेद प्रकास बिस्सा महासती मन्दिर रोड स्थित न्यू हिंदी स्कुल में सेवारत है। कान्हा की इस उपलब्धि पर राजा शर्मा ,पिन्टू शर्मा,बबलू दवे, राजेश शर्मा बालाजी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कान्हा की इस उपलब्धि पर उसको बधाई दी है।

निधन

आनंदराम कडंरा

खरोरा। ग्राम पारागॉव(नयापारा राजीम)निवासी आनंदराम कंडरा ,उम्र 70 वर्ष का आकस्मिक निधन दिनॉक 15/07/2020 बुधवार को हो गया जिसके मिट्टी कार्य ग्राम के मुक्तिधाम मे किया गया। मृतक- सुपुत्र जीतेंद्र कुमार कंडरा ,बंटी कंडरा ,लक्ष्मी बाई कंडरा व कमलेश्वरी(छोटी)कंडरा के पिता तथा लोचन कंडरा,त्रिलोचन कंडरा,कुलेश्वर कंडरा व विक्की कंडरा(नारी) के मामा थे। अंतिम यात्रा मे स्वजातीय व ग्राम के अनेक लोग शामिल रहे।

300 मीटर कंटेनमेंट जोन दाने-दाने के लिए रहवासी मोहताज

टेकलाल प्रधान

देवभोग (नवप्रदेश)। साहब रोज कमा कर रोज परिवार के साथ दो वक्त की रोटी खाने वाले लोग किस तरह कंटेनमेंट जोन के नियमों का पालन करें वह भी उस इलाके में जहां पका कर खाने के लिए चावल ना हो पीने के लिए पानी ना हो निषतारी कि व्यवस्था ना हो और सबसे जरूरी शौच के लिए शौचालय तक व्यवस्था ना हो ऐसे में स्वभाविक है। प्रशासन द्वारा लगाए गए अस्थाई बैरीगेट्स को तोड़कर निकलना पड़ेगा उक्त बातें निषादपारा के महिला बच्चे एवं युवाओं का कहना है। उल्लेखनीय हो कि बीते मंगलवार को ब्लॉक में 3 कोरोना पॉजिटिव पुष्टि किया गया जिसमें 2 गिरसुल एवं एक मुख्यालय निषादपारा के मछुआरा की कोरेना पॉजिटिव पुष्टि हुआ और स्वास्थ्य अमला ने पॉजिटिव मरीज को एम्स अस्पताल के लिए भेज भी दिया। जिसके बाद से स्थानीय प्रशासन द्वारा निषादपारा के लगभग 300 मीटर इलाका को कंटेंमेंट जोन घोषित कर पूरी तरह बांस बल्ली से बैरीगेट्स लगाकर सील कर दिया लेकिन मोहल्लेवासियों को पेट की भूख और पानी के और शौचालय की कमी ने नियम को तोड़ने में मजबूर कर दिया है। लोग मजबूरी बस बैरीगेट्स के किनारे और बांस की बीचों-बीच निकलकर दिनचर्या काम कर रहे हैं। मोहल्ले वासियों की मानें तो इस माह का चावल सहित अन्य राशन वार्ड क्रमांक 6 से लेकर 7 के लोगों को अब तक नहीं मिल पाया है। इसके अलावा मोहल्ले पर दो शासकीय नलकूप है और उक्त नलकूप का पानी ठीक नहीं होने के कारण महिलाएं को सोलर पंप पानी लेने जाना पड़ता है। क्योंकि मोहल्ले की जनसंख्या करीब 200 से अधिक होना बताया जाता है। सबसे दयानीय स्थिति उन लोगों के समक्ष है जो रोज नदी नाला पर मछली पकड़ कर बेचते हुए अपने अपने परिवार के साथ दो वक्त की रोटी खाते हैं। लेकिन अब कंटेंमेंट जोन होने के कारण बाहर भी नहीं निकल सकते और दो पैसा कमाने के चक्कर में चोरी छुपे मछली पकड़ने नदी नाला निकलते भी है। तो ग्रामीणों द्वारा वापस करा दिया जाता है ऐसे में अपने परिवार का भरण पोषण करना सबसे कठिन साबित हो रहा है। और मौजूदा स्थिति को भांपते हुए आसानी से कहा जा सकता है की अधिकांश गरीब परिवार के सदस्यों को भूख में दिन रात गुजारने को मजबूर होना पड़ेगा और जिन गरीबों ने पेट काटकर थोड़ा बहुत चावल रखा होगा उन्हें सिर्फ नमक चटनी के साथ ही गुजारना पढ़ रहा है। और इस बीच सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को उठना आना पड़ेगा क्योंकि सत प्रतिशत घरों में शौचालय नहीं है जिसके चलते वह नदी नाला पर निर्भर है।

> किसी भी हालत में लोगों को असुविधा होने नहीं दिया जाएगा कंटेनमेंट जोन मैं रहे लोगों को हर मूलभूत सुविधा की व्यवस्था हरसंभव किया जाएगा
>
> **अनुपम आशीष टोप्पो, एसडीएम**

जिला मुख्यालय के लिए चल रही दो बसों पर ब्रेक

- **तीसरी कभी भी हो सकती है बंद**
- **मुंगेली के लिए सेवाएं बंद करने की तैयारी**

भाटापारा। बलौदा बाजार के लिए चालू हुई तीन बसों में से दो का संचालन बंद कर दिया गया है। मात्र 1 बस ही सेवा दे रही है तो भाटापारा से करहीबाजार चलने वाली बस महज दो दिन बाद ही दम तोड़ गई। बसों के संचालन बंद होने का असर अब भाटापारा से मुंगेली के लिए चल रही बस पर पड़ने लगा है। सवारियों की उपलब्धता नहीं होने से यह बस कभी भी बंद हो सकती है।

सड़क परिवहन सेवा का आठवां दिन भी बीत गया। कोरोना संक्रमण के असर के बाद बंद हुई सड़क परिवहन सेवा भले अरसे बाद शुरू हुई। कई तरह के सवालों और दर्जनों बैठकों के बाद राज्य सरकार ने इस पर शर्तों की इतनी ज्यादा बंदिश लगाई है कि 6 जुलाई से शुरू हुई यह सेवा कभी भी अनिश्चित काल के लिए बंद की जा सकती है। यात्री क्षमता से आधे की अनुमति, किराया नहीं बढ़ाने की शर्तें पहली बाधा बन रही थी। आशंका के बीच चालू हुई इस बस सेवा पर ब्रेक का लगना चालू हो चुका है। जो चल रही है उनमें ब्रेक कभी भी किसी भी दिन लग सकते है।

अब सिर्फ एक

जिला मुख्यालय के लिए शहर की यात्री परिवहन सेवा कंपनी ने तीन बसों का संचालन 6 जुलाई से चालू किया था। इसे कुछ दिन तो चलाया गया यह सोच कर कि आज नहीं तो कल यात्री मिलेंगे लेकिन यह सोच सच साबित नहीं हो पाई। इसलिए जिला मुख्यालय के लिए दो बसों का संचालन बंद किया जा चुका है। घाटे में चल रही तीसरी बस को कभी भी बंद किया जा सकता है।

यहां 2 दिन बाद ही बंद

रेल सेवा के बंद होने के बाद ग्रामीण अंचल के लिए यात्री भटकते देखे गए। यह हाल अकेले हमारे शहर का ही नहीं पूरे प्रदेश का था। लिहाजा ग्रामीण अंचल के लिए चलने वाली बस सेवा को अनुमति मिली। इसी क्रम में शहर से करही बाजार के बीच चलने वाली बसों का संचालन चालू किया गया लेकिन यह सेवा दो दिन बाद ही वापस लेनी पड़ी क्योंकि यहां के लिए यात्री मिले ही नहीं। कब शुरू होगी यह फिलहाल अनिश्चित है।

यहां के लिए बंद करने की तैयारी

प्रदेश की तीसरी बड़ी कृषि उपज मंडी होने के नाते मुंगेली जिला से किसान और कारोबारी बड़ी संख्या में आते जाते हैं यहां से मुंगेली के लिए भी बसें चलती रही है। प्रतिबंध के बाद भाटापारा मुंगेली के बीच खुली सड़क परिवहन सेवा कभी भी बंद हो सकती है।

> **त्योहार के बाद फैसला**
>
> हरेली फिर बाद में तीजा जैसे त्यौहारों के लिए सवारियों के निकलने की उम्मीद के बीच फिलहाल किसी तरह बसें चलाई जा रही हैं। इन दोनों प्रमुख त्योहारों के बाद भी यदि सवारियां नहीं मिली तो बलौदा बाजार, मुंगेली, बिलासपुर और बेमेतरा के बीच चल रही बसों के संचालन बंद करने का फैसला लिया जा सकता है लेकिन स्थिति फिलहाल जैसी है उसे देखते हुए ट्रांसपोर्ट कंपनियों को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है।

जिस तैयारी और संख्या के साथ बस स्टैंड पहुंची उनकी संख्या मैं तेजी से कमी आने लगी है। फिलहाल मुंगेली के लिए चल रही परिवहन सेवा यात्रियों के अभाव में कभी भी बंद की जा सकती है।

खरोरा स्थित आईटीबीपी कैम्प बना कोरोना का हॉटस्पॉट

खरोरा। खरोरा स्थित आई.टी.बी.पी. कैम्प में लगातार कोरोना के केश मिल रहै है महज 3 दिनों के अंतराल में आज फिर 10 पाजेटिव मिलने के बाद कैम्प वासियो में दहशत का माहौल है आज यह दूसरी बार है जब यहां कोरोना के केश मिले है। तिल्दा के बी.एम.ओ आशीष सिन्हा ने बताया कि यहां 10 लोगो को कोविड 19पॉजिटिव केश की पुष्टि की गई है जिसमे 4 कांस्टेबल,2 महिलाये, और 4 बचे हैं ये सभी पहले पॉजिटिव पाए गए मरीजो के सम्पर्क आये थे जिनका जांच के बाद इन मरीजो में भी कोविड19 पॉजिटिव की पुष्टि की गई है। लगातार बढ़ाने की वजह से बाकी जवानों और महिला पुरुषों में बहुत डर बना हुआ है। इससे पूर्व भी 12 जुलाई को भी 8 लोगो की पुष्टि हुई थी।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

...अब और निखरेगी छत्तीसगढ़ की...

के बाद छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा मिला। अनेक संस्थाएं भी स्थापित की गई, लेकिन उनमें आपसी तालमेल का अभाव रहा। इन सब का परिणाम यह रहा कि सांस्कृतिक विकास की दिशा में जितनी ताकत के साथ प्रयास होने चाहिए थे, वे अब तक हो नहीं पाए।

जीवंत संवाद का भी जिम्मा

प्रदेश में छत्तीसगढ़ी संस्कृति परिषद के जरिये जो एक और महत्वपूर्ण कार्य होगा, वह राष्ट्रीय स्तर के लब्ध प्रतिष्ठित कला, संस्कृति और शिक्षण से जुड़ी संस्थाओं से छत्तीसगढ़ का जीवंत संवाद स्थापित करना होगा। प्रदेश की संस्कृति नीति के अनुरूप स्कूली, उच्च शिक्षा सहित अन्य शासकीय विभागों से सामंजस्य स्थापित कर संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। साहित्यिक-सामाजिक विषयों पर शोध और सृजन में प्रोत्साहन और सहयोग दिया जाएगा। संस्कृतिकर्मियों व संस्थाओं को विभिन्न विधाओं के लिए दिए जाने वाले फैलोशिप, पुरस्कारों का संयोजन परिषद द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अंतर्गत साहित्य अकादमी, कला अकादमी, आदिवासी लोक कला अकादमी, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम, छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग काम करेंगे।

सरकार ने शुरू से ही...

इन तमाम गतिविधियों को संगठित रूप में संचालित करने की आवश्यकता है, ताकि एक ही दिशा में संगठित रूप से काम हो सके, इसलिए एक समग्र मंच के रूप में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन का निर्णय लिया गया है ।

कोरोना: 154 नए मरीज, रायपुर...

से 1-1 मरीज मिला है। प्रदेश में अब कोरोना के कुल एक्टिव पॉजिटिव केस बढ़कर 1212 हो गए हैं। इनमें अकेले रायपुर जिले से ही 504 हैं। जबकि राज्य में अब तक 20 मौतें दर्ज हुई हैं।

कामधेनु का नाम अब

नेता थे। राजभवन ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। लिहाजा, राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय 'दाउश्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय' के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने दुर्ग के अंजोरा में कामधेनु विश्वविद्यालय प्रारंभ किया था।

इसी तरह छत्तीसगढ़ उद्यानिकी विश्वविद्यालय को प्रारंभ करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। पता चला है, राज्यपाल अनसुईया उइके ने कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम बदलने और उद्यानिकी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में मंगलवार देर शाम तक सचिव राजभवन सोनमणि बोरा और लीगल अधिकारी के साथ परामर्श किया। राजभवन के सेक्रेटरी सोनमणि बोरा ने कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम बदलने के अनुमोदन की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने इसका अनुमोदन कर दिया है।

सीएम ने किया था...

देगा। वैसे, लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है कि राजभवन मुख्यमंत्री से परामर्श करके नए कुलपति का अपाइंटमेंट करता है।

सीबीएसई: 10वीं में भी...

87 लाख 315 छात्रों ने परीक्षा दी जिसमें 91.46 प्रतिशत छात्र पास हुए और पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 0.36 प्रतिशत अधिक रिजल्ट हुआ। इस वर्ष 93.31 प्रतिशत लड़कियों ने पास किया जबकि लड़कों का प्रतिशत 90.14 प्रतिशत रहा। इस तरह इस साल 3.17 फीसदी अधिक लड़कियों ने पास किया।तिरुवनंतपुरम क्षेत्र 99.28 प्रतिशत रिजल्ट के साथ सबसे आगे रहा। गुवाहाटी में सबसे कम 79.12 प्रतिशत परिणाम रहा।

2020 के अंत तक...

विभिन्न टीमों की ओर से कोरोना वायरस (कोविड-19) के जो टीके विकसित किए जा रहे हैं वह प्रभावी और सुरक्षित होंगे अथवा नहीं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए टीका विकसित करने के काम में जुटी हुई एक टीम को काफी अच्छे परिणाम मिले हैं और यह टीका प्रभावी और सुरक्षित भी साबित हुआ है।

दुनिया को भारत के...

ने इस सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने कहा, 21वीं सदी के युवाओं की, आज के नौजवानों की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है, तो उनका हुनर है, उनकी हुनर सीखने की क्षमता है। कोरोना के इस संकट ने विश्व संस्कृति के साथ ही कामकाज के तौर-तरीके को भी बदलकर के रख दिया है।और बदलती हुई नित्य नूतन तकनीक ने भी उस पर प्रभाव पैदा किया है।

मौसम परिवर्तन से...

भी नहीं आए । सावंतवाड़ी (कोंकण, महाराष्ट्र) जामुन के लिए मशहूर है परंतु इस वर्ष किसानों को फल न लगने से नुकसान उठाना पड़ा। जलवायु परिवर्तन का जामुन के उत्पादन पर एक विशेष प्रभाव देखा गया। जब पेड़ों पर फूल आते हैं, उस समय पत्तियां निकली जिसके परिणाम स्वरूप उपज बहुत कम हो गई । शोध में यह पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सेब में वह आकर्षक लाल रंग नहीं आ पा रहा है जो वर्षों पहले आता था। केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के वैज्ञानिक विजय आर रेड्डी के अनुसार सेब के लिए कम तापमान होने से हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी और शिमला जिले के निचले इलाकों में सेब उत्पादन क्षेत्र घटता जा रहा है।

कार्यालय, नगर पालिक निगम
जोन क्र. 7, रायपुर
मंगलम काम्पलेक्स, अग्रसेन चौक के पास, रायपुर (छ.ग.)

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 25/2020-2021
वार्ड का नाम- श. चुड़ामणी नायक-38

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि श. चुड़ामणी नायक वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 38/5/ई 409 रामकुण्ड जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती जानकी बाई पति स्व. रामनाथ प्रजापति के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती बाबूलाल प्रजापति पिता स्व. रामनाथ प्रजापति ने मृत्यु प्रमाणपत्र/ सहमति पत्र/ शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। **जोन कमिश्नर**
जोन क्र.-07
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग
बीजापुर वनमंडल, बीजापुर, जिला-बीजापुर (छ.ग.)
नीलाम सूचना

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि बीजापुर वनमंडल के बीजापुर/भोपालपटनम काष्ठागार/ बांसागार के ईमारती काष्ठ, व्यापारिक बांस एवं अगरबत्ती काड़ी का नीलाम दिनांक 18/07/2020 को प्रातः 10.00 बजे से बांसागार नीलाम हॉल में किया जावेगा। इच्छुक व्यापारियों से अनुरोध है कि वे नीलाम में भाग लें। नीलाम की शर्तें व अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवसों में काष्ठागार अधिकारी या वन मण्डल कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। नीलाम के पूर्व लाटों को भलीभांति देख लें। बाहर से आने वाले व्यापारियों/ क्रेताओं को निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा :-
1. ई-पास के साथ नीलाम में उपस्थित होवे। 2. सोशल डिस्टेसिंग नियम का पालन। 3. जिला की सीमा या डिपो में रेपिड किट टेस्ट। 4. क्रेताओं को सीधे नीलाम कार्य में भाग लेकर अपने गंतव्य को वापस जाना होगा। यहां-वहां घुमने की अनुमति नहीं होगी।

काष्ठागार का नाम	पुराना काष्ठ अविक्रित			
	प्रजाति	घ.मी.	बल्ली नग	डेंगरी नग
1	2	3	4	5
ईमारती काष्ठ				
बीजापुर काष्ठागार	सागौन	301.621	129	646
	साजा	2.481	7	0
	बीजा	15.735	24	0
	हल्दू	8.062	0	0
	अन्य	123.454	9	0
	योग :-	**451.353**	**169**	**646**
व्यापारिक बांस				
बीजापुर काष्ठागार	पुराना व्यापारिक बांस अविक्रित			
	बांस साईज	श्रेणी	बांस	नग वि.ई.
	7.30	I	99600	302.950
	7.30	II	199500	606.812
	7.30	III	114000	346.758
	योग :-		**413100**	**1256.520**
अगरबत्ती काड़ी				
अगरबत्ती काड़ी (चौकड़ी)		लंबाई 8 इंच	20 क्विंटल	

टीप :-
01. प्रत्येक क्रेता को नीलाम में बोली लगाने के पूर्व प्रत्येक लाट के संबंध में जिस सीमा तक वह बोली लगाना चाहता है, उसके 10न प्रतिशत के बराबर राशि या 1000/- रुपए इसमें जो भी अधिक हो जमा करें।
02. क्रेता द्वारा नीलाम में बोली लगाने के पूर्व कैलेण्डर वर्ष 2020 का पंजीयन एवं आयकर पेन कार्ड की छाया प्रति ई.एम.डी. कक्ष में जमा करना अनिवार्य है।
03. क्रेता को नीलाम में बोली लगाने के पूर्व जी.एस.टी. पंजीयन (GSTN) की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
04. विनिर्माता/ उपभोक्ता/ व्यापारी लायसेंस एवं आयकर पेन/टिन नंबर की छायाप्रति अनिवार्य रूप से जमा करने पर ही वर्क आर्डर जारी किया जावेगा।
05. नीलाम में क्रय किए गए लाटों का विक्रय मूल्य सहित ई.एम.डी. जमा पर्ची के पीछे अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा।

जी-82313/4

वनमंडलाधिकारी
बीजापुर वनमंडल, बीजापुर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
नगर पालिक निगम नवीन मुख्यालय भवन, गांधी चौक, रायपुर के पास
फोन : 0771-25355780, फैक्स:0771-227395
ई मेल : dcrmc@reddiffmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना
त्रुटि सुधार

नामांतरण प्र.क्र. 456/2019-20
वार्ड का नाम- शहीद भगत सिंह-21

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि शहीद भगत सिंह स्थित मकान/भूमि हर्षित फारचूना सी-103 प्रथम तल जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती अनिल जेठानी s/o गोपीचंद जेठानी के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती सतवंत कौर खनूजा पिता/पति हरदीप सिंह ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 7 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन आयुक्त
जोन क्रमांक-8
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय, नगर पालिक निगम
जोन क्र. 7, रायपुर
मंगलम काम्पलेक्स, अग्रसेन चौक के पास, रायपुर (छ.ग.)

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 26/2020-2021
वार्ड का नाम- स्वामी आत्मानंद- 39

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि स्वामी आत्मानंद वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 39/17/480 समता कालोनी जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती दीप्ति नागपाल पति स्व. दीपक नागपाल के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती कमल नागपाल पिता स्व. दीपक नागपाल ने मृत्यु प्रमाणपत्र/ सहमति पत्र/ शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। **जोन कमिश्नर**
जोन क्र.-07
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र. 53 दिनांक 14.07.20
वार्ड का नाम वार्ड- ठाकुर प्यारेलाल- 40

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-40 स्थित भूमि 495/1 जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती राम्हीन बाई w/o विदेशी राम के नाम से दर्ज है जिसको श्री गोपाल राम भोई s/o विदेशी राम भोई ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-10, अमलीडीह सामुदायिक भवन पानी टंकी के पास,
Email: rmczone10@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 14/2020-21
वार्ड का नाम- रानी दुर्गावती-50

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि रानी दुर्गावती-50 वार्ड स्थित मकान/ भूमि प्लाश विहार दुकान क्र. 01 जो कि निगम अभिलेख में 1. भरत कुमार चंदानी 2, उमेश कुमार चंदानी s/o दयाराम चंदानी के नाम से दर्ज है, जिसको श्री सुन्दरलाल बमन्या s/o नन्हेराम बमन्या ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। **जोन कमिश्नर**
जोन क्र.-10
नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय नजूल अधिकारी, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 989 अ 20 (1) वर्ष 1979-80

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक बालकुमारी बेवा स्व. रघुनंदन गुप्ता एवं अन्य 02 साकिन कवर्धा जिला कबीरधाम द्वारा नगर नजूल कवर्धा स्थित शीट क्रमांक 15 ए भूखण्ड क्रमांक 56 कुल क्षेत्रफल 106.50 वर्गमीटर भूखण्ड नजूल जांच रजिस्टर वर्ष 74-75 में प्रहलाद प्रसाद मिश्रा पिता बोडर प्रसाद मिश्रा साकिन कवर्धा के नाम पर दर्ज है।

आवेदक बालकुमारी बेवा स्व. रघुनंदन गुप्ता एवं अन्य 02 साकिन कवर्धा जिला कबीरधाम द्वारा शीट क्रमांक 15 ए भूखंड क्रमांक 56 कुल क्षेत्रफल 106.50 वर्गमीटर भूखंड को आवेदक के द्वारा पंजीकृत बयनामा दिनांक 02.08.2007 के द्वारा क्रय किए जाने के फलस्वरूप भूखण्ड को आवेदक वारिसगणों के नाम पर निर्धारण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः इस निर्धारण/ नामांतरण के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को उजर अथवा आपत्ति हो वे इस न्यायालय में दिनांक 31/08/2020 तक स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति पेश कर सकते हैं। अतः आज दिनांक 14/07/2020 को इस न्यायालय के पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

जारी दिनांक - 14/07/2020
पेशी दिनांक - 31/08/2020

सील **नजूल जांच अधिकारी**
कबीरधाम

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-10, अमलीडीह सामुदायिक भवन पानी टंकी के पास,
Email: rmczone10@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 18/2020-21
वार्ड का नाम- रानी दुर्गावती-50

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि रानी दुर्गावती-50 वार्ड स्थित मकान/ भूमि ईडब्ल्यूएस- 260 न्यू राजेन्द्र नगर जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती मंजू लालवानी w/o स्व. दौलतराम लालवानी एवं अन्य के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती दीपिका दास w/o तोमेश्वर दास ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। **जोन कमिश्नर**
जोन क्र.-10
नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र. 52 दिनांक 14.07.20
वार्ड का नाम वार्ड- ठाकुर प्यारेलाल -40

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-40 स्थित भूमि 1266/1 जो कि निगम अभिलेख में श्री संदीप कोठारी s/o गुलाबचंद कोठारी के नाम से दर्ज है जिसको श्री नरेन्द्र कोठारी s/o गुलाबचंद कोठारी ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र. 54 दिनांक 15.07.20
वार्ड का नाम वार्ड- डा. खूबचंद बघेल-68

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-68 स्थित भूमि 68/नया जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती रचना ठाकुर w/o सौरभसिंह ठाकुर के नाम से दर्ज है जिसको श्रीमती निशा वर्मा w/o राजेश कुमार वर्मा ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित,
RNI NO.CHHHIN/2012/41806/ डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.वाई.पी. डीएन/40/2019-2021 email: navpradesh@gmail.com, फोन व फैक्स : 0771-4035602,

माधुरी दीक्षित बन गई हैं शायर

मुंबई (वार्ता)। बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित शायर बन गयी हैं। माधुरी दीक्षित सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं। वह अक्सर अपने फोटो और वीडियो के जरिए फैंस से जुड़ी रहती हैं। माधुरी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से एक फोटो शेयर किया है। माधुरी का ये फोटो यूं तो पुराना है, लेकिन इस तस्वीर को शेयर करते हुए माधुरी शायरी करती नजर आईं। माधुरी ने फोटो के साथ ही कैप्शन में शायरी लिखी है, जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। फोटो को शेयर करते हुए माधुरी दीक्षित ने लिखा, लाकर थोड़ी सी खुशी अपने चेहरे पर, हमने खुद को दूसरों से अलग बना लिया, लोग ढूंढ़ते रहे मुस्कुराने का कारण, हमने दूसरों की खुशी को अपना बना लिया।

सुशांत को याद कर भावुक हुई एकता कपूर

मुंबई (वार्ता)। जानी-मानी फिल्मकार एकता कपूर, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को याद कर भावुक हो गयी। सुशांत के निधन के एक महीने पूरे हो गये हैं। एकता कपूर ने सुशांत के निधन के एक महीने पूरे होने पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। एकता ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट को शेयर किया है। एकता कपूर ने सुशांत के साथ अपनी तस्वीरों का कोलाज बनाकर शेयर किया और लिखा, ÷भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे सुशी। हम हमेशा मुस्कराएंगे और जब भी आसमान में शूटिंग स्टार देखेंगे तो विश मांगेंगे क्योंकि मैं जानती हूं कि वो शूटिंग स्टार तुम ही हो। हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी।÷ उल्लेखनीय है कि सुशांत सिंह राजपूत को टीवी की दुनिया में एकता कपूर ने ब्रेक दिया था। सुशांत ने एकता के टीवी शो 'किस देश में है मेरा दिल' से शुरुआत की थी। इसमें उनका छोटा सा रोल था। इसके बाद सुशांत को 'पवित्र रिश्ता' में लीड रोल मिला था और इस शो के साथ ही सुशांत काफी लोकप्रिय हो गए थे।

'हिट' के रीमेक में काम करेंगे राजकुमार

मुंबई (वार्ता)। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव तेलुगू फिल्म 'हिट' की हिंदी रीमेक में काम करते नजर आयेंगे। तेलगू फिल्म 'हिट' का निर्देशन सैलेश कोलानू ने किया था, वहीं हिंदी रीमेक को भी वही डायरेक्ट करेंगे।

रीमेक में राजकुमार राव काम करने जा रहे हैं। यह एक्शन-थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में राजकुमार पुलिस अधिकारी के किरदार में नज़र आएंगे। राजकुमार की इस फिल्म को दिल राजू और कुलदीप राठौर प्रोड्यूस कर रहे हैं। राजकुमार राव फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। राजकुमार राव ने , 'ये काफी एंगेजिंग स्टोरी है जो आज के वातावरण के हिसाब से फिट बैठती है। एक एक्टर के तौर पर मैं हमेशा ऐसे किरदार की तलाश में रहता हूं जिसे अब तक मैंने एक्स्प्लोर ना किया हो। 'हिट' मुझे ऐसा करने का मौका देगी। जब मैंने 'हिट' देखी तो मैंने तुरंत हां कर दी थी। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग अगले साल यानी 2021 में शुरू हो जाएगी।

'थलाइवी' में जयललिता की मां का किरदार निभायेगी भाग्यश्री!

मुंबई (वार्ता)। बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री फिल्म 'थलाइवी' में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और अभिनेत्री जयललिता की मां का किरदार निभाती नजर आ सकती हैं।

सुपरहिट फिल्म 'मैंने प्यार किया' फेम भाग्यश्री जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक करने जा रही हैं। भाग्यश्री ने कंगना रनौत के लीड रोल वाली फिल्म 'थलाइवी' साइन की है। इस फिल्म में कंगना तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के किरदार में नजर आएंगी। बताया जा रहा है कि फिल्म 'थलाइवी' में भाग्यश्री, जयललिता की मां संध्या का किरदार निभाती नजर आयेंगी। फिल्म में जयललिता के बचपन से लेकर राजनीति में शिखर तक पहुंचने का सफर दिखाया गया है। इसलिए भाग्यश्री का किरदार और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 'थलाइवी' की शूटिंग पिछले काफी समय से कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण रुकी हुई है। यह फिल्म हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगू और अंग्रेजी में भी रिलीज होगी।

दिलकश अदाओं से दीवाना बनाया कैटरीना कैफ ने

36 की हुई कैटरीना कैफ

मुंबई (वार्ता)। बॉलीवुड में कैटरीना कैफ एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर शुमार की जाती है जिन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से करीब दो दशक से सिने प्रेमियों को अपना दीवाना बनाया हुआ है।

16 जुलाई 1983 को हांगकांग में जन्मीं कैटरीना कैफ मूल नाम कैटरीना टॉरकेटी ने 14 वर्ष की उम्र में मॉडलिंग से अपने करियर की शुरूआत की। कैटरीना मॉडलिंग करने के उद्देश्य से मुंबई आयी थी लेकिन इस दौरान उनकी मुलाकात कैजाद गुस्ताद से हुयी।कैजाद गुस्ताद उन दिनों फिल्म 'बूम' बना रहे थे। कैजाद ने कैटरीना को फिल्म में काम करने का प्रस्ताव दिया जिसे कैटरीना ने स्वीकार कर लिया।

वर्ष 2003 में प्रदर्शित फिल्म 'बूम' आपराधिक पृष्ठभूमि पर आधारित थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जैकी श्राफ ने मुख्य भूमिका निभायी थी। कमजोर पटकथा के कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई धूम नहीं मचा सकी। वर्ष 2005 में कैटरीना कैफ को एक बार फिर से अमिताभ के साथ फिल्म 'सरकार' में काम करने का अवसर मिला लेकिन फिल्म की सफलता के बावजूद उन्हें कोई खास फायदा नहीं मिला।

वर्ष 2005 में प्रदर्शित फिल्म 'मैने प्यार क्यूं किया' कैटरीना कैफ के सिने करियर की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुयी। बताया जाता है कि यह फिल्म कैटरीना को सलमान खान की वजह से मिली थी। फिल्म की सफलता के बाद कैटरीना को फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी फिल्मों के प्रस्ताव मिलने शुरू हो गये। कैटरीना के सिने करियर में उनकी जोड़ी खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार के साथ काफी पसंद की जाती है। अक्षय और कैटरीना की जोड़ी सर्वप्रथम वर्ष 2006 में प्रदर्शित फिल्म 'हमको दीवाना कर गये' में एक साथ नजर आयी।

हॉकी स्टिक के साथ अभ्यास शुरु करना सुखदः सुमित

सोनीपत (वार्ता)। भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर सुमित ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के बाद घरेलू मैदान में हॉकी स्टिक के साथ अभ्यास दोबारा शुरु करना सुखद है। 23 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा, ÷किसी भी खिलाड़ी जो दिन रात हॉकी स्टिक के साथ अभ्यास करता है उसके लिए इतने लंबे समय तक मैदान से बाहर रहना काफी मुश्किल है। लेकिन घर में अपने दोस्तों के साथ मैदान में हॉकी स्टिक के साथ अभ्यास करना बेहद सुखद है। उन्होंने कहा, ÷मैदान पर सावधानी बरतते हुए अपने

कौशल में सुधार लाने से खुशी महसूस हो रही है। मैं अगले राष्ट्रीय शिविर से पहले खुद को संतुलित करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसके लिए अपनी फिटनेस ट्रेनिंग कर रहा हूं और अपनी सोसाइटी में वर्कआउट कर रहा हूं। मिडफील्डर ने कहा, ÷इतने लंबे समय के बाद अपने परिवार के साथ समय बिताने से अच्छा लग रहा है। जब मैं यहां आया तो मेरी मां का चेहरा देखना काफी सुखद था और मुझे यहां आकर बेहद खुशी हुई। सुमित ने कहा, ÷इसने मेरी आत्मशक्ति को बढ़ावा दिया और मुझे खुशी है कि मुझे बड़े टूर्नामेंट से खुद को समय देने का मौका मिला। मैं इसके साथ ही अपने भाई और भतीजे के साथ भी समय बिता रहा हूं। सुमित का भारतीय हॉकी टीम में शानदार करियर रहा है। उन्होंने जूनियर टीम में बेहतरीन प्रदर्शन किया है जिसमें 2016 में लखनऊ में हुए जूनियर विश्वकप की खिताबी जीत भी शामिल है। सुमित ने 2017 में सुल्तान अजलन शाह कप से सीनियर टीम में पदार्पण किया था। सुमित ने कहा, ÷मैं हमेशा से ही सीनियर टीम के लिए खेलते हुए बड़े टूर्नामेंट जीतना चाहता हूं। टीम के लिए आने वाले कुछ साल काफी महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि मैं उस दौरान अपने करियर में सर्वश्रेष्ठ रहूं जिससे अपनी टीम की मदद कर सकूं। मिडफील्डर ने कहा, चोट के कारण चार-पांच महीने से टीम से बाहर रहना मेरे लिए काफी मुश्किल समय था लेकिन मैंने मुख्य कोच ग्राहम रीड से बात की और उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। सुमित ने कहा, मेरे लिए एफआईएच हॉकी प्रो लीग में हॉलैंड के खिलाफ पहले दो मैच में वापसी करना अच्छा रहा।

'एक राज्य एक खेल' नीति को राज्यों का पूर्ण समर्थनः रिजिजू

नई दिल्ली (वार्ता)। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि 'एक राज्य एक खेल' नीति का पालन करने के लिए राज्यों का पूर्ण समर्थन मिला है क्योंकि मंत्रियों और अधिकारियों ने एक खेल वाली नीति को अपनाने में गहरी रुचि दिखाई है जिसमें उनका राज्य पारंपरिक रूप से मजबूत रहा है।

रिजिजू ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवा मामले एवं खेल विभाग के मंत्रियों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद किया। इस बैठक का आयोजन दो दिवसीय सम्मेलन के पहले भाग के रूप में किया गया, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कोविड-19 के पश्चात खेलों की बहाली पर चर्चा की।

खेल मंत्री ने कहा कि प्रत्येक राज्य में एक 'खेलो इंडिया स्टेट सेंटर एक्सीलेंस' की स्थापना और 'एक राज्य एक खेल' नीति का पालन करने के लिए राज्यों का पूर्ण समर्थन मिला है क्योंकि मंत्रियों और अधिकारियों ने एक खेल वाली नीति को अपनाने में गहरी रुचि दिखाई, जिसमें उनका राज्य पारंपरिक रूप से मजबूत रहा है।

बीसीबी ने खिलाड़ियों को व्यक्तिगत ट्रेनिंग की दी इजाजत

ढाका (वार्ता)। बंगलादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने खिलाड़ियों को उनकी खुद की सुरक्षा पर व्यक्तिगत ट्रेनिंग की इजाजत दे दी है। बीसीबी ने कुछ दिनों पहले सुरक्षा को देखते हुए शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में व्यक्तिगत ट्रेनिंग की इजाजत देने से मना कर दिया था। बंगादेश में मार्च के मध्य से कोरोना वायरस के कारण क्रिकेट गतिविधियां ठप्प पड़ी हुई है जबकि कुछ देशों ने

सीमित रुप से खेल गतिविधियां शुरु कर दी हैं। मुशफिकुर रहीम उन खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने बीसीबी से अभ्यास शुरु करने की इजाजत मांगी थी लेकिन बोर्ड ने विसंक्रमण सुविधा नहीं होने का हवाला देते हुए मना कर दिया था। इस बीच रहीम ने कहा कि वह व्यक्तिगत ट्रेनिंग शुरु कर चुके हैं। बीसीबी ने हाल ही में 35 खिलाड़ियों के साथ बैठक की थी और उन्हें बताया था कि वे शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में व्यक्तिगत ट्रेनिंग शुरु कर सकते हैं। सूत्र के मुताबिक सिर्फ दो खिलाड़ियों ने ही स्टेडियम का इस्तेमाल करने की इच्छा जतायी है।

रुस एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष युरचेंको ने दिया इस्तीफा

मॉस्को (वार्ता)। रुस एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष येवगेनी युरचेंको ने कार्यकाल समाप्त होने के पांच महीने पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रुस एथलेटिक्स महासंघ ने अपनी वेबसाइट के जरिए इसकी सूचना दी। हालांकि युरचेंको ने इस्तीफा देने के कारणों का खुलासा नहीं किया है। युरचेंको ने बयान जारी कर कहा, ÷मैं आज रुस एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर रहा हूं।÷ उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नए अध्यक्ष विश्व एथलेटिक्स के साथ संबंधों में लगभग पांच साल की कठिनाइयों को हल करने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि महासंघ को विकसित करने के लिए पर्याप्त धन जुटाया जाए। युरचेंको को गैर-विकल्प के तौर पर इस साल 28 फरवरी को महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया था।

मशरफे मुर्तजा का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया

ढाका (वार्ता)। मशरफे मुर्तजा का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। हालांकि उनकी पत्नी सुमोना हक़ का टेस्ट पॉजिटिव आया है। मुर्तजा ने मंगलवार को बताया कि वह और उनकी पत्नी सुमोना हक गत 20 जून को कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। उन्होंने बताया कि उनका दोबारा कोरोना टेस्ट किया गया जिसका नतीजा निगेटिव आया। हालांकि उनकी पत्नी सुमोना का एक बार नतीजा पॉजिटिव आया है।

32 साल बाद इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरेगी वेस्ट इंडीज टीम

मैनचेस्टर (वार्ता)। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच गुरुवार से मैनचेस्टर में होने वाले सीरीज के दूसरे टेस्ट मुकाबले में मेहमान टीम की नजरें मैच जीत कर 32 साल के लम्बे अंतराल के बाद इंग्लैंड की जमीन पर सीरीज जीतने पर लगी होंगी जबकि मेजबान इंग्लैंड सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगा।

साउथम्पटन में पहले टेस्ट से 117 दिन के लम्बे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हुई थी लेकिन दर्शकों के बिना खेले गए पहले टेस्ट में विंडीज ने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए पांचवें दिन चार विकेट से जीत हासिल कर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी और अब उसकी निगाहें दूसरे मुकाबले में भी इंग्लिश टीम को परास्त कर सीरीज पर कब्जा करने की होगी। वेस्ट इंडीज ने इस जीत से आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पहली बार अंक हासिल किये थे। विंडीज को इस जीत से 40 अंक मिले थे।

विंडीज ने आखिरी बार इंग्लैंड की जमीन पर 1988 में सीरीज जीती थी जब उसने पांच मैचों की सीरीज को 4-0 से कब्जाया था लेकिन विंडीज को साथ ही अपने इतिहास से सतर्क रहना होगा। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड में 20 साल बाद सीरीज के पहले टेस्ट में जीत हासिल की है। इससे पहले वर्ष 2000 में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड में सीरीज का पहला टेस्ट पारी और 93 रन से जीता था लेकिन वह सीरीज उसे 1-3 से गंवानी पड़ी थी।

वेस्टइंडीज के कप्तान जैसन होल्डर फॉर्म में हैं और उन्होंने पहले टेस्ट की पहली पारी में 42 रन देकर छह विकेट झटके थे। उनके अलावा शेनन गेब्रियल ने भी पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल नौ विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने थे। गेब्रियल ने दूसरी पारी में पांच विकेट लिए थे। होल्डर की कप्तानी में वेस्ट इंडीज की 33 टेस्टों में यह 11वीं जीत थी और अब उनके पास रिची रिचर्डसन को पीछे छोड़ने का मौका रहेगा जिन्होंने अपनी कप्तानी में 24 टेस्टों में 11 टेस्ट जीते हैं। विंडीज के लिए पहले टेस्ट में विजयी 95 रन की पारी खेलने वाले जर्मन ब्लैकवुड को दूसरे मुकाबले में भी अपनी फॉर्म बरकरार रखते हुए एक बार फिर बड़ी पारी खेलनी होगी।

इंग्लैंड भले ही पहले मुकाबले में पराजित हुई लेकिन वो वापसी की पूरी कोशिश करेगी जिससे विंडीज को कठिन चुनौती मिल सकती है। इंग्लैंड को वापसी करने के लिए अपनी गेंदबाजी के पत्तों को सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा।

वेस्टइंडीज को अगर इंग्लैंड को उसके घर में सीरीज में मात देनी है तो उसके सलामी बल्लेबाजों क्रैग ब्रेथवेट और जॉन कैंपबेल को टीम को मजबूत शुरुआत दिलानी होगी। विंडीज की सलामी जोड़ी ने पहले टेस्ट की पहली पारी में 43 रन की साझेदारी की थी और ब्रेथवेट ने बेहतरीन 65 रनों की पारी खेली थी लेकिन दूसरी पारी में ब्रेथवेट और कैंपबेल की जोड़ी नाकाम साबित रही थी और महज सात रन के स्कोर पर दोनों बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। वेस्टइंडीज को इंग्लैंड के तेज आक्रमण का बखूबी सामना करना होगा।

आर्चर और वुड को रोटेट करे इंग्लैंडः गॉग

लंदन (वार्ता)। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज डेरेन गॉग ने पहले टेस्ट में इंग्लिश टीम की वेस्ट इंडीज के हाथों चार विकेट की पराजय के बाद कहा है कि इंग्लैंड को केवल तेजी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और जोफ्रा आर्चर तथा मार्क वुड को रोटेट करना चाहिए।

इंग्लैंड ने साउथम्पटन में पहले टेस्ट में आर्चर और वुड की तेजी पर भरोसा किया था और स्विंग गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को एकादश से बाहर रखा था। इंग्लैंड यह मुकाबला चार विकेट से हार गया। इंग्लैंड के लिए 58 टेस्ट खेलने वाले गॉग ने कहा, ÷मैंने शुरुआत से ही कहा है कि आर्चर और वुड को रोटेट करें लेकिन हम तेजी के चक्कर में पड़ गए क्योंकि वुड ने दक्षिण अफ्रीका में काफी तेजी दिखाई थी। आर्चर भी ऐसा कर चुके हैं लेकिन हर मैच में कामयाबी मिलना मुश्किल है। गॉग ने कहा कि इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में स्टुअर्ट ब्रॉड और क्रिस वोक्स को वापस लाना चाहिए जो गुरूवार से मैनचेस्टर में शुरू होगा। उन्होंने कहा, ÷ मैं चाहूंगा कि दूसरे टेस्ट में वुड और जेम्स एंडरसन को विश्राम देकर ब्रॉड और वोक्स को लाया जाए।

न्यूज गैलरी

खेत में मिला बेहोश, अस्पताल ले जाते मौत

महासमुंद। खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम बीकेबाहरा में खेत में काम कर रहे व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। मृतक के भाई नेतराम पिता मोतीराम ने पुलिस को बताया कि पुरूषोत्तम भुजिया खेत में काम करने गया था। वह खेत में बेहोश मिला उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई।

गाली गलौज, दम्पत्ति के खिलाफ जुर्म दर्ज

महासमुंद। ग्राम नायकबांधा में फसलों को मवेशियों से चराने के विवाद पर मामला पंजीबद्ध किया गया है। पिछले दिनों गांव के ही पलटन ध्रुव पिता पंचुराम ध्रुव और फुलेश्वरी ध्रुव पति पलटन ध्रुव के खिलाफ खल्लारी थाना में गणेश राम बरिहा ने शिकायत की है कि आरोपी ने उनके खेत के तार घेरा को तोड़ कर खेत में लगी फसल को मवेशियों को चरने के लिए छोड़ दिया। विरोध किए जाने पर गणेश राम बरिहा और पत्नी को पलटन ध्रुव और उनकी पत्नी फुलेश्वरी ध्रुव ने अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी। प्रार्थी की शिकायत पर पलटन ध्रुव और फुलेश्वरी ध्रुव के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 34 के तहत मामला पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है।

रिटायर्ड पुलिसकर्मी के खाते से 5.70 लाख पार

महासमुंद। एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी आनलाइन ठगी का शिकार हो गए। शत्रुघ्न ठाकुर ने पिथौरा पुलिस को बताया कि महीनेभर पहले ही वह पुलिस विभाग से रिटायर हुआ है। खाते में उनके 5.70 लाख रुपए जमा था, जिसे आनलाइन ठगों ने निकाल लिया। शिकायत के बाद साइबर सेल और पुलिस जांच में जुट गई है।

वृद्ध से मारपीट, जुर्म दर्ज

महासमुंद। मारपीट के मामले में शिकायत पर पुलिस ने दामाद के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। बसना थाना क्षेत्र के अरेकेलडीपा निवासी राजकुमारी डड़सेना पति गौरांगो (60) ने पुलिस को बताया कि वह अपने पति का ईलाज के बाद ठीक होने पर अपने घर ले आई थी जिसे उसकी दुसरी पत्नी खिरोबाई की लड़की का पति अक्षय डड़सेना अपने घर बंसुलाडीपा ले गया था जिसे लाने जाने पर पालन पोषण मैं करूंगा कहते उसके साथ मारपीट कर दी। शिकायत पर पुलिस ने बसुलाडबरी निवासी अक्षय डड़सेना के खिलाफ 294, 323, 506 के तहत जुर्म दर्ज की।

वाहनों में टक्कर, टायर बदल रहे तीन घायल

महासमुंद। एनएच- 53 पर चिरको मोड़ के पास टायर बदलने के दौरान एक गाड़ी को दूसरे गाड़ी ने टक्कर मार दी। जिससे टायर बदल रहे तीन घायल हो गए। इनमें से दो की हालत गंभीर है, जिन्हें रायपुर रेफर कर दिया गया है। घटना 11 जुलाई सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है। पटेवा पुलिस के मुताबिक ड्राइवर गणेश राम पिकअप वाहन ओडी 23-6085 में लोहा भरकर रायपुर से झारसुगुड़ा जा रहा था। इसी दौरान गाड़ी का टायर पंचर हो गया। टायर बदलने के दौरान ही पीछे से आ रहा वाहन क्रमांक सीजी 04 एनए 2510 ने पिकअप को ठोकर मार दी। घटना में वाहन का पिछला भाग क्षतिग्रस्त हो गया और जेक नीचे गिरने से स्टेपनी चेंज कर रहे रामनरेश सोनी, नरेश मेहेर एवं संजय तांडी को चोटें आई। तीनों को 108 एम्बुलेंस से सीएचसी तुमगांव लाया गया, जहां से रामनरेश सोनी एवं नरेश मेहेर को रायपुर रेफर किया गया। इधर, पुलिस ने प्रार्थी ड्राइवर गणेश राम की शिकायत पर वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में लिया है।

69 लोगों की भाजपा जिला कार्य समिति में 22 महिलाओं को मौका

महासमुंद। भाजपा की जिलाध्यक्ष रूपकुमारी चौधरी ने अपनी जम्बो टीम तैयार कर ली है। जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति के 7 महीने बाद मंगलवार को जिला कार्यसमिति की घोषणा की। इस टीम में पदाधिकारियों समेत कुल 69 लोगों को शामिल किया गया है। कार्यसमिति में कुल 22 महिलाओं को मौका दिया गया है, जिसमें से 5 को पदाधिकारी बनाया गया है। विपिन उबोवेजा, योगेश्वर राजू सिन्हा, रमेश अग्रवाल, जितेंद्र त्रिपाठी, मोनिका साहू, पवन वर्मा को भाजपा उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी तरह संजय शर्मा को जिला महामंत्री बनाया गया है। वहीं प्रदीप चंद्राकर की महामंत्री पद पर नियुक्ति जिलाध्यक्ष के चुनाव के दौरान ही की जा चुकी है। जिला कोषाध्यक्ष के पद पर थानसिंह दीवान को नियुक्त किया गया है। जिला मंत्री निरंजना शर्मा, पवन पटेल, शंकर तांडी, मंत्री प्रधान, किरण अग्रवाल, देवकी दीवान होंगी।

गरियाबंद जिले में हो रहे अवैध रेत खनन में खनिज विभाग की संलिप्तता शामिल

जीवन एस साहू

गरियाबंद (नवप्रदेश)। गरियाबंद जिला के कुरुसकेरा रेत घाट से रेत खनन व भंडारण को चैनमोंटिंग नदी में लगाकर धड़ल्ले से अवैध रेत खनन किया जा रहा है किन्तु खनिज विभाग और जिला प्रशासन की कर्तव्य उदासीनता के चलते यह संभव हो पा रहा है,

छूटभैय्ये किस्म के रेत माफिया लोग घाट पर अवैध खनन धड़ल्ले से कर रहे हैं ।

एनजीटी के नियमों के विरुद्ध चैनमोंटिंग नदी में डाल कर अवैध रूप से कई घंटो रेत खनन किया जा रहा है और इसकी भनक खनिज विभाग को नहीं यह कैसे संभव है ?

भंडारण के लिए काटा गया पीटपास के ऐवज में विभाग द्वारा जारी किया गया उल्ट पीटपास जाँच के दायरे में आता है । रेत माफियाओं का खुला तांडव गरियाबंद जिला में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के नाक के नीचे से चला रहे हैं और प्रशासन में ही बैठे नुमाइंदों की मिली भगत का यह परिणाम है ।

> रेत खनन व परिवहन को लेकर जिला प्रशासन मुकदर्शक बने हुए है। कुरुसकेरा रेत घाट में अवैध रूप से खनन कर रेत परिवहन किया जा रहा है ।भंडारण को मात्र दिखाने के लिए रखा गया है, जबकि भंडारण नियम में भी जिला प्रशासन सांठगांठ कर बिना डायवर्सन जमीन पर भी भंडारण की अनुमति दिया गया है । विभाग के द्वारा रेत भंडारण जो 15 जून के पूर्व किया गया था और आज की स्थिति में कितनी मात्रा में भंडारित रेत मौजूद है और विभाग द्वारा कितनी उल्ट पीटपास जारी किया गया है जाँच की जाये तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगा। विभागीय अधिकारियों की सांठगांठ को नहीं नकारा जा सकता।
>
> **प्रीतम सिन्हा,** भाजपा नेता एवं पांडुका पूर्व मंडल अध्यक्ष

वर्तमान स्थिति में पूर्ण रूप से जब खनन प्रतिबंधित है तो खनन कैसे शुरु किया गया है ?

इससे प्रतीत हो रहा है कि सरकारी तंत्र की मिलीभगत से ही अवैध खनन और भंडारण का सारा क्रिया कलाप हो रहा है । अवैध खनन पर सरकार द्वारा जब रोक लगाया जाने निर्देश जारी किए गए हैं तो भी नदियों से रेत निकासी और परिवहन बदस्तूर जारी है।

अब सवाल ये है कि सरकार ने रेत खनन व परिवहन पर तो ब्रेक लगाया हुआ है फिर रेत खनन किसके इशारे पर हो रहे हैं,रेत माफियाओं की गिध्द नज़र पैरी नदी पर है गरियाबंद जिला के कुरुसकेरा रेट घाट से आज भी रात के अंधेरे में कई हाईवा ट्रक द्वारा रोज़ रेत लेकर अवैध परिवहन किया जा रहा है।

रेत माफियाओं की गुंडागर्दी से गांव के लोग भी भयभीत है,

ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद जिला पंचायत भी अब तक मूकदर्शक बने बैठे हैं ।

कुरुसकेरा घाट का टेंडर प्रक्रिया से कुल रकबा लगभग 12 एकड़ नदी जमीन पर लगभग 23000 घनमीटर रेत उत्खनन के लिए घाट संचालित किया गया है । जिसमें विभाग द्वारा एक साल के लिए पीटपास जारी किया जाता है। मगर उसी पीटपास के लिए आवश्यक दस्तावेजों को जमा कर 15 जून से पहले जो भंडारण का अनुमति मिला है उसी को खनिज विभाग के द्वारा भंडारण अनुबंध कर पीटपास जारी कर रेत परिवहन किया जाना चाहिए था ।

मगर कुरुसकेरा घाट पर ट्रेक्टरों से जंगली झाड़ियों से रेंप निर्माण कर कई हाइवा गाड़िया तथा नदी में चैनमोंटिंग से लोडिंग कर अवैध रुप से खनन कर रेत परिवहन किया जा रहा है और विभाग मौन धारण कर एनजीटी के नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं।

रेत माफियाओं के द्वारा डंके के चोट पर अवैध खनन कर रहे हैं वह भी विभागीय साठगांठ होने का इशारा कर रही है 15 जून से 15 अक्टूबर तक सभी गौंण खनन प्रतिबंधित है फिर भी रेत खनन जारी है,

रेत माफियाओं का स्थानीय दलालों तथा विभागीय अधिकारियों से साठगांठ के चलते ही अवैध खनन परिवहन को अंजाम दिया जा रहा है ।

अच्छी बारिश के बाद खेती-किसानी कार्य में आई तेजी

नवप्रदेश संवाददाता

लवन। लवन अंचल में अच्छी बारिश के बाद खेती-किसानी ने रफ्तार पकड़ ली है। खेतों में किसानों की चहल-पहल बढ़ गई है। सुबह से दोपहर 3 बजे तक किसान व मजदुर खेती कार्य में व्यस्त होने लगे है। बारिश पर निर्भर किसान निंदाई का काम शुरू कर दिए है। वही साधन सम्पन्न किसान रोपाई का काम शुरू कर दिया है। बाजार में खाद, बीज, दवाई और कृषि उपकरणों की खरीदी के लिए किसानों की भीड़ काफी जुट रही है। विगत दिनों व बुधवार को हुई अच्छी बारिश से खेती के काम में तेजी आई है, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए है। क्षेत्र में पारंपरिक रूप से बैलों से खेतों की जुजाई की जा रही है तो कहीं किसान जल्द काम निपटाने के लिए ट्रैक्टर का सहारा ले रहे हैं। अधिकांश किसानों ने बियासी का काम शुरू कर दिए है।

ग्राम डोंगरा के किसान शिव कुमार वर्मा ने बताया कि पिछले दिनों हुई बारिश से खेतों में पर्याप्त पानी भर गया है। इस वर्ष अच्छी बारिश से धान बियासी व निंदाई, कोड़ाई कराने के अनुकूल हो गई है। वर्मा ने यह भी बताया कि उनकी 10 एकड़ की खेती है। सभी खेतों की बैलों से ही जुताई, व बुवाई करते है। ट्रैक्टर और रोपाई पद्वति से खेती करने में किसानी लागत बढ़ जाती है। मंहगाई से बचने के लिए वे सभी खेतों की जुताई नागर-बैल से ही कर रहे है। रोपाई कराने वाले अधिकतर किसान ट्रैक्टर का उपयोग कर रहे है। किसान वर्मा ने यह भी बताया कि कोरोना काल की मार झेल रहे किसानों को इस वर्ष अच्छी फसल होने का इंतजार है। लॉकडाउन होने की वजह से किसान तीन-चार महिनों तक घरों में खाली बैठे रहे, इस वजह से छोटे किसान खेती किसानी के लिए रूपये जुटा नहीं पाये है। इस वजह से छोटे किसानों को परेशानी हो रही है।

एक माह तक चलने वाले शिशु संरक्षण माह का हुआ शुभारंभ

■ कलेक्टर ने बिटिया भूमिका को पिलाई विटामिन ए की दवा

महासमुंद। एक माह तक चलने वाले शिशु संरक्षण माह का शुभारंभ हुआ। मंगलवार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डा रवि मित्तल की बिटिया को विटामिन ए की दवा पिलाकर कार्यक्रम की शुरूआत की। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने कलेक्ट्रेट परिसर पर तीन वर्ष की बिटिया भूमिका को भी विटामिन ए दवा पिलाई। वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी डा रवि मित्तल भी बच्चों को दवा पिलाई। इस तरह जिला स्तरीय शिशु संरक्षण माह की शुरूआत हुई। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. एसपी वारे, सिविल सर्जन अधीक्षक डा. आरके परदल, जिला टीकाकरण अधिकारी डा. अरविन्द गुप्ता, डीपीएम संदीप ताम्रकर मौजूद थे।

महासमुंद जिले में शिशु संरक्षण माह के दौरान 82 हजार से ज्यादा बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई जाएगी और आयरन फॉलिक सिरप के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं को आयरन फॉलिक एसिड की गोली भी दी जाएगी। बता दें कि आयरन और विटामिन ए से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास ठीक से होता हैं। जिले के सभी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में यह निःशुल्क उपलब्ध होगी। मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि शिशु संरक्षण माह 14 जुलाई से 14 अगस्त 2020 तक चलेगा। इस दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए सिरप, आयरन फॉलिक एसिड की गोली, बच्चों का वजन लेना, पोषण आहार की जानकारी देना, आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार की सेवाओं की उपलब्धता कराना और गम्भीर कुपोषित बच्चों को चिन्हांकित कर पोषण पुनर्वास केन्द्रों में काउंसलिंग के जरिए लाना हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार को प्रातः 9 बजे से शाम 3 बजे तक सभी स्वास्थय केन्द्रों में विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी।

डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए लोगों को किया जाए जागरुक

महासमुंद। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल की अध्यक्षता में यहां डेंगू रोधी अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक हुई। कलेक्टर ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में डेंगू के रोकथाम एवं नियंत्रण के आवश्यक दिशा निर्देश दिए है। बैठक में डेंगू के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए लोगों को आवश्यक दिशा-

निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास, नगर-पालिका आदि के साथ तालमेल कर साफ-सफाई पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए लोगों को और जागरुक किया जाए। स्वच्छता पर विषेष ध्यान दिए जाने के साथ-साथ डेंगू की रोकथाम के लिए प्रयास किया जाए। डेंगू कीटजनित संचारी रोग है।

घर घुसकर गाली-गलौज, जुर्म दर्ज

महासमुंद। घर में घुसकर गाली-गलौज करने वाले व्यक्ति पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। घटना 12 जुलाई की है। बागबाहरा के आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत भृत्य रवि कुमार दुबे ने दो साल पहले महासमुंद क्लबपारा निवासी दीपेश गिरी गोस्वामी से 2 लाख रुपए उधार लिया था। रवि ने शिकायत में बताया कि उसने किस्तों में दीपेश को पूरी राशि अदा कर दी है। इसके बावजूद 17 जुलाई को दोपहर तीन बजे वह उसके घर पहुंचा। घर पर रवि की अनुपस्थिति पर दीपेश ने उसकी बहनों के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। घटना की सूचना के बाद रवि ने थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। प्रार्थी के शिकायत के आधार पर बागबाहरा पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।

जाति प्रमाण पत्र आवेदनों की आनलाइन एंट्री में लाएं तेजी : कलेक्टर

■ कलेक्टर की अध्यक्षता में समय-सीमा की हुई बैठक, अधिकारियों से वन-टू-वन ली जानकारी

महासमुंद। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने यहां कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों से समय-सीमा के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में वन-टू-वन जानकारी ली। कलेक्टर की अध्यक्षता में यह बैठक कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में हुई।

कलेक्टर ने स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्रों की आनलाइन एण्ट्री की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से कहा कि यह काम सर्वोच्च प्राथमिकता का है। इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक सप्ताह 400 से 500 जाति प्रमाण पत्र आवेदनों का आनलाइन एण्ट्री का प्रयास करें। उन्होंने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से भी कहा कि उनकी तहसीलों में अभी इन जाति प्रमाण पत्रों की आवेदनों की एण्ट्री संतोषजनक नहीं हैं। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी से वीडियों कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से यह बात कहीं। बैठक में सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी की उपस्थित नहीं होने पर भी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि प्रत्येक समय-सीमा की बैठक में वे उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ रवि मित्तल, डिप्टी कलेक्टर पूजा बंसल सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों से कहा कि वे गढ़कलेवा के लिए उपयुक्त जमीन चिन्हांकित कर अवगत कराएं ताकि गढ़कलेवा खोलने की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मास्क न पहनने वालें लोगों पर जरूरी कार्रवाई की जाए।

दिक्कतें इधर... निकायो में समुचित व्यवस्था नही, ना गौठान ना काजी हाउस में पर्याप्त क्षमता

बढ़ती सड़क दुर्घटना को देखते हुए कलेक्टर ने शहरी क्षेत्र में रोका छेका अभियान चलाने के दिए निर्देश

गरियाबंद। नेशनल हाईवे सहित मुख्य सड़को पर बढ़ती दुर्घटना को देखते हुए कलेक्टर छत्तर सिंह डेहरे ने मंगलवार को समय सीमा की बैठक में जनपद व नगरीय निकायो में भी रोका - छेका अभियान के क्रियान्वयन बेहतर ढंग से करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने कहा कि रोका-छेका अभियान के प्रति विभागीय अमले को भी मुस्तैद रखे। कोताही पर संबंधित जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ जिम्मेदार होंगे। इन परिस्थितियों में संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।

अभियान तो संचालित है,परंतु निकायो के पास व्यवस्था नही

इधर कलेक्टर ने निकाय और जनपद क्षेत्रो में रोका-छेका अभियान के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश तो जारी किए है परंतु निकाय के पास ना ही मवेशियो को रखने काजी हाउस में पर्याप्त जगह है और ना ही गौठान या अन्य व्यवस्था। निकायो में काजी हाउस बने भी है तो मात्र बीस से तीस मवेशियो को ही रखने की जगह है दूसरी ओन निकाय में पचास से साठ मवेशी सड़को पर जमे दिखाई पड़ते है। जानकारी के

मुताबिक गरियाबंद नगर पालिका क्षेत्र में 443 मवेशी है परंतु मुख्यालय में ना गौठान है ना ही पर्याप्त व्यवस्था है। मजबुरी में मवेशी को स्टेडियम में रखा जा रहा है जहां भी मवेशी को खतरा है। वही स्थिति छुरा नगर पंचायत क्षेत्र में 179 मवेशी है यहां मवेशी को रखने के इंतजाम नही होने के चलते शहर से बाहर जंगल की ओर ले जा कर छोड़ा जा रहा है। यही हाल फिंगेश्वर और राजिम निकाय में है। फिंगेश्वर नगर पंचायत में 300 से अधिक मवेशी है, यहां भी गौठान और काजी हाउस में जगह के अभाव में मवेशियो को स्टेडियम में रखा जा रहा है। राजिम निकाय में भी 1000 ये अधिक मवेशी है जिन्हे उचित व्यवस्था के अभाव में शहर से बाहर खदेड़ता जाता है। इसके अलावा भी बड़ी संख्या में आवारा पशु सड़को पर रहते है जिसमें अधिकृत रिकार्ड निकाय के पास भी नही हैं।

गौठान के लिए प्रस्ताव तैयार, सेंशन होने का इंतजार

चारो निकाय गरियाबंद, छुरा, फिंगेश्वर और राजिम के सीएमओ से चर्चा करने पर उन्होने बताया कि मवेशियो के रखने के लिए ठोस व्यवस्था नही है, कांजी हाउस में 20 से 40 मवेशी रखे जा सकते है परंतु इससे चार गुणा अधिक मवेशी सड़को पर दिखाई पड़ते है। काजी हाउस में भी पर्याप्त व्यवस्था नही है। उन्होने बताया कि गौठान के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है स्वीकृत होते ही एक से दो महिने मे गौठान तैयार हो जाएगा। फिर समस्या कम होगी।

> **सड़को पर जमे मवेशियो के कारण दो सड़क दुर्घटना हुई थी**
>
> ज्ञात हो कि 10 जुलाई को जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे में कलेक्टर और जिला पंचायत कार्यालय के सामने ही सड़को पर जमे मवेशियो के कारण दो सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें एक मवेशी की मौत हो गई थी वही तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिन्हे तत्काल रायपुर रिफर करना पड़ा था। इसे लेकर हमारे अखबार ने 11 जुलाई को प्रमुखता से खबर प्रकाशित कर राज्य सरकार की रोका-छेका अभियान को लेकर व्याप्त अव्यवस्था पर निशाना साधा था। इसके अलावा भी नेशनल हाईवे में इसी तरह की घटना की शिकायत आ रही थी। जिसके बाद प्रशासन ने सजगता दिखाते हुए अब शहरी निकाय क्षेत्रो में रोका- छेका अभियान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए है। परंतु अभियान के शुरूआत के पहले ना ही राज्य सरकार ने इसे लेकर निकायो में पर्याप्त व्यवस्था की और ना ही इस पर ध्यान दिया। जिसके चलते यह अभियान ढकोसला साबित हो रहा है। मवेशी पर रोक छेक के बदले मवेशी सड़को पर आवाजाही करने वालो वाहनो को रोक छेक रहे है।

नेशनल हाईवे में फिर दुर्घटना

इधर मंगलवार रात आठ बजे फिर एक मवेशी नेशनल हाईवे में बस स्टैण्ड के पास सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। जिसे सिर और शरीर में कई जगहो पर चोट लगी है। आपत स्थिति में उसे नगर पालिका कार्यालय में रखा गया है।

न्यूज गैलरी

जाइडस ने कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया

नई दिल्ली (वार्ता)। भारतीय दवा निर्माता कंपनी जाइडस कैडिला ने कोरोना वायरस कोविड-19 के संभावित टीके का मानव परीक्षण शुरू कर दिया है।कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी कि प्री क्लिनिकल टॉक्सिटी ट्रायल में कोविड-19 का उसका संभावित वैक्सीन जाइकोव-डी सुरक्षित पाया गया। कंपनी ने पहले और दूसरे चरण के मानव परीक्षण के तहत जाइकोव-डी का पहला डोज आज दिया है। इसका मानव परीक्षण 1,000 व्यक्तियों पर किया जायेगा। कंपनी के अध्यक्ष पंकज आर पटेल ने आज बताया कि कोरोना के खिलाफ जंग में यह बड़ा कदम है।

मारुति 135885 बलेनो-वैगन आर वापस मंगायेगी

नई दिल्ली (वार्ता)। देश की यात्री कार की अग्रणी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि उसने खराब ईंधन पंप की जांच और उसे दुरुस्त करने के लिए 1,34,885 वैगन-आर और बलेनो मॉडल की कारें वापस मंगाई हैं। कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी नियामकीय सूचना में कहा है कि ये कारें 15 नवंबर 2018 से लेकर 15 अक्टूबर 2019 के बीच की हैं। मारुति ने कहा वह स्वेच्छा से इन कारों को वापस मंगा रही है। कंपनी ने कहा की वैगन-आर की संख्या 56,663 इकाई और बलेनो की 78,222 इकाई हो सकती है। कंपनी ने कहा कि खराबी को दुरुस्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

ओयो की यूनिलीवर के साथ साझेदारी

नई दिल्ली (वार्ता)। होटल नेटवर्क संचालित करने वाली कंपनी ओयो होटल्स एंड होम्स ने ओयो की 'सैनिटाइज्ड स्टे' पहल को बढ़ावा देने के लिए यूनिलीवर के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि इस साझेदारी के तहत यूनिलीवर के अग्रणी होम एवं पर्सनल हाइजीन ब्रांडों का इस्तेमाल ओयो प्रॉपर्टीज़ की सफाई एवं डिस्इन्फेक्शन के लिए किया जाएगा।

होंडा कार्स इंडिया ने भारत में लॉन्च की पांचवीं पीढ़ी की नई होंडा

देश में प्रीमियम कारों की प्रमुख कंपनी होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (एचसीआईएल) ने बुधवार को अपनी बहु-प्रतीक्षित नई पांचवीं पीढ़ी की होंडा सिटी को भारत में लॉन्च किया जिसकी कीमत 10 लाख 89 हजार 900 रुपये से 14 लाख 64 हजार 900 रुपये (एक्स शोरूम दिल्ली) है।

नई दिल्ली (वार्ता)। देश में जनवरी 1998 में पेश की गई होंडा सिटी देश की सबसे सफल मिड-साइड सेडान बनी हुई है। सिटी ने भारत में सेडान के वास्तविक प्रामाणिक आकार को हमेशा परिभाषित किया है। इसने अब अपनी पांचवीं पीढ़ी में, अपने उपभोक्ताओं की जरूरतों एवं आकांक्षाओं के अनुरूप अपने आप को नए रूप में पेश किया है। बहु-प्रतिक्षित नई होंडा सिटी को अपनी विरासत को आगे बढ़ाने, सर्वोच्च अनुभव प्रदान करने और अपने उपभोक्ताओं के लिए बेहतर मूल्य प्रस्ताव के पेशकश के माध्यम से नए कीर्तिमान स्थापित करने के उद्देश्य के साथ डिजाइन किया गया है।

नई होंडा सिटी को भारत, आसियान देशों और अन्य बाजारों में लोगों की ड्राइविंग जरूरतों और जीवनशैली के लिए गए गहन बाजार सर्वेक्षण के बाद तोचिगी, जापान में स्थित होंडा खोज एवं अनुसंधान सेंटर में विकसित किया गया है। इस अवसर पर बोलते हुए होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी गाकू नाकानिशी ने कहा, ÷होंडा सिटी पिछले 22 सालों से भी अधिक समय से कारोबार में हमारा मुख्य स्तंभ बनी हुई है, भारतीय ऑटो इतिहास में यह सबसे लंबे समय तक चलने वाले मॉडल्स में से एक है। दुनियाभर में 40 लाख से अधिक इकाईयों की कुल बिक्री के साथ, इसने भारत में लगभग आठ लाख उपभोक्ताओं को खुशी प्रदान की है और बहुत से लोग इस मॉडल को खरीदने के इच्छुक हैं। सिटी की प्रत्येक पीढ़ी ने डिजाइन, प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता, ड्राइविंग आनंद, आराम और सुरक्षा को बढ़ाया है। यह कई इंडस्ट्री फर्स्ट या सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स के साथ आती है। उन्होंने आगे कहा, ÷हमारा उद्देश्य अपने उपभोक्ताओं के लिए एक नए मूल्य के साथ इसे पेश करने की है, जो सिटी के इतिहास में अभूतपूर्व है। हमें पूरा विश्वास है कि नई सिटी मिड-साइज सेडान सेगमेंट में सबसे बड़ी सेडान है। सेगमेंट एक नए रोमांच को पैदा करेगी। 5वीं पीढ़ी की होंडा सिटी का ग्रांड कॉन्सेप्ट 'महत्वाकांक्षी सेडान' है, जिसका उद्देश्य अपने ग्राहकों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना एवं उन्हें अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए आत्मविश्वास की एक मजबूत भावना प्रदान करना है। इसकी डिजाइन अवधारणा ने लुक, उच्च क्षमता, स्पोर्टीनेस और परिष्कार को बढ़ाया है। नई सिटी 4549 एमएम लंबाई और 1748 एमएम चौड़ाई के साथ सेगमेंट में सबसे बड़ी सेडान है। नए मॉडल की ऊंचाई 1489 एमएम और व्हीलबेस 2600एमएम का है। राजेश गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और निदेशक, विपणन एवं बिक्री राजेश गोयल ने कहा, ÷हमारा लक्ष्य एक महत्वाकांक्षी उपभोक्ता के लिए एक

रिलायंस रिटेल में अच्छी दिलचस्पी दिखा रहे हैं रणनीतिक निवेशक : अंबानी

मुंबई (वार्ता)। भारत के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी ने बुधवार को कहा कि उनके समूह के खुदरा उद्याम में रणनीतिक और वित्तीय निवेशक मजबूत दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

रिलायंस रिटेल ने पहले ही अपने ई-वाणिज्य व्यवसाय की परीक्षण आधार पर शुरुआत कर दी है। अंबानी ने कहा, हमने किराना भागीदारों के साथ जियोमार्ट किराने के मॉडल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। जियोमार्ट किराने के प्लैटफॉर्म का बीटा संस्करण 200 शहरों में चलाया जा रहा है। दैनिक ऑर्डर 2.5 लाख को पार कर चुके हैं, और संख्या हर दिन बढ़ रही है।

नीता ने एजीएम को संबोधित किया

मुकेश अंबानी की पत्नी व रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पहली बार रिलायंस एजीएम को संबोधित किया। इस मौके पर नीता ने शेयर धारकों को रिलायंस फाउंडेशन द्वारा कोरोना संकट में किए जा रहे सामाजिक कार्यों की जानकारी दी। नीता अंबानी ने बताया कि मिशन अन्न सेवा के जरिये देश भर में 5 करोड़ से ज्यादा गरीबों, मजदूरों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भोजन उपलब्ध कराया गया। नीता अंबानी ने बताया कि कोरोना संक्रमण शुरू होते ही पीपीई किट का बड़ा संकट पैदा हो गया था। इसके लिए रिकॉर्ड वक्त में ऐसी मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई गई, जिससे हर दिन 1 लाख पीपीई किट और एन 95 मास्क बनाया जा सकें। उन्होंने बताया कि रिलायंस इमर्जेंसी सर्विस में लगी गाड़ियों के लिए देश भर में मुफ्त ईंधन उपलब्ध कराया रहा है।

80 प्रतिशत से अधिक फल और सब्जी सीधे किसानों से खरीदते स्टोर

उन्होंने कहा कि किसानों को साथ में जोड़ना और उनकी ताजा उपज सीधे घरों तक पहुंचाना कंपनी की किराना रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा, इससे किसानों की आय में काफी सुधार होगा और उच्च उत्पादकता को प्रोत्साहन मिलेगा। रिलायंस रिटेल के 12 हजार स्टोर में से दो-तिहाई से अधिक स्टोर टियर 2, टियर 3 और टियर 4 शहरों में संचालित हैं। उन्होंने कहा, ये स्टोर 80 प्रतिशत से अधिक फल और सब्जी सीधे किसानों से खरीदते हैं।

इफको ने वित वर्ष 2019-20 के दौरान उत्पादन, बिक्री और लाभ के क्षेत्र में बनाया नया रिकॉर्ड

नई दिल्ली। विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी समिति इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान उत्पादन, बिक्री, लाभ और प्रचालन के क्षेत्र में अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन के साथ नया कीर्तिमान कायम किया है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान इफको को 1005 करोड़ रुपए का लाभ हुआ जो, अब तक का सर्वाधिक है। कठिन और अनिश्चित बाजार दशा व मौसम के बावजूद समिति ने 133 लाख टन उर्वरकों की रिकॉर्ड बिक्री की। वर्ष 2019-20 के दौरान इफको का समूह कारोबार 57,778 करोड़ रुपए का रहा जबकि वर्ष 2018-19 के दौरान यह 50,908 करोड़ रुपए था। प्रचालन पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान इफको का कुल उर्वरक उत्पादन गत वर्ष के 81.49 लाख टन से बढ़कर 91.42 लाख टन हो गया। वर्ष 2019-20 के दौरान हुए कुल उर्वरक उत्पादन में से यूरिया का उत्पादन 48.75 लाख टन तथा डीएपी/एनपीके/ डब्ल्यूएसएफ का उत्पादन 42.87 लाख टन रहा जबकि गत वर्ष इनका उत्पादन क्रमशः 45.62 लाख टन तथा 35.87 लाख टन रहा।

शॉपमैटिक की कोरोना महामारी के दौरान 200 प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली (वार्ता)। कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित कारोबार को बचाने के लिए व्यापारियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है वहीं छोटे उद्यमियों को ऑनलाइन कारोबार करने में मदद कर रही ई-कॉमर्स इनबलर शॉपमैटिक 200 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि एमएसई सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी आधारित सॉल्यूशन मुहैया कराने से अप्रैल - जून तिमाही के दौरान ट्रांजेक्शन, जीएमवी और राजस्व में दोगुनी वृद्धि दर्ज की गयी है। ई-कॉमर्स के लिए सॉल्यूशन मुहैया कराने वाले स्टार्टअप होने के नाते शॉपमैटिक एसएमई और उद्यमियों को ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करने में मदद करने के लिए ई-कॉमर्स के विभिन्न पहलुओं के एक प्लेटफॉर्म में एक साथ मुहैया कराता है। कस्टमाइज ऑनलाइन स्टोर शुरू करने से लेकर, सोशल और चैट प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिक्री करना, विभिन्न ग्लोबल पेमेंट विकल्पों के साथ खरीदारी आसान बनाना और डिजिटल एडवर्टाइजिंग के माध्यम से प्रमोशन कर शॉपमैटिक किसी के लिए भी ऑनलाइन बिक्री आसान बनाता है। शॉपमैटिक ने अपने प्लेटफॉर्म से बिक्रेताओं की स्थिति बेहतर बनाने के लिए निरंतर नए प्रयास किए है। महामारी के दौरान शॉपमैटिक ने अपना विस्तार करते हुए भारत के किराना स्टोर और सिंगापुर के ग्रॉसरी स्टोर को ऑनलाइन सामान बेचने के लिए व्यवस्थित कैटलॉग और अन्य सुविधाओं के साथ प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। शॉपमैटिक स्थानीय दुकानदारों को बिना किसी तकनीकी तानेबाने के आसानी से ऑनलाइन वेबस्टोर और डिजाइन एक्सपीरियंस मुहैया कराता है। इस ऑफरिंग में सफ्त ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाता है, जिसमें अनलिमिटेड लिस्टिंग वाला कैटलॉग, आसान इनवेंट्री मैनेजमेंट, सुरक्षित ऑनलाइन पेमेंट और समय की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कॉन्टैक्टलेस पिक-अप और डिलिवरी का विकल्प शामिल है।

भारत में सुरक्षित एंटरप्राइज-ग्रेड ब्लू जीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाने के लिए वेरिजोन-एयरटेल ने की साझेदारी

नई दिल्ली। भारती एयरटेल लिमिटेड (एयरटेल), भारत की सबसे बड़ी एकीकृत दूरसंचार कंपनी और वेरिजोन, दुनिया की सबसे बड़ी संचार प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है, जिन्होने आज भारत में व्यवसायों के लिए सुरक्षित, विश्व स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान लाने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की। इस साझेदारी में, एयरटेल भारत में उद्यम ग्राहकों को ब्रांड नाम ' एयरटेल ब्लू जीन्स' के तहत सुरक्षित एंटरप्राइज ग्रेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान प्रदान करेगा।

ब्लू जीन्स, वेरिजॉन के एंटरप्राइज़-ग्रेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा, लोगों को मोबाइल, डेस्कटॉप, ब्राउज़र और कॉन्फ्रेंस रूम में संचार और सहयोग करने में मदद करता है और बैंकों, स्वास्थ्य सेवाओं की कड़ी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करते हुए सरल, विश्वसनीय और विश्वसनीय समाधान प्रदान करने में इसका लंबा इतिहास है। इस ऑफरिंग मे भारत में क्लाउड प्वाइंट मौजुदिगी दिलाई जाएगी, जिससे कम उपस्थिति और भारत-आधारित ग्राहकों के लिए सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा ढ्ढ टेक्नोलॉजी पूरी तरह से एयरटेल नेटवर्क के साथ एकीकृत होगी, जिसमें उसके डेटा केंद्र शामिल हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहकों को अत्याधुनिक, विश्वसनीय और सुरक्षित ग्राहक अनुभव प्रदान किया जाए। एयरटेल ब्लू जीन्स एकीकृत ऑडियो समाधान प्रदान करेगा, जिससे अपने ग्राहकों को बैठकों में शामिल होने के लिए सुविधाजनक डायल-इन विकल्प मिलेंगे।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र./545/अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती लक्ष्मी शुक्ला ध.प. स्व. सीताराम शुक्ला निवासी केलाबाड़ी दुर्ग द्वारा ग्राम जामुल प.ह.न. 18 रा.नि.मं. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 175/1, 177/2 रकबा 0.222, 0.101 हे. जो उसके पति स्व. सीताराम शुक्ला के नाम पर दर्ज है की फौती नामांतरण किए जाने बाबत् आवेदन पत्र मय बी-01 की नकल, मृत्यु प्रमाण पत्र, ऋणपुस्तिका की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर फौती नामांतरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को उजर दावा आपत्ति पेश करना हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 21.07.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26.06.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, भिलाई नगर (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुनील सिना पिता स्व. मिठाईलाल सिना अन्य एक निवासी म.न. 918 काली मंदिर के पीछे सिद्धार्थ नगर दुर्ग मौजा बघेरा प.ह.नं. 7 अ रा.नि.मं. दुर्ग 02 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 342/174 रकबा 1500 वर्गफीट हे. भूमि को विक्रेता/ आम मुख्तयार सुनीता जायसवाल पिता/ पति बीरेन्द्र कुमार से दिनांक 02.07.2020 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 24.07.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 09.07.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती रीतू अग्रवाल आ. रजत कुमार अग्रवाल साकिन भिलाई द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 495/40 रकबा 0.020 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता सुरेश देसाई आ. रामदास देसाई से क्रय किया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 27.07.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 09.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक एन.के. श्रवण आ. श्री पी.आर. श्रवण साकिन रिसाली द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 74/1 रकबा 0.003 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता खोरबाहनि स्व. सुंदरलाल से क्रय किया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 24.07.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 08.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक बी. सरोजनी आ. स्व. बी. पार्वतीराम साकिन द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 414/10 रकबा 0.020 हे. जो उसके स्व. बी. पार्वतीराम के नाम पर दर्ज है की फौती दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 07.08.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 13.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक मोहनलाल साहू आ. लाल साय साहू साकिन रिसाली द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 74/1 रकबा 0.003 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता खोरबाहरिन बाई पति सुंदरलाल से क्रय किया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 24.07.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 08.07.2020को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक मोहनलाल गजेन्द्र आ. बिहारीलाल गजेन्द्र साकिन रिसाली द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 74/1 रकबा 0.003 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता खोरबाहरिन बाई पति सुंदरलाल से क्रय किया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 24.07.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 08.07.2020को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम: श्री अतुल मेहता | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202007100400279

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री अतुल मेहता आ. श्री रमणिक लाल मेहता निवासी केलाबाड़ी दुर्ग तह. व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	264/32	0.014 हें 1500 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 13.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम: श्री चंद्रप्रकाश गजवानी | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202007100400280

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री चंद्रप्रकाश गजवानी आ. श्री एच.आर. गजवानी निवासी जी-3 आदर्श नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	264/37	0.014 हें 1500 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 13.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम: बीरसिंह रात्रे | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202007100400137

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री बीरसिंह रात्रे आ. स्व. मेहत्तर राम रात्रे निवासी क्वा. नं. 2 एन सड़क 24 सेक्टर 06 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	765/11	0.022 हें 2400 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 06.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम: बीरसिंह रात्रे | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202007100400136

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री बीरसिंह रात्रे आ. स्व. मेहत्तर राम रात्रे निवासी क्वा. नं. 2 एन सड़क 24 सेक्टर 06 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	1237/10 1238/8	0.010 हें 1500 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 06.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम: श्री श्यामकुमार बावनकर | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202006100400981

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री श्यामकुमार बावनकर आ. डोमाजी बावनकर निवासी स्टेशन रोड दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	224/4	0.020 हें 2400 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम: श्री घनश्याम भगत | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202006100400920

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री घनश्याम भगत आ. श्री धरमदेव राम निवासी सेक्टर 05 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	798/24	0.018 हें 2000 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम: श्री दिलीप कुमार शर्मा | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202006100400979

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री दिलीप कुमार शर्मा आ. स्व. भृगुनाथ शर्मा निवासी सेक्टर 03 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	223/30	0.020 हें 2450 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम: श्री अशोक कुमार पाटिल | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202006100400979

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री अशोक कुमार पाटिल आ. स्व. कृष्ण कुमार निवासी गुरुद्वारा स्टेशन रोड दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	224/5	0.020 हें 2400 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम: श्री पवन कुमार यादव | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202006100400973

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री पवन कुमार यादव आ. लालराम यादव निवासी सेक्टर 06 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	224/6	0.020 हें 2400 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

हाथों में हुनर के बाद भी आर्थिक तंगी की मार झेल रहे मूर्तिकार

नव प्रदेश संवाददाता

कोरबा। उत्सव में रंग भरने वाले मूर्तिकारों की जिंदगी कोरोनाकाल और लॉकडाउन के चलते बेरंग नजर आ रही है। हुनर वाले हाथों की पूछपरख घट गई है। गणेश और दुर्गा उत्सव के लिए प्रतिमा बनाने पिछले वर्षों तक ऑर्डर की भरमार रहती थी। एडवांस मिलने से काम आगे बढ़ता था। आने वाले पर्व के लिए ऑर्डर और एडवांस राशि नहीं मिलने के कारण मूर्तिकारों में निराशा देखी जा रही है।

मिट्टी की कारीगरी की पूछ परख सावन माह की शुरुआत से ही हो जाती थी। उत्सव की आहट से लोगों के चेहरे पर रौनक झलकती थी। कोरोना लॉकडाउन की मार ने उन तमाम खुशियों को छीन ली है। सीतामढ़ी कुम्हार मोहल्ले में गणेश व अन्य प्रतिमाओं को आकार देने वाला कारीगर प्रदीप कुमार कुम्हार का कहना है कि मूर्तिकार बड़ी प्रतिमा तैयार करने को लेकर पशोपेश में हैं। मूर्ति के लिए एडवांस राशि मिलने से रंग और श्रृंगार सामग्री आदि की खरीदी करते थे। आर्थिक तंगी के कारण सामानों की खरीदी किया जाना मुश्किल है। बड़ी प्रतिमा का निर्माण जोखिम उठाने जैसा है। बिक्री नहीं होने पर घाटे का सौदा साबित हो सकता है। प्रदीप का यह भी कहना है कि वर्तमान में कोरोना संकट को देखते हुए उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह नहीं है। आर्थिक संकट के कारण आयोजन में सहमति बन पाना मुश्किल लग रहा है। यही एकमात्र सीजन होता है जिसमें मूर्तिकार साल भर के लिए कमाई कर लेते हैं। मूर्ति बनाने के लिए ऑर्डर नहीं आने से कारीगरों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। शासन मूर्तिकारों के साथ सहयोगात्मक रुख अख्तियार करे, जिससे वे अपने हुनर को जीवित रख सकें। प्रदीप का कहना है कि यहां मामला केवल गणेश और दुर्गा प्रतिमा के निर्माण तक ही नहीं है, बल्कि ऐसे भी कारीगर हैं जो छोटे मिट्टी के सामान जैसे दिया, सकोरा, गगरी, पोला के लिए नंदी बैल आदि बनाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। कोरोना इन छोटे कारीगरों की जिंदगी को भी बेरंग कर दिया है। प्रदीप का यह भी कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर कई बार चौक-चौराहों के सौंदयीकरण के लिए मूर्ति निर्माण का काम कराया जाता है। इसके लिए बाहर से कारीगरों को बुलाया जाता है। यह उचित नहीं है। स्थानीय कारीगरों को अवसर देना चाहिए, जिससे उन्हें भी प्रशासन के लिए काम करने में गौरव महसूस हो।

सहायक कारीगरों का खर्च उठाना मुश्किल

मूर्तिकार मनोज आर्य का कहना है कि इस बार कोलकाता से जितनी संख्या में कारीगर आते थे वे नहीं पहुंचे हैं। जिले में प्रतिवर्ष 30 से 35 मूर्तिकार आते हैं। शहर के अलावा ये मूर्तिकार दीपका, कटघोरा, पाली, बांकीमोंगरा सहित अलग-अलग स्थानों में तंबू लगाकार मूर्ति तैयार करते हैं। ट्रेन नहीं चलने से सहायक कारीगरों को लाना मुश्किल है। निजी वाहन से ले भी आएं तो उनका खर्च उठाना मुश्किल है। प्रतिमा तैयार करने के बाद बिक्री हो भी गई तो सही कीमत मिलना मुश्किल है। ऊपर से घाटे का सौदा होगा।

चार करोड़ का है मूर्ति कारोबार

उत्सव आयोजन को लेकर शुरू होने वाली गहमागहमी शहर से नदारद है। मूर्तिकार अजय पाल का कहना है हुनर एक से बढ़कर एक है। जरूरत खर्च करने वाले के सामर्थ्य पर है। पाल का की मानें तो जिले में प्रति वर्ष प्रतिमा निर्माण का कारोबार चार करोड़ का होता है। गणेश की छोटी मूर्ति से लेकर चार से पांच फीट ऊंची दुर्गा प्रतिमा के लिए मूर्तिकारों को इतना दाम मिल जाता था कि उनके आने वाले वर्ष में फिर आकर काम करने की गुंजाइश रह जाती थी।

पानी मिलाकर शराब बेचते सुपरवाइजर-सेल्समेन गिरफ्तार

मनेन्द्रगढ़ और झगराखाण्ड पुलिस की संयुक्त कार्यवाही

नव प्रदेश संवाददाता

बैकुंठपुर। पुलिस अधीक्षक कोरिया चंद्र मोहन सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पंकज शुक्ला के द्वारा जिले में अवैध कार्यों पर अंकुश लगाने एवं क्षेत्र में सरकारी शराब दुकान में मिलावटी शराब मिलने की सूचना पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया था जिसके पालन में एसडीओपी कर्ण उईके के नेतृत्व में थाना प्रभारी झगराखाण्ड विजय सिंह को मुखबिर से सूचना मिली की शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान खोंगापानी के कर्मचारियों द्वारा अंग्रेजी शराब में मिलावट कर शराब बेचने एवं मिलावटी शराब अन्य पानी की बोतल में भरकर चोरी छुपे बेचने का काम पिछले कई दिनों से किया जा रहा है इस सूचना पर थाना प्रभारी झगराखाण्ड एवं थाना प्रभारी मनेंद्रगढ़ द्वारा एक व्यक्ति को शराब खरीदने हेतु शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान खोंगापानी भेजा गया जो शराब प्लास्टिक बिसलेरी के बोतल में अंग्रेजी शराब लेकर आया तब सरकारी शराब दुकान में कार्रवाई करने हेतु आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त मनेंद्रगढ़ को सूचना देकर मौके पर सरकारी अंग्रेजी शराब दुकान खोगापानी में बुलाया गया आबकारी अधिकारी के आने पर शराब भट्टी एवं गार्ड रूम का तलाशी लिया गया और दुकान के बगल वाले रूम को खुलवा कर देखा गया तो रॉयल ग्रीन अंग्रेजी शराब के 12 बोतल को निकाल कर खुला रखा पाया गया तथा ढक्कन अलग रखे हुए थे और एक 15 लीटर वाले प्लास्टिक डब्बे में करीब 12 लीटर पानी एक स्टील का गिलास एवं बिसलेरी 5 लीटर वाले जार में बोतल से निकालकर भरी शराब लगभग 2 लीटर बरामद किया गया जिसमें 3 बोतल में पानी मिलाकर ढक्कन लगा चुके थे 8 बोतल पानी मिला एवं एक बोतल आधा शराब था जिसमें पानी नहीं मिला पाए थे उक्त सुपरवाइजर नरेश कुमार साहू एवं सेल्समैन संतोष राय के द्वारा रॉयल ग्रीन अंग्रेजी शराब के बोतल को खोल कर आधा शराब निकालकर आधा पानी मिलाया जाता था तथा फिर से बोतल के ढक्कन को फिक्स कर दिया जाता था और ग्राहकों को पानी मिला हुआ शराब बिक्री किया जाता था तथा प्लास्टिक की बोतलों में निकाली हुई शराब को पृथक से पैक कर सेल्समैन और सुपरवाइजर के द्वारा निकाले हुए शराब को बिक्री कर अवैध कमाई किया जाता था जप्त सामग्री को सभी गवाहों के समक्ष विधिवत पंचनामा कर कार्रवाई की गई तथा कैश काउंटर से चिन्हांकित रूपये को बरामद किया गया विक्रेता द्वारा भेजे गए ग्राहक को दुकान में रॉयल ग्रीन का ओरिजिनल शराब मांगने पर सस्ते में अच्छी शराब दूंगा कह कर बिसलेरी की बोतल में मिलावटी शराब पैसे लेकर दिया जाता था इस कार्रवाई में थाना झगड़ाखंड प्रभारी विजय सिंह एवं थाना मनेन्द्रगढ़ प्रभारी सचिन सिंह सहायक उपनिरीक्षक धनंजय सिंह आरक्षक इस्तियाक एवं राजेश मिश्रा तथा आबकारी उपनिरीक्षक वेद प्रकाश इंदुआ प्रधान आरक्षक सुग्रीव सोनी के द्वारा संयुक्त कार्रवाई किया गया।

अवैध खनन से आगर नदी का कटाव बढ़ा

■ खतरे की आशंका, शिकायत के बावजूद नहीं की गई कार्रवाई, जांच कराई जाएगी

नव प्रदेश संवाददाता

मुंगेली। जिले में मुरूम-मिट्टी का अवैध खनन करने वालों पर खनिज विभाग का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रह गया है। इसी कारण खनन माफिआओं का हौसला लगातार बढ़ता गया और मुरूम-मिट्टी निकासी के लिए आगर नदी के किनारे जगह-जगह खोद डाले। इससे नदी का उत्खनित बेतरतीब कटाव के मिट्टी-मुरूम कारण जो गंभीर हादसे का का अवैध परिवहन कारण नदी की धार कहीं दिशा बदली तो यह आसपास के क्षेत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जिला मुख्यालय से लगे क्षेत्र में मुरूम-मिट्टी का अवैध खनन एवं परिवहन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इससे जहां शासन को रायल्टी का नुकसान हो रहा है, वहीं अवैध खनन वाले क्षेत्र , बेतरतीब बड़े-बड़े गड्ढे बन जाने से दुर्घटनाजन्य बनते जा रहा है। खनिज विभाग के अधिकारी भ्रमण कर अवैध खनन की जांच नहीं करते, ग्रामीण यदि शिकायत करें तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। माहभर पहले, खानापूर्ति के लिए ही सहीं, खनिज विभाग ने अवैध खनन एवं परिवहन करने वालों को पकड़ा था। इसके बाद से मिट्टीयुक्त मुरूम का अवैध खनन कुछ दिनों के लिए रूक गया। कुछ दिनों से यह फिर शुरू हो गया है। तालाब में तब्दील हो गया 20 हेक्टेयर का टीला- शहर से लगे रामगढ एवं खैरवार में कुछ वर्ष पहले नदी के किनारे करीब 20 हेक्टेयर की टीले युक्त भूमि थी। माफिआओं ने इसे भी नहीं छोड़ा। जिस समय मिट्टी-मुरूम के लिए खनन शुरू किया गया, ग्रामीणों ने इसकी शिकायत खनिज विभाग से की।

अवैध खनन पर न तो रोक लगाई गई और न ही इसमें संलग्न लोगों पर कार्रवाई की गई। धीरे-धीरे टीले का यह क्षेत्र तालाब और गहरी खाई में तब्दील हो गया।

बदल रही बहाव की दिशा

मिट्टीयुक्त मुरूम का अवैध खनन करने वालों ने नदी को भी नहीं छोड़ा। मिट्टीयुक्त मुरूम निकालने के लिए बेतरतीब जगह-जगह खोद डाले। मिट्टीयुक्त मुरूम का अवैध परिवहन होता रहा, खनिज विभग अनजान बना रहा। मिट्टीयुक्त मुरूम निकालने के लिए खोदे गए गड्ढे एक तरह से खाई गए हैं, इससे नदी के बहाव की दिशा धीरे-धीरे बदल रही है। कालांतर में यह आसपास के खेतों और आबादी क्षेत्र के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है।

निजी और सरकारी कार्यों में हो रहा उपयोग

क्षेत्र के जागरूक लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में चोरी छिपे मिट्टी मुरुम की निकासी कर निजी व सरकारी कार्यों में ठेकेदार कर रहे हैं। मिट्टी मुरुमा का अवैध परिवहन करते हुए पकड़े जाने पर निजी जमीन पर खोदाई करने का हवाला देकर मामले को रफा-दफा कर दिया जाता है,जबकि निजी जमत पर भी खोदाई करने के लिए एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक है।

इस क्षेत्र में किसी प्रकार की लीज रायल्टी नहीं ली गई है। विभाग की ओर से भी नदी किनारे खनन की अनुमति भी किसी को नहीं दी गई। शिकायत की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी।

ज्योति मिश्रा, खनिज अधिकारी

बस्तर में यातायात नियमों की ऐसी की तैसी

नव प्रदेश संवाददाता

जगदलपुर। शहर की यातायात व्यवस्था बद से बदत्तर होती जा रही है। सरेआम यातायात नियमों को तोड़ा जा रहा है। वाहनों में ओवरलोड की समस्या नासूर बन गई है। यातायात पुलिस की संरक्षण के कारण ही यातायात नियम तोड़ने वालों के हौंसले बुलंद हो रहे हैं।

नो एंट्री के समय भारी वाहन प्रवेश के बाद यातायात विभाग के सिपाही कार्यवाही के नाम पर जब थाने लेकर आते है तब अधिकारी आपस मे मिली भगत कर उस भारी वाहन को छोड़ने का आदेश अपने मातहत कर्मचारी को दे देते है। जिससे मौके पर कार्यवाही करने के लिए खड़े यातायात सिपाही का मनोबल गिरता है एवं अवैध रूप से शहर में प्रवेश करने वालो का हौसला बुलंद होता है ।

बीते दिनों इसी प्रकार की घटना सामने आई है। जहा समय दोपहर 1:30 बजे पर भारी वाहन क्रमांक छ्त्र18- 8866 जो ईट से लदी हुई थी नो एंट्री के समय नियम का पालन नही करते हुए शहर के मुख्य मार्ग में प्रवेश कर लिया तब यातायात सिपाही द्वारा उसे कार्यवाही करने के उद्देश्य से थाने लाया गया इस दौरान उक्त भारी वाहन चालक द्वारा बार-बार उस सिपाही को उच्चाधिकारियों का धौंस बताया गया बावजूद उस सिपाही ने उक्त वहां को चालानी कार्यवाही करने हेतू अपनी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया।

किंतु कुछ देर पश्चात ही यातायात प्रभारी एवं एक अन्य निचले स्तर के अधिकारी के आपसी बातचीत के बाद उस भारी वाहन को छोड़ दिया जाता है। जिससे विभाग को चालानी कार्यवाही नहीं होने से राजस्व का नुकसान तो होत ही है एवं निचले यातायात सिपाही जैसे कर्मचारी का मनोबल ऐसे अधिकारियों के आपसी मिलीभगत के कारण गिरता भी है ।अगर ऐसे मामलों में निचले अधिकारी की कार्यवाही को बड़े अधिकारियों के तवज्जो नहीं देने के कारण ऐसे ही छोड़ दिया करेंगे तो विभाग में इसे लेकर उच्च अधिकारी और कर्मचारियों के बीच आपसी सामंजस नही बैठ पाएगा।

चिरमिरी क्षेत्र की पहाड़ियों से 'गैस' का रिसाव

■ लाखों खर्च के बाद भी स्तिथि चिंताजनक

नव प्रदेश संवाददाता

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी जो कि एसईसीएल लिमिटेड कंपनी के तहत कोयले का उत्खनन कार्य वर्षो से करता आ रहा है। जहा बंद खदानों के अंदर लगी आग से उठ रहे धुएं के रिसाव को बंद करने कंपनी हर वर्ष मिट्टी फिलिंग सहित अन्य उपायों में लाखों रुपये खर्च करती है। इसके पश्चात भी चिरमिरी के अनेक क्षेत्रों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और अन्य गैस का रिसाव धुएं के रूप में आमतौर पर देखा जाता है। जो मानव जीवन के लिए खतरनाक है। फिर भी इसके रिसाव को आज तक पूरी तरह बंद नही किया जा सका। जिस कारण ही आज भी यह क्षेत्र में प्रदूषण फैला रहा या यूं कहा जा सकता है कि चिरमिरी शहर के लोग खदानों में लगी आग से निकलने वाले धुएं के जहर के कहर में अपनी साँसे गिन रहे हैं।

उक्त गैस का रिसाव चिरमिरी क्षेत्र में पूर्व के कई वर्षों से हो रहा जिस कारण इससे निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है फिर भी इस और ध्यान न देना चिंताजनक हैं जब कि पूर्व में मवेशियों की मौत भी हो चुका है। जिस पर रोक लगाने शासन के पहल की जरूरत हैं।

-डॉ. आरआर गजभिए, रिटायर्ड, एमडी मेडिसिन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चिरमिरी

विदित हो कि कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला चिरमिरी एसईसीएल क्षेत्र में जहां खुली खदान और बंद खदान के माध्यम से कोयले का उत्खनन किया जाता है। किंतु उत्खनन होने के बाद मिट्टी से समतलीकरण कर उस पर वृक्ष लगाने का प्रावधान है। चिरमिरी क्षेत्र की अधिकांश जमीनों में पूर्व में हुए ब्लास्टिंग से दरार हो कर बंद खदान के अंदर लगी आग से धुएं के रूप में गैस का रिसाव अनवरत होता रहता है। जो कि इंसानी जिंदगी के साथ साथ पशु पक्षियों की भी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है जब कि इसके पूर्व में भी इन गैसों के रिसाव से मवेशियों की मौत हो चुकी हैं किंतु इसको रोकने के लिए एसईसीएल चिरमिरी प्रबंधन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है।